लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 7 जुलाई 99

की

कार्य-सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ०७ जुलाई, १९९९ में विचारणीय विषयों की कार्य-सूची

क्रम स.	विषय	पृष्ठ संख्या
१.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	०१
२.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	१२
३.	प्राधिकरण व्दारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।	३०
४.	जानकीपुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन १८ मी. चौड़ी सड़क में आ रही श्री अतीकुर्रहमान खान की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में परिचालित प्रस्ताव का औपचारिक अनुमोदन।	३१
५.	शौर्यचक्र से सम्मानित ले.कर्नल एम.सी.शर्मा की पत्नी श्रीमती कल्याणी शर्मा तथा कारगिल युध्द में वीरगति को प्राप्त राइफलमैन सुनीलजंग के पिता को निर्माण लागत पर बिना लाभ-हानि के वरीयता के आधार पर भवन/ भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	३४
६.	श्रीमती अर्चना कालिया को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवन्टित भवन के मूल्य में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	३५
७.	भूखण्ड संख्या- ४ ए, ४ बी तथा ४ सी, मीराबाई मार्ग के भू-प्रयोग को "आवासीय" से "बाजार स्ट्रीट, व्यवसायिक" में परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित।	३६
८.	सिन्डर्स डम्प आलमबाग में निर्माणाधीन अन्तर्जनपदीय बस टरमिनल के भू-प्रयोग को बस टरमिनल से बस टरमिनल तथा व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	३७
९.	लखनऊ नगर की महायोजना २००१-२०२१ की संरचना हेतु एजेन्सी के चयन से सम्बन्धित प्रस्ताव।	३८
१०.	दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।	३९
११.	हरदोई रोड योजना में २२०/१३२ के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि आवन्टन से सम्बन्धित।	४१
१२.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनिस्तारित व्यवसायिक भवनों के सम्बन्ध में।	४४
१३.	एकमुश्त भुगतान की दशा में छूट दिये जाने से सम्बन्धित।	५५
१४.	स्कूल भूखण्डों के आवन्टन से सम्बन्धित।	५६

क्रमशः——

१५.	गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड-२ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : सी.पी.-१ पर लगे ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।	६७
१६.	गोमती नगर योजना के विराम खण्ड स्थित भूखण्ड संख्याः सी.पी.-१ का आवन्टन मे. रोमित बिल्डर्स के पक्ष में बहाल किये जाने के समझौते के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	६८
१७.	गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में मे. इन्डियन होटल्स क.लि.(ताज-ग्रुप) को मनोरंजनात्मक पार्क हेतु लाइसेन्स के आधार पर आवन्टित २५ एकड़ भूमि से सम्बन्धित।	७१
१८.	मनीषा मन्दिर को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवन्टित भूमि में लीज़ रेन्ट को विलम्ब से जमा करने पर देय दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।	७२
१९.	वेतनसमिति १९९८ की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार भवन किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता की संशोधित दरें लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	७३
२०.	श्री राजकुमार खन्ना, चौकीदार तथा उनके परिवार की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	८३
२१.	विभिन्न योजनाओं में विवादित भूमि/निर्माणों के समायोजन से सम्बन्धित।	८४
२२.	श्री प्रवीण चन्द्र को कानपुर रोड योजना में आवन्टित भूखण्ड संख्या-ए-१/५२, सेक्टर एल के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन के सम्बन्ध में।	१०३
२३.	श्री सरोजसिंह को अर्जित भूमि के बदले समायोजित भूखण्ड संख्या : १/२०१(बी) विनीत खण्ड के उपलब्ध न होने के कारण भूखण्ड संख्याः १/२०८(बी) समायोजित किया जाना।	१०४
२४.	श्री अतुल चन्द्रा को शारदा नगर योजना में आवन्टित एच.आई.जी. भवन संख्याः ३/३४ रुचि खण्ड-१ को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किया जाना।	१०५
२५.	विकास प्राधिकरण(अपराधों का शमन) संशोधित उपविधि १९९८(स्वैच्छिक शमन उपविधि) में आवश्यक परिष्कार।	१०६
२६.	श्री नूर मोहम्मद, भूखण्ड संख्याः बी-४/२०९ विशाल खण्ड को इनके सम्मुख "डेड एण्ड" सड़क की भूमि आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में पुनर्विचार।	१०९
२७.	गोमती नगर स्थित विश्वास खण्ड में सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि का प्राविधान किये जाने से सम्बन्धित।	११२
२८.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय	

विषय संख्याः

पृष्ठ संख्याः 1ए

विषयः

लखनऊ विकास प्राधिकरण की
बैठक दिनांक 8 मार्च, 1999
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनांक 8 मार्च,
1999 का कार्यवृत्त
पुष्टि हेतु संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ०८ मार्च, १९९९ का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

१.	श्री अरुण कुमार मिश्र	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल।
२.	श्री बलविन्दर कुमार	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
३.	श्री आर.के.मित्तल	आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद।
४.	श्री वीरेश कुमार	विशेष सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन।
५.	श्री दिवाकर त्रिपाठी,	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ।
६.	श्री मुरलीधर	संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग।
७.	श्री एस.पी.गुप्ता,	संयुक्त निदेशक, कोषागार, लखनऊ।
८.	श्री एम.पी.अनेजा	मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ.प्र.।
९.	ई. पीयूष कुमार	प्रतिनिधि, मुख्य अभियन्ता, जलनिगम (मध्य), लखनऊ।
१०.	श्री अविनाश मिश्र	प्रतिनिधि, महानिदेशक, पर्यटन
११.	श्री बृजलाल रावत	सदस्य/सभासद, नगर निगम।
१२.	श्री विजय शंकर बाजपेयी	सदस्य/सभासद, नगर निगम।
१३.	श्री शिव कुमार	सदस्य/सभासद, नगर निगम।
१४.	श्रीमती उमाशंकरी लोधी	सदस्य/सभासद, नगर निगम।
१५.	डा. सियाराम	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
१६.	श्री जयपाल सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
१७.	श्री राम अधार सिंह,	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थितिः

१८.	श्री उमेश चन्द्र तिवारी	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

विषय संख्याः १ — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २७ नवम्बर, १९९८ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २७ नवम्बर, १९९८ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

क्रमशः.....

विषय संख्या : २

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २७ नवम्बर, १९९८ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा विषय संख्याः १५ के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले कनवेन्शनल सेन्टर/होटल की टर्मस एवं कन्डीशन्स वे ही रखी जायें जो पर्यटन विकास निगम व्दारा आगरा में निर्मित होने वाले कन्वेन्शनल सेन्टर/होटल के निर्माण हेतु रखी गई हैं क्योकिं ये शर्ते मन्त्रि परिषद व्दारा अनुमोदित हैं। ये शर्ते शासन को इस आशय से भेज दी जायें कि उन्हीं शर्तो के आधार पर इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में कनवेन्शनल सेन्टर/होटल के निर्माण हेतु कार्यवाही प्राधिकरण व्दारा की जाये।

विषय संख्या : ३

लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा किये गये कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया। उपाध्यक्ष व्दारा आलोच्य अवधि में प्राधिकरण व्दारा किये गये मुख्य विकास, निर्माण एवं अन्य कार्य-कलापों से अवगत कराते हुए बताया गया कि आश्रयहीन योजना, देवरस योजना तथा कल्याण कुटीर योजना के अन्तर्गत लगभग अधिकांश भवन/भूखण्ड विकसित किये जा चुके हैं तथा निर्मित भवनों का आवन्टन भी किया जा चुका है। गोमती नगर के फेज-२ के सात खण्डों तथा जानकीपुरम विस्तार योजना का विकास कार्य वर्तमान में तीव्र गति से कराया जा रहा है। जनवरी, १९९९ में मात्र एक माह के अन्दर गोमती नगर फेज-२ में लगभग ३००० भवनों/भूखण्डों का आवन्टन कर कीर्तिमान स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त हरदोई रोड पर कैटिल कालोनी में भी निर्माण कार्य लगभग पूर्ण करते हुए ४५८ भूखण्डों का आवन्टन भी कर दिया गया है। कम्प्युटरीकरण के अन्तर्गत ४०,००० से ऊपर सम्पत्तियों का पूरा डाटा/लेखा-जोखा कम्प्युटर में फीड कराकर जन सामान्य की सुविधा हेतु प्राधिकरण में प्रथक से कम्प्युटर काउन्टर खोला गया है जिससे अवन्टियों को तत्काल उनसे सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त स्वतः शमन योजना,

नजूल भूमि का फ्री-होल्ड, व्यवसायिक सम्पत्तियों व बल्क सेल के अन्तर्गत निस्तारण की प्रगति उपाध्यक्ष व्दारा बोर्ड के समक्ष रखी गई।

विषय संख्या : ४ — लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक १९९९-२०००

निर्णय : — प्रस्तुत आय-व्ययक पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित संशोधनों सहित मूल आय-व्यय १९९९-२००० ध्वनिमत से अनुमोदित किया गया:-

१. पार्कों के विकास हेतु ५० लाख के स्थान पर १५० लाख का प्राविधान किया जाये।

२. राम नगर की समस्या के समाधान हेतु रु० १.०० करोड़ का प्राविधान किया जाये।

३. सीतापुर रोड योजना क्षेत्र में एक वृहत पार्क के निर्माण हेतु रु० ५०.०० लाख का प्राविधान किया जाये।

विषय संख्या : ५ — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट वर्ष १९९६-९७ का अनुमोदन।

निर्णय : — प्रस्तुत बैलेन्स-शीट अनुमोदित की गई।

विषय संख्या : ६ — लखनऊ नगर की महायोजना २००१-२०२१ हेतु प्रस्ताव।

निर्णय : — लखनऊ नगर की आगामी बीस वर्षीय महायोजना तैयार करने हेतु उपयुक्त आफर्स दाताओं के शार्टलिस्टिंग के लिये आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नांकित सदस्य होगें:-

१. उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. - संयोजक

२. श्री ई.एफ.एन. रिबैरियों

३. श्री एम.एस.त्यागी, सेवानिवृत्त मु.न.नि., ल.वि.प्रा.

४. मुख्य अभियन्ता, जलनिगम

उक्त उपसमिति शार्टलिस्टिंग के उपरान्त उनके वित्तीय आफर्स खोलते हुए अपनी संस्तुतियां आगामी बोर्ड की बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।

विषय संख्या : ७ — हरदोई रोड योजना के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

निर्णय : — विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-

१. हरदोई रोड योजना की सम्पूर्ण भूमि का सर्वेक्षण/लेवेल्स/कन्टूरिंग करा ली जाये।

२. योजना के अन्तर्गत भूमि की स्थिति के अनुसार भू-उपयोग प्लान तैयार किया जाये और यदि महायोजना के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यवता हो तो उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

३. भू-उपयोग प्लान तैयार होने के पश्चात सम्पादित किये जाने वाले विकास कार्यो की डिजाइनिंग कराकर विकास विकास व्यय निकाल लिया जाये तथा योजना की टेन्टेटिव अर्थ-विवेचना उपरोक्त व्यय के आधार पर निकाली जाये।

४. योजना में बाढ़ से सुरक्षा हेतु बंधे तथा एस.टी.पी. आदि के निर्माण पर होने वाले व्यय को भी विकास व्यय में सम्मलित कर लिया जाये।

५. भूमि के निस्तारण हेतु नीति प्रस्तावित की जाये जिसमें निजी निर्माताओं को भी सम्मिलित कर लिया जाये।

विषय संख्या : ८ — प्राधिकरण व्दारा रायबरेली रोड(शारदा नगर) योजनान्तर्गत विकसित रतन खण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र का ५० प्रतिशत भाग आवासीय/संस्थागत तथा ५० प्रतिशत व्यवसायिक(सी-२) भू-उपयोग में रखा जाये। तदनुसार शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जाये।

विषय संख्या : ९ — सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत जानकीपुरम योजना के सेक्टर "जे" की लगभग १५२ एकड़ भूमि का कब्जा किसानों से समझौते के आधार पर प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रतिकर की धनराशि की जो गणना की गई है उसे पुनः चेक करा लिया जाये।

विषय संख्या : १०

प्रबन्ध संस्थानों को भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

में. रामकृष्ण ऐण्ड सन्स चैरिटेबिल ट्रस्ट, नई दिल्ली को गोमती नगर योजना के विराज खण्ड में २००० वर्गमी. भूमि प्रस्तावित दर एवं शर्तों पर उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी क्रम में प्रोफेशनल असिस्टेन्स फार डेवलपमेन्ट ऐक्शन का प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : ११

इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट के पट्टागत भूमि के भू-प्रयोग के अनुसार फ्री-होल्ड की नीति निर्धारण।

निर्णय :

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि दिनांक ३०.११.९१ को लागू सर्किल रेट का ४० प्रतिशत एकल आवासीय हेतु, ६० प्रतिशत ग्रुप-हाउसिंग हेतु एवं ७५ प्रतिशत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु धनराशि प्राप्त कर फ्री-होल्ड करने की कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : १२

लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट व्दारा बिक्रय किये गये भूखण्डों पर महायोजना के अनुसार बेसमेन्ट की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ महानगर योजना/निराला नगर योजना हेतु प्रचलित बाई-लाज़ का अध्ययन कर लिया जाये। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की योजनाओं के भूखण्डों पर लखनऊ महायोजना २००१ के प्राविधानों को लागू किये जाने पर चर्चा हुई जिसमें विशेष रुप से यह ईंगित किया गया कि महानगर बाई-लाज़ जो पूर्व से प्रचलित हैं के कुछ प्राविधान महायोजना के प्राविधानों से भिन्न हैं। अतः इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूखण्डों पर लागू बाई-लाज़ के प्राविधानों के शिथिलीकरण हेतु सक्षम स्तर से निर्णय ले लिया जाये।

विषय संख्या : १३

ब्याज की दरों में परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पंजीकरण धनराशि पर तथा अन्य सभी प्रकरणों पर ९ प्रतिशत वार्षिक ब्याज ही दिया जाये।

विषय संख्या : १४ — क्लब के निर्माण से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

१. एक एकड़ भूमि क्लब के निर्माण हेतु आरक्षित करते हुए न्यूनतम आरक्षित मूल्य रु० १.०० करोड़ रक्खा जाये।

२. प्रस्तुत शर्तो के आधार पर आफर्स आमन्त्रित कर लिये जायें जिसके उपरान्त विचार-विमर्श करके संस्तुति देने हेतु निम्न समिति का गठन किया गया:-

क. उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. अध्यक्ष
ख. मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक सदस्य
ग. मुख्य लेखाधिकारी सदस्य

उपरोक्त समिति अपनी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

विषय संख्या : १५ — यूनियन बैंक आफ़ इन्डिया को गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में निर्माणाधीन अवध अपार्टमेन्ट के अन्तर्गत भवनों के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव विस्तृत रुप से विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृत किया गया परन्तु निर्देश दिये गये कि इसे किसी अन्य मामले में दृष्यन्त ;ा बनाया जाये।

विषय संख्या : १६ — नन्दा खेड़ा व्यवसायिक केन्द्र के निस्तारण से सम्बन्धित।

निर्णय : — विस्तृत रुप से विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि १० प्रतिशत पंजीकरण धनराशि जमा कराने के उपरान्त तीन माह में एक मुश्त धनराशि का भुगतान करने पर अधिकतम ५ प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। अथवा २५ प्रतिशत अग्रिम जमा कराकर ७५ प्रतिशत धनराशि दो वर्षो में नियमानुसार ब्याज सहित प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : १७ — खनिज विकास निगम की गोमती नगर स्थित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में। (कार्योत्तर स्वीकृति)

निर्णय : — विस्तृत विचार विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि खनिज विकास निगम स्वयं अथवा ज्वाइन्ट वेन्चर से ही होटल का निर्माण करेंगे।

विषय संख्या : १८ — शाहमीना रोड, चौक के विस्तारीकरण के फलस्वरुप विस्थापित दुकानदारों को मेडिकल कालेज से लगी भूमि (सोनियागांधी नगर) पर पुनर्वासन हेतु प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : १९ — मे. राप्ती लॉजिंग लि., लखनऊ व्दारा आराजी संख्या १२३० व १२३१ ग्राम फरुखाबाद,चिल्लांवा, लखनऊ की कृर्षित भू-उपयोग की भूमिपर सर्विस स्टेशन के निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि केवल १० प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज एवं १५ प्रतिशत एफ०ए० आर० ही निर्माण हेतु अनुमन्य होगा।

विषय संख्या : २० — यू.पी.स्टेट ऐग्रो के विधान सभा मार्ग स्थित मुख्यालय परिसर को आवासीय भू-प्रयोग से व्यवसायिक भू-प्रयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — निर्णय लिया गया कि संस्था व्दारा पहले भूमि को फ्री-होल्ड करा लिया जाये।

विषय संख्या : २१ — श्री १००८ भगवान प्रभु जैन सेवा संस्थान को विपुल खण्ड में संस्थागत भू-प्रयोग के अन्तर्गत विकसित भूमि में भूखण्ड आवन्टन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — भूमि आवन्टन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। संस्था के धार्मिक लक्ष्यों के साथ-साथ शैक्षणिक उद्देश्यों के परीक्षण के उपरान्त भूमि संस्थागत दर के ५० प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराय जाने हेतु आयुक्त/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

विषय संख्या : २२ — एथनोग्राफिक तथा फोल्क कल्चर सोसाइटी को भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि पूर्व में प्रस्तुत गौरव इन्स्टीट्यूट आफ़ वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रकरण का पुनः परीक्षण कर लिया जाये। यदि गौरव इन्स्टीट्यूट के उददेश्य शैक्षणिक हैं तो इन्हे भी संस्थागत दर की ५० प्रतिशत दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाये।

विषय संख्या : २३ — अवस्थापना सुविधाओं हेतु अतिरिक्त शुल्क लिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय : — निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : २४ — महानगर गृह योजना के अन्तर्गत मन्दिर समिति को दी गई भूमि क्षेत्रफल २८००० वर्गफिट की रजिस्ट्री किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : २५ — कानपुर रोड योजना/शारदा नगर योजना में निजी निर्माताओं को आवन्टित भूमि के लेखों को अन्तिम किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव का प्राधिकरण स्तर पर पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु स्थगित किया गया।

विषय संख्या : २६ — श्री नूर मोहम्मद, भूखण्ड संख्या बी-४/२०९, विशाल खण्ड-४ को उनके भूखण्ड के सम्मुख "डेन्ड एन्ड" सड़क की भूमि आवन्टित किये जाने पर पुनर्विचार।

निर्णय : — विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

विषय संख्या : २७

श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज सुपरवाइजर के किडनी प्रत्यारोपण पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

निर्णय :

निर्णय लिया गया कि पी.जी.आई. से वास्तवित व्यय को प्रमाणित करा लिया जाये तथा यह भी परीक्षण कर लिया जाये कि क्या इससे पूर्व किसी वर्कचार्ज कर्मचारी को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तदनुसार विस्तृत प्रस्ताव तथा शासन स्तर से इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : २८

वेतन समिति १९९७ की सिफारिशों के कार्यान्वयन में पेंशन भोगियों/कुटुम्ब पेन्शन भोगियों की पेंशन में संशोधन से सम्बन्धित।

निर्णय:

प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या :२९

एक योजना से दूसरी योजना में सम्पत्ति के परिवर्तन तथा उसी योजना में भवन के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त क्रम संख्या: १ पर अंकित श्री विष्णु नारायन माथुर को पूर्व में किये गये परिवर्तन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा क्रम संख्या ५ पर प्रस्तुत श्री सर्वेश कुमार दीक्षित एवं डा. एम.पी. सिंह को कानपुर रोड योजना में भवन परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त क्रमांक- २,३,४ एवं ७ पर प्रस्तुत प्रकरण स्थगित किये गये।

विषय संख्या : ३०

भूमि खसरा संख्या : ४१५ व ४१६ स्थित ग्राम शेखापुर खेत्रफल १-१४-१०-०, ०-९-०-० के समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि कुल भूमि का ६० प्रतिशत प्रधिकरण प्राप्त करे तथा ४० प्रतिशत नियमानुसार विकास शुल्क लेकर समायोजित करे।

विषय संख्या : ३५

अवध इन्डस्ट्रीज की गोमती नगर योजना भाग-२ के अन्तर्गत अधिग्राहीत भूमि खसरा संख्या- २१३, २१५ व २३१/४०, ग्राम विजर्यापुर के समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त ४० प्रतिशत भूमि समायोजित की जाये।

अनु. विषय संख्या : १

प्राग नारायण रोड पर बटलर पैलेस के निकट ग्रुप-हाउसिंग योजना की स्वीकृति।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के बिन्दु ४.१ के अनुसार स्ववित्तपोषण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य कराया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रस्ताव समयाभाव के कारण आगामी बैठक हेतु स्थगित किये गये तथा यह भी निर्देश दिया गया कि इस बैठक में स्थगित विषय यथा-सम्भव आगामी बैठक की कार्य-सूची में प्रारम्भ में प्रस्तुत किये जायें।

अन्य बिन्दु :

बैठक के दौरान माननीय सदस्यों ने लखनऊ शहर के अन्दर हो रहे अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करते हुए अनुरोध किया कि इसे रोकने हेतु प्राधिकरण व्दारा प्रभावी कदम उठाये जायें। इस सम्बन्ध में हुए विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

१. लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा पूर्वोत्तर रेलवे लाइन व सीतापुर रोड के बीच जो बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो रहे हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शीघ्र की जाये। उक्त कार्यवाही अपर सचिव की देख-रेख में की जायेगी। अतिक्रमण से जो भूमि मुक्त होगी, यदि वह प्राधिकरण की है, तो उसके निस्तारण हेतु कार्यवाही की जाये।

२. लखनऊ विकास प्राधिकरण उन अवैध निर्माणों की सूची प्रकाशित करेगा जो बिना भवन मानचित्र अनुमोदित कराये, निर्मित हो रहे हैं।

३. जहां पूर्णतः अवैध निर्माण होता पाया जायेगा, उन मामलों में सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निलम्बित किये जाने तथा सहायक अभियन्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। बड़े-बड़े व्यवसायिक एवं ग्रुप-हाउसिंग प्रोजेक्ट के अवैध निर्माण का सीधा उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता का माना जायेगा।

४. यह व्यवस्था लागू की जाये कि जहां पर बहुमन्जिले भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है वहां निर्माण-कर्ता व्दारा एक बोर्ड लगा कर निर्माणकर्ता एजेन्सी का नाम तथा मानचित्र स्वीकृति की परमिट संख्या एवं दिनांक डिस्प्ले की जाये।

५. उपाध्यक्ष अपने स्तर पर प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को प्राधिकरण के अशासकीय सदस्यों की बैठक आयोजित किया करेंगे।

उपाध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(उमेश चन्द्र तिवारी)
सचिव

(बलविन्दर कुमार)
उपाध्यक्ष

अ नु मो दि त

(अरुण कुमार मिश्र)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ०८ मार्च, १९९९ में लियं गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या	विषय एवं लिया गया निर्णय	अनुपालन आख्या
विषय संख्याः १	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २७ नवम्बर, १९९८ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २७ नवम्बर, १९९८ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	नोट किया गया।
विषय संख्या : २	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक २७ नवम्बर, १९९८ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	
निर्णय :	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा विषय संख्याः १५ के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले कनवेन्शनल सेन्टर/होटल की टर्मस एवं कन्डीशन्स वे ही रखी जायें जो पर्यटन विकास निगम व्दारा आगरा में निर्मित होने वाले कन्वेन्शनल सेन्टर/होटल के निर्माण हेतु रखी गई हैं क्योंकि ये शर्ते मन्त्रि परिषद व्दारा अनुमोदित हैं। ये शर्ते शासन को इस आशय से	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

भेज दी जायें कि उन्ही शर्तो के आधार पर इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में कनवेन्शनल सेन्टर/होटल के निर्माण हेतु कार्यवाही प्राधिकरण व्दारा की जाये।

विषय संख्या : ३

लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा किये गये कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया। उपाध्यक्ष व्दारा आलोच्य अवधि में प्राधिकरण व्दारा किये गये मुख्य विकास, निर्माण एवं अन्य कार्य-कलापों से अवगत कराते हुए बताया गया कि आश्रयहीन योजना, देवरस योजना तथा कल्याण कुटीर योजना के अन्तर्गत लगभग अधिकांश भवन/भूखण्ड विकसित किये जा चुके हैं तथा निर्मित भवनों का आवन्टन भी किया जा चुका है। गोमती नगर के फेज-२ के सात खण्डों तथा जानकीपुरम विस्तार योजना का विकास कार्य वर्तमान में तीव्र गति से कराया जा रहा है। जनवरी, १९९९ में मात्र एक माह के अन्दर गोमती नगर फेज-२ में लगभग ३००० भवनों/भूखण्डों का आवन्टन कर कीर्तिमान स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त हरदोई रोड पर केंटिल कालोनी में भी निर्माण कार्य लगभग पूर्ण करते हुए ४५८ भूखण्डों का आवन्टन भी कर दिया गया है। कम्प्युटरीकरण के अन्तर्गत ४०,००० से ऊपर सम्पत्तियों का पूरा डाटा/लेखा-जोखा कम्प्युटर में फीड कराकर जन सामान्य

कार्यवाही अपेक्षित नहीं।

की सुविधा हेतु प्राधिकरण में प्रथक से कम्प्युटर काउन्टर खोला गया है जिससे आवन्टियों को तत्काल उनसे सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त स्वतः शमन योजना, नजूल भूमि का फ्री-होल्ड, व्यवसायिक सम्पत्तियों व बल्क सेल के अन्तर्गत निस्तारण की प्रगति उपाध्यक्ष व्दारा बोर्ड के समक्ष रखी गई।

विषय संख्या : ४

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक १९९९-२०००

निर्णय :

प्रस्तुत आय-व्ययक पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित संशोधनों सहित मूल आय-व्यय १९९९-२००० ध्वनिमत से अनुमोदित किया गयाः-

१. पार्को के विकास हेतु ५० लाख के स्थान पर १५० लाख का प्राविधान किया जाये।

२. राम नगर की समस्या के समाधान हेतु रु० १.०० करोड़ का प्राविधान किया जाये।

३. सीतापुर रोड योजना क्षेत्र में एक वृहत पार्क के निर्माण हेतु रु० ५०.०० लाख का प्राविधान किया जाये।

निर्णयानुसार यथा-संशोधित आय-व्ययक समस्त सम्बन्धित को उपलब्ध करा दिया गया है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : ५	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट वर्ष १९९६-९७ का अनुमोदन।	
निर्णय :	प्रस्तुत बैलेन्स-शीट अनुमोदित की गई।	नोट किया गया।
विषय संख्या : ६	लखनऊ नगर की महायोजना २००१-२०२१ हेतु प्रस्ताव।	
निर्णय :	लखनऊ नगर की आगामी बीस वर्षीय महायोजना तैयार करने हेतु उपयुक्त आफर्स दाताओं के शार्टलिस्टिंग के लिये आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नांकित सदस्य होगें:- १. उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. - संयोजक २. श्री ई.एफ.एन. रिबैरियों ३. श्री एम.एस.त्यागी, सेवानिवृत्त मु.न.नि., ल.वि.प्रा. ४. मुख्य अभियन्ता, जलनिगम उक्त उपसमिति शार्टलिस्टिंग के उपरान्त उनके वित्तीय आफर्स खोलते हुए अपनी संस्तुतियां आगामी बोर्ड की बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।	निर्णयानुसार उक्त समिति की बैठक दिनांक १७.४.९९ तथा १५.५.९९ को आयोजित की गई। उपसमिति की संस्तुतियां विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

विषय संख्या : ७ हरदोई रोड योजना के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-

१. हरदोई रोड योजना की सम्पूर्ण भूमि का सर्वेक्षण/लेवेल्स/कन्टूरिंग करा ली जाये।

२. योजना के अन्तर्गत भूमि की स्थिति के अनुसार भू-उपयोग प्लान तैयार किया जाये और यदि महायोजना के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यक्ता हो तो उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

३. भू-उपयोग प्लान तैयार होने के पश्चात सम्पादित किये जाने वाले विकास कार्यो की डिजाइनिंग कराकर विकास विकास व्यय निकाल लिया जाये तथा योजना की टेन्टेटिव अर्थ-विवेचना उपरोक्त व्यय के आधार पर निकाली जाये।

४. योजना में बाढ़ से सुरक्षा हेतु बंधे तथा एस.टी.पी. आदि के निर्माण पर होने वाले व्यय को भी विकास व्यय में सम्मलित कर लिया जाये।

५. भूमि के निस्तारण हेतु नीति प्रस्तावित की जाये जिसमें निजी निर्माताओं को भी सम्मिलित कर लिया जाये।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। अभियन्त्रण विभाग व्दारा सर्वेक्षण/लेवेल्स की कन्टूरिंग कराई जा रही है। सर्वेक्षण प्लान प्राप्त होने के उपरान्त नियोजन सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

विषय संख्या : ८	प्राधिकरण व्दारा रायबरेली रोड(शारदा नगर) योजनान्तर्गत विकसित रतन खण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र का ५० प्रतिशत भाग आवासीय/संस्थागत तथा ५० प्रतिशत व्यवसायिक(सी-२) भू-उपयोग में रखा जाये। तदनुसार शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जाये।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है, शीघ्र ही शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।
विषय संख्या : ९	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत जानकीपुरम योजना के सेक्टर "जे" की लगभग १५२ एकड़ भूमि का कब्जा किसानों से समझौते के आधार पर प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रतिकर की धनराशि की जो गणना की गई है उसे पुनः चेक करा लिया जाये।	संशोधित निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : १०	प्रबन्ध संस्थानों को भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	में. रामकृष्ण ऐण्ड सन्स चैरिटेबिल ट्रस्ट, नई दिल्ली को गोमती नगर योजना के विराज खण्ड में २००० वर्गमी. भूमि प्रस्तावित दर एवं शर्तो पर उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी क्रम में प्रोफेशनल असिस्टेन्स फार डेवलपमेन्ट ऐक्शन का प्रस्ताव निरस्त किया गया।	निर्णयानुसार सम्बन्धित संस्था को सूचित कर दिया गया है।
विषय संख्या : ११	इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट के पट्टागत भूमि के भू-प्रयोग के अनुसार फ्री-होल्ड की नीति निर्धारण।	
निर्णय :	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि दिनांक ३०.११.९१ को लागू सर्किल रेट का ४० प्रतिशत एकल आवासीय हेतु, ६० प्रतिशत ग्रुप-हाउसिंग हेतु एवं ७५ प्रतिशत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु धनराशि प्राप्त कर फ्री-होल्ड करने की कार्यवाही की जाये।	संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय संख्या : १२	लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट व्दारा बिक्रय किये गये भूखण्डों पर महायोजना के अनुसार बेसमेन्ट की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	लखनऊ महानगर योजना/निराला नगर योजना हेतु प्रचलित बाई-लाज़ का अध्ययन कर लिया जाये। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की योजनाओं के भूखण्डों पर लखनऊ महायोजना २००१ के प्राविधानों को लागू किये जाने पर चर्चा हुई जिसमें विशेष रुप से यह इंगित किया गया कि महानगर बाई-लाज़ जो पूर्व से प्रचलित हैं के कुछ प्राविधान महायोजना के प्राविधानों से भिन्न हैं। अतः इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूखण्डों पर लागू बाई-लाज़ के प्राविधानों के शिथिलीकरण हेतु सक्षम स्तर से निर्णय ले लिया जाये।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्या : १३	ब्याज की दरों में परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पंजीकरण धनराशि पर तथा अन्य सभी प्रकरणों पर ९ प्रतिशत वार्षिक ब्याज ही दिया जाये।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : १४

निर्णय :

क्लब के निर्माण से सम्बन्धित।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

१. एक एकड़ भूमि क्लब के निर्माण हेतु आरक्षित करते हुए न्यूनतम आरक्षित मूल्य रु० १.०० करोड़ रक्खा जाये।

२. प्रस्तुत शर्तो के आधार पर आफर्स आमन्त्रित कर लिये जायें जिसके उपरान्त विचार-विमर्श करके संस्तुति देने हेतु निम्न समिति का गठन किया गया:-

क. उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. अध्यक्ष

ख. मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक सदस्य

ग. मुख्य लेखाधिकारी सदस्य

उपरोक्त समिति अपनी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। चूंकि क्लब के निर्माण हेतु भूमि का नियोजन नहीं किया जा सका है। अतः अभी कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।

विषय संख्या : १५	यूनियन बैंक आफ़ इन्डिया को गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में निर्माणाधीन अवध अपार्टमेन्ट के अन्तर्गत भवनों के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव विस्तृत रुप से विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृत किया गया परन्तु निर्देश दिये गये कि इसे किसी अन्य मामले में दृष्टान्त न बनाया जाये।	निर्णयानुसार यूनियन बैंक आफ़ इन्डिया को दिनांक २६.३.९९ को पत्र भेज दिया गया है।
विषय संख्या : १६	नन्दा खेड़ा व्यवसायिक केन्द्र के निस्तारण से सम्बन्धित।	
निर्णय :	विस्तृत रुप से विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि १० प्रतिशत पंर्जाकरण धनराशि जमा कराने के उपरान्त तीन माह में एक मुश्त धनराशि का भुगतान करने पर अधिकतम ५ प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। अथवा २५ प्रतिशत अग्रिम जमा कराकर ७५ प्रतिशत धनराशि दो वर्षो में नियमानुसार ब्याज सहित प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार सम्बन्धित संस्था को दिनांक १.४.९९ को प्रस्ताव भेजा गया था तथा एक सप्ताह में सहमति चाही गई थी। सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई। अतः प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है।

विषय संख्या : १७	खनिज विकास निगम की गोमती नगर स्थित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में। (कार्योत्तर स्वीकृति)	
निर्णय :	विस्तृत विचार विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि खनिज विकास निगम स्वयं अथवा ज्वाइन्ट वेन्चर से ही होटल का निर्माण करेंगे।	दिनांक २.२.९९ को ही शासन को पत्र भेजा जा चुका है।
विषय संख्या : १८	शाहमीना रोड, चौक के विस्तारीकरण के फलस्वरुप विस्थापित दुकानदारों को मेडिकल कालेज से लगी भूमि (सोनियागांधी नगर) पर पुनर्वासन हेतु प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। शीघ्र ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	
विषय संख्या : १९	मे. राप्ती लॉजिंग लि., लखनऊ व्दारा आराजी संख्या १२३० व १२३१ ग्राम फरुखाबाद,चिल्लांवा, लखनऊ की कृर्षित भू-उपयोग की भूमिपर सर्विस स्टेशन के निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव इस संशोंधन के साथ स्वीकृत किया गया कि केवल १० प्रतिशत ग्राउन्ड कवरेज एवं १५ प्रतिशत एफ०ए० आर० ही निर्माण हेतु अनुमन्य होगा।	निर्णयानुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु पक्ष को सूचित कर दिया गया है।

विषय संख्या : २०	यू.पी.स्टेट ऐग्रो के विधान सभा मार्ग स्थित मुख्यालय परिसर को आवासीय भू-प्रयोग से व्यवसायिक भू-प्रयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	निर्णय लिया गया कि संस्था व्दारा पहले भूमि को फ्री-होल्ड करा लिया जाये।	निर्णयानुसार सम्बन्धित संस्था को भूमि का फ्री-होल्ड कराने हेतु दिनांक ८.४.९९ को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।
विषय संख्या : २१	श्री १००८ भगवान प्रभु जैन सेवा संस्थान को विपुल खण्ड में संस्थागत भू-प्रयोग के अन्तर्गत विकसित भूमि में भूखण्ड आवन्टन के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	भूमि आवन्टन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। संस्था के धार्मिक लक्ष्यों के साथ-साथ शैक्षणिक उद्देश्यों के परीक्षण के उपरान्त भूमि संस्थागत दर के ५० प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराय जाने हेतु आयुक्त/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।	निर्णयानुसार संस्था के धार्मिक लक्ष्यों के साथ-साथ शैक्षिक लक्ष्यों के परीक्षण हेतु अभिलेख प्राप्त किये जाने के लिये संस्था को पत्र प्रेषित किया गया है।
विषय संख्या : २२	एथनोग्राफिक तथा फोल्क कल्चर सोसाइटी को भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि पूर्व में प्रस्तुत गौरव इन्स्टीट्युट आफ़ वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रकरण का पुनः परीक्षण कर लिया जाये। यदि गौरव इन्स्टीट्युट के उददेश्य शैक्षणिक हैं तो इन्हे भी संस्थागत दर की ५० प्रतिशत दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाये।	निर्णयानुसार एथनोग्राफिक तथा फोल्क कल्चर सोसाइटी को आवन्टन पत्र भेज दिया गया है। गौरव इन्स्टीट्युट के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : २३	अवस्थापना सुविधाओं हेतु अतिरिक्त शुल्क लिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।	
निर्णय :	निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाये।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्या : २४	महानगर गृह योजना के अन्तर्गत मन्दिर समिति को दी गई भूमि क्षेत्रफल २८००० वर्गफिट की रजिस्ट्री किये जाने से सम्बन्धित।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार निबन्धन की कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्या : २५	कानपुर रोड योजना/शारदा नगर योजना में निजी निर्माताओं को आवन्टित भूमि के लेखों को अन्तिम किये जाने से सम्बन्धित।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव का प्राधिकरण स्तर पर पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु स्थगित किया गया।	निर्णयानुसार परीक्षण कर लिया गया है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : २६	श्री नूर मोहम्मद, भूखण्ड संख्या बी-४/२०९, विशाल खण्ड-४ को उनके भूखण्ड के सम्मुख "डेन्ड एन्ड" सड़क की भूमि आवन्टित किये जाने पर पुनर्विचार।	
निर्णय :	विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	निर्णयानुसार स्थल निरीक्षण कर लिया गया है। प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
विषय संख्या : २७	श्री राम कुमार शुक्ला, वर्कचार्ज सुपरवाइजर के किडनी प्रत्यारोपण पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।	
निर्णय :	निर्णय लिया गया कि पी.जी.आई. से वास्तवित व्यय को प्रमाणित करा लिया जाये तथा यह भी परीक्षण कर लिया जाये कि क्या इससे पूर्व किसी वर्कचार्ज कर्मचारी को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तद्नुसार विस्तृत प्रस्ताव तथा शासन स्तर से इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।	परीक्षणोपरान्त पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करने का औचित्य नहीं पाया गया।

विषय संख्या : २८	वेतन समिति १९९७ की सिफारिशों के कार्यान्वयन में पेंशन भोगियों/कुटुम्ब पेन्शन भोगियों की पेंशन में संशोधन से सम्बन्धित।	
निर्णयः	प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्या :२९	एक योजना से दूसरी योजना में सम्पत्ति के परिवर्तन तथा उसी योजना में भवन के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त क्रम संख्याः १ पर अंकित श्री विष्णु नारायन माथुर को पूर्व में किये गये परिवर्तन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा क्रम संख्या ५ पर प्रस्तुत श्री सर्वेश कुमार दीक्षित एवं डा. एम.पी. सिंह को कानपुर रोड योजना में भवन परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त क्रमांक- २,३,४ एवं ७ पर प्रस्तुत प्रकरण स्थगित किये गये।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : ३०	भूमि खसरा संख्या : ४१५ व ४१६ स्थित ग्राम शेखापुर खेत्रफल १-१४-१०-०, ०-९-०-० के समायोजन के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि कुल भूमि का ६० प्रतिशत प्रधिकरण प्राप्त करे तथा ४० प्रतिशत नियमानुसार विकास शुल्क लेकर समायोजित करे।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्या : ३५	अवध इन्डस्ट्रीज की गोमती नगर योजना भाग-२ के अन्तर्गत अधिग्राहीत भूमि खसरा संख्या- २१३, २१५ व २३१/४०, ग्राम विजर्यापुर के समायोजन के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त ४० प्रतिशत भूमि समायोजित की जाये।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अनु. विषय संख्या : १

प्राग नारायण रोड पर बटलर पैलेस के निकट ग्रुप-हाउसिंग योजना की स्वीकृति।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के बिन्दु ४.१ के अनुसार स्ववित्तपोषण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य कराया जाये।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रस्ताव समयाभाव के कारण आगामी बैठक हेतु स्थगित किये गये तथा यह भी निर्देश दिया गया कि इस बैठक में स्थगित विषय यथा-सम्भव आगामी बैठक की कार्य-सूची में प्रारम्भ में प्रस्तुत किये जायें।

अन्य बिन्दु :

बैठक के दौरान माननीय सदस्यों ने लखनऊ शहर के अन्दर हो रहे अवैध निर्माणों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करते हुए अनुरोध किया कि इसे रोकने हेतु प्राधिकरण व्दारा प्रभावी कदम उठाये जायें। इस सम्बन्ध में हुए विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

१. लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा पूर्वोत्तर रेलवे लाइन व सीतापुर रोड के बीच जो बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो रहे हैं उनके ध्वर्स्तीकरण की कार्यवाही शीघ्र की जाये। उक्त कार्यवाही अपर सचिव की देख-रेख में की जायेगी। अतिक्रमण से जो भूमि मुक्त होगी, यदि वह प्राधिकरण की है, तो उसके निस्तारण हेतु कार्यवाही की जाये।

पूर्वोत्तर रेलवे लाइन व सीतापुर रोड के मध्य रेलवे विभाग की भी भूमि स्थित है। अतः भूमि का चिन्हीकरण कराया जा रहा है।

२. लखनऊ विकास प्राधिकरण उन अवैध निर्माणों की सूची प्रकाशित करेगा जो बिना भवन मानचित्र अनुमोदित कराये, निर्मित हो रहे हैं।

३. जहां पूर्णतः अवैध निर्माण होता पाया जायेगा, उन मामलों में सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निलम्बित किये जाने तथा सहायक अभियन्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। बड़े-बड़े व्यवसायिक एवं ग्रुप-हाउसिंग प्रोजेक्ट के अवैध निर्माण का सीधा उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता का माना जायेगा।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

४. यह व्यवस्था लागू की जाये कि जहां पर बहुमन्जिले भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है वहां निर्माण-कर्ता व्दारा एक बोर्ड लगा कर निर्माणकर्ता एजेन्सी का नाम तथा मानचित्र स्वीकृति की परमिट संख्या एवं दिनांक डिस्प्ले की जाये।

५. उपाध्यक्ष अपने स्तर पर प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को प्राधिकरण के अशासकीय सदस्यों की बैठक आयोजित किया करेगें।

निर्णयानुसार बैठक की जा रही है।

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा किये जा रहे कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा किये जा रहे कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या अलग से प्रस्तुत की जा रही है।

विषय: **जानकीपुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 18 मी0 चौड़ी सड़क में आ रही श्री अतीकुर्रहमान खान की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का औपचारिक अनुमोदन ।**

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड के समानान्तर रेलवे लाइन के पूर्व में 586 एकड़ भूमि पर जानकीपुरम विस्तार योजना कार्यान्वित की जा रही है। रेलवे लाइन पर लेविल क्रासिंग के निर्माण होने तक जानकीपुरम विस्तार योजना को पहुँचने हेतु कोई मुख्य मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम विस्तार योजना को पूर्व विकसित जानकीपुरम योजना के सेक्टर "आई" से युनिवर्सिटी के समीप से 18.0मी0 चौड़ी सड़क द्वारा जोड़ने का निर्णय लिया गया। इस सड़क के एलाइन्मेन्ट में 14894 वर्ग फिट भूमि श्री अतीकुर्रहमान की आ रही है। इस सड़क का कार्य भी प्रश्नगत भूमि के अंश को छोड़कर सोलिंग तक 90% पूर्ण किया जा चुका है। अर्जन की प्रक्रिया में अधिक समय लगने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए भूमि को आपसी समझौते के आधार पर प्राप्त करने हेतु श्री अतीकुर्रहमान से विमर्श किया गया ।

उपरोक्त प्रकरण पर विचार हेतु उपाध्यक्ष द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 26-4-99 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुयी थी, जिसमें अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति, लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा अधिशासी अभियन्ता, जोन-10 लखनऊ विकास प्राधिकरण उपस्थित थे। समिति की बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है। चूँकि विषय आवश्यक है और प्राधिकरण (बोर्ड) की बैठक होने में समय लगेगा, अतः परिचालन द्वारा समिति की संस्तुति अनुमोदित करने हेतु प्रस्तुत है ।

उपरोक्त प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से पारित हो चुका है। कृपया औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

जानकीपुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 18.00 मी0 चौड़ी सड़क में आ रही श्री अतीकुर्रहमान की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड के समानान्तर रेलवे लाइन के पूर्व 586 एकड़ भूमि पर जानकी पुरम् विस्तार योजना कार्यान्वित की जा रही है । सीतापुर रोड योजना के समानान्तर एवं योजना के मध्य रेलवे लाइन होने के फलस्वरुप लेविल क्रासिंग के निर्माण होने तक, सीतापुर रोड की ओर से जानकी पुरम् विस्तार योजना पहुँचने हेतु कोई मुख्य मार्ग उपलब्ध नही है । इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम विस्तार योजना को पूर्व निर्मित जानकी पुरम् योजना के सेक्टर (आई) से यूनिवर्सिटी के समीप 18.00 मी0 चौड़ी सड़क के द्वारा जोड़ने का निर्णय लिया गया था । इस सड़क का कार्य भी प्रश्नगत भूमि के अंश को छोड़कर सोलिंग के स्तर तक 90% पूर्ण किया जा चुका है । इस सड़क के एलाइनमेंट में सेक्टर (आई) से लगी हुई 14894.00 वर्गफुट भूमि श्री अतिकुर्रहमान की आ रही है । इस भूमि का अधिग्रहण किए जाने में अधिक समय लगने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए श्री अतीकुर्रहमान खान से आपसी समझौते के आधार पर क्रय किए जाने हेतु विमर्श किया गया ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समितियों के मामले में समायोजित की जा रही भूमि के क्षेत्रफल का 60% विकास शुल्क सहित प्राधिकरण की उसी योजना में विकसित भूमि देने पर विचार किया जाता रहा है । प्राधिकरण की बैठक दिनांक 8.3.99 में अलीगंज योजना सेक्टर (ए) में स्थित श्री टंडन की भूमि के बदले 40% भूमि विकास शुल्क लेकर श्री टंडन को भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया । परन्तु श्री खान इस पर सहमत नही है । उनका कहना है कि वह रु0 1111/- प्रति वर्ग मी0 की दर से कम पर भूमि विक्रय करने को तैयार नही हैं । क्योंकि उनकी भूमि प्राधिकरण की पूर्ण विकसित जानकी पुनम् योजना के सेक्टर (आई) से संलग्न है । उसके विकल्प में श्री रहमान प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में 500 वर्ग मी0 भूमि लेने को सहमत है परन्तु किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान विकास शुल्क अथवा फ्रीहोल्ड/निबंधन व्यय के रुप में करने को सहमत नही हैं ।

इस प्रकरण पर विचार करने हेतु एक बैठक उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 23.4.99 को हुई जिसमें अपर जिलाधिकारी भू-अध्याप्ति, अपर सचिव, ल0वि0प्रा0, वित्त एवं वित्तीय परामर्शदाता एवं अधिशासी अभियन्ता जोन-10, ल0वि0प्रा0 उपस्थित थे । इस बैठक में श्री रहमान की भूमि की जानकी पुरम् विस्तार योजना तथा प्राधिकरण हेतु महत्ता के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित निम्न बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की गई ।

क्रमशः 2

1. जानकी पुरम् विस्तार योजना के सुनियोजित विकास के लिए उक्त 18.00 मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाना अपरिहार्य है क्योंकि प्राधिकरण द्वारा योजना में 60 एकड़ भूमि सी0डी0आर0आई0 को विक्रय की जा चुकी है तथा शासन के निर्देशों के क्रम में योजना में 250 कल्याण कुटीर, 1750 आश्रय श्रेणी के तथा 813 देवरस प्रथम व द्वितीय श्रेणी के भवन निर्माणाधीन हैं । अतः योजना में पहुँचने हेतु उक्त मुख्य मार्ग का निर्माण आवश्यक है तथा इसके लिए श्री रहमान की भूमि प्राधिकरण द्वारा लिया जाना अपरिहार्य है ।

2. उक्त भूमि का अर्जन जानकी पुरम् विस्तार योजना की भूमि के अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित नही थी तथा यदि अब अर्जन प्रारम्भ किया जाता है तो उसमें अत्यधिक समय लगने की सम्भावना है । अतः श्री रहमान खान की भूमि को आपसी समझौते के आधार पर ही लिया जाना प्राधिकरण व योजना के हित में है । जिसमें निर्माणाधीन भवनों, भूखण्डों, बल्कसेल भूमि के विक्रय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

3. श्री रहमान खान द्वारा भूमि का मूल्य रु0 1110.00 प्रतिवर्ग मीटर मांगा जा रहा है जो कि दिया जाना सम्भव नही है ।

4. भूमि समायोजन के मामलों में प्राधिकरण द्वारा विकसित योजना में 2/3 -1/3 का सिद्वान्त अपनाया जाता है अर्थात ली गई भूमि का 1/3 प्राधिकरण की विकसित कालोनी में उपलब्ध करा दिया जाता है, परन्तु जानकी पुरम् योजना अभी विकसित नही हुई है । अतः प्राधिकरण के गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में श्री रहमान खान को ली गई भूमि का 1/3 विकसित भू-खण्ड उपलब्ध कराया जा सकता है ।

5. उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 को उपरोक्तानुसार श्री रहमान खान को 1/3 भूमि गोमती नगर योजना के फेज-2 में उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकृत कर दिया जाय । दी गई भूमि के फ्री होल्ड / निबंधन व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा । श्री रहमान खान के भूमि के निबंधन का व्यय श्री रहमान द्वारा कृषि योग्य भूमि के आधार पर वहन किया जायेगा ।

समिति की संस्तुति है कि चूंकि यह विशिष्ट प्रकार का प्रकरण है, अतः यह भविष्य के लिए दृष्टांत नही होगा तथा इसका अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से प्राप्त कर लिया जाय ।

ओ0पी0 मिश्र
अधि0अभि0 जोन--10

के0पी0 सक्सेना
ला0वि0 परामर्शदाता

शमी उल्लाह अंसारी
अपर जिलाधिकारी भू0अध्याप्ति

भूपेन्द्र सिंह

बलविन्दर कुमार

विषयः शौर्य चक्र से सम्मानित ले0 कर्नल एम0 सी0 शर्मा की पत्नी श्रीमती कल्याणी शर्मा तथा कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त राइफल मैन सुनील जंग के पिता को निर्माण लागत पर विना लाभ–हानि के वरीयता के आधार पर भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावः–

1– नागालैण्ड में उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए 22 मई, 1998 को वीरगति को प्राप्त, शौर्य चक्र से सम्मानित ले0 कर्नल एम0 सी0 शर्मा की पत्नी द्वारा अपनी आवासीय समस्या के निवारण हेतु आवास की मांग की गयी है।

2– इसी प्रकार कारगिल युद्ध में सुबेदार (अवकाश प्राप्त) नर नरायन जंग के इकलौते पुत्र सुनील जंग राइफल मैन के पिता द्वारा श्री सुनील जंग के परिवार की आवासीय समस्या के समाधान हेतु रियायती दर पर किश्तों पर आवास आबंटित किये जाने की मांग की गयी है।

प्राधिकरण में वर्तमान में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत लाटरी के अतिरिक्त किसी को भूखण्ड सीधे आबंटित किये जाने का कोई नियम नहीं है परन्तु दोनों सेना अधिकारियों को, जिनमें से एक शौर्य चक्र से सम्मानित है तथा दूसरे ने कारगिल में भारत–पाक युद्ध में दिनांक 15 मई, 1999 को वीरगति प्राप्त की है, को प्राथमिकता के आधार पर विशेष परिस्थितियों में निर्माण लागत पर विना लाभ–हानि के भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की जाती है। कृपया प्राधिकरण इन दोनों सेना के अधिकारियों को विशेष परिस्थितियों में निर्माण लागत पर विना लाभ–हानि के सीधे भवन/भूखण्ड आबंटित किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का कष्ट करें।

विषय: श्रीमती अर्चना कालिया को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवंटित भवन के मूल्य में छूट दिये जाने से सम्बन्धित।

श्रीमती अर्चना कालिया को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में एच0 आई0 जी0 भवन संख्या: 5/449 आवंटित किया गया था जिसका आवंटन पत्र दिनांक 25–06–99 को निर्गत किया गया था। इस भवन का विक्रय मूल्य रुपया:10,73,500/= है। श्रीमती कालिया ने अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 28–06–99 द्वारा अनुरोध किया है कि उन्हें विना लाभ–हानि पर भवन आवंटित किया जाये और मूल्य में 10% की रियायत दी जाये।

2– यहां पर यह उल्लेखनीय है कि श्रीमती कालिया स्वर्गीय मेजर के0 कालिया की धर्मपत्नी हैं। श्री कालिया आसाम में उल्फाओं से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उन्हें शौर्य चक्र, भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था।

3– यहां पर यह उल्लेखनीय है कि गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में एच0 आई0 जी0 भवनों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। अतः मार्च, 1997 में इन भवनों का विक्रय मूल्य फ्रीज कर दिया गया था। तब से उपरोक्त मूल्य पर ही भवनों का विक्रय किया जा रहा है और अब थोड़े से भवन निस्तारण हेतु शेष रह गये हैं। वर्ष 1993 में जब प्रथम–बार रिक्त सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु शिविर लगाया गया था तब उपरोक्त प्रकार के भवनों का विक्रय मूल्य रुपया:7,50,000/= निर्धारित किया गया था। इस मूल्य में पार्क, स्पोर्ट्स तथा ट्रैफिक हेतु 5% का प्राविधान रुपया: 23,835.00 तथा सम्पत्तियों के अनुरक्षण एवं अप्रत्याशित व्ययों हेतु 10% अर्थात् रु0:51,007.00 का प्राविधान किया गया था। इन दोनों धनराशियों का योग रुपया:74,842/= आता है। अतः आवंटन पत्र में अंकित विक्रय मूल्य रुपया:10,73,500/= में रुपया: 74,842/= की छूट उपरोक्त परिस्थितियों में दी जा सकती है।

4– प्राधिकरण कृपया निर्णय लेना चाहे।

भूखण्ड संख्या ४ए, ४बी, तथा ४सी मीराबाई मार्ग के भू-प्रयोग को 'आवासीय' से 'बाजार स्ट्रीट, व्यवसायिक' में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में।

डा० बी०एन०टण्डन तथा श्री मोहित मेहरोत्रा द्वारा दिनांक २७.२.९९ को प्राधिकरण में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें इनके द्वारा प्रश्नगत स्थल पर व्यवसायिक क्रियाकलाप एवं ध्वनि प्रदूषण इत्यादि के कारण स्थल का उपयोग आवासीय में न किए जाने की सम्भावना व्यक्त करते हुए स्थल के भू-प्रयोग को 'व्यवसायिक, बाजार स्ट्रीट' में परिवर्तित किए जाने का अनुरोध किया है। इस सम्बन्ध में स्थल का सर्वेक्षण कराया गया। स्थल पर मीराबाई मार्ग के एक ओर मुख्य रूप से शक्ति भवन, सेल टैक्स भवन आदि कार्यालय स्थित हैं जबकि दूसरी ओर सड़कों के पश्चात् लगभग ७ मीटर की चौड़ाई में मुख्य मार्ग पर छोटी-छोटी दुकाने बनी हुई हैं। उक्त भवन के सामने महायोजना २००१ के अनुसार 'राजकीय/अर्द्ध राजकीय कार्यालय' स्थित हैं जबकि दूसरी ओर राम तीर्थ मार्ग व विधान सभा मार्ग के मध्य 'केन्द्रीय वाणिज्यक केन्द्र' स्थित है। राम तीर्थ मार्ग से संलग्न सम्पत्तियों का भू-प्रयोग मार्ग के मध्य से ३० मीटर तक 'बाजार स्ट्रीट' के रूप में घोषित है। स्थल का स्केच प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में मीराबाई मार्ग से संलग्न सम्पत्तियों के 'आवासीय' भू-प्रयोग को 'बाजार स्ट्रीट, व्यवसायिक' में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्याः ०८ पृष्ठ संख्याः ३७

विषयः "सिण्डर्स डम्प, आलमबाग में निर्माणाधीन अन्तर्जनपदीय बस टर्मिनल के भू–प्रयोग को बस टर्मिनल से बस टर्मिनल तथा व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 9.6.98 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा सिण्डर्स डम्प, आलमबाग में 6.1 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को अन्तर्जनपदीय बस टर्मिनल के निर्माण हेतु हस्तान्तरित की गई थी, जिसके क्रम में परिवहन निगम द्वारा प्राधिकरण में आई0डी0बी0टी0 निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया। मानचित्र में प्रस्तावित व्यवसायिक निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए स्थल के भू–प्रयोग को " बस टर्मिनल" से " बस टर्मिनल/व्यवसायिक" में परिवर्तित किए जाने हेतु प्रस्ताव संख्या 10 प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.11.98 में प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त स्थल के भू–प्रयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को औचित्यपरक नहीं पाया गया तथा यह निर्देश दिए गए कि बस अड्डे के निर्माण की योजना को "वायबल" बनाए जाने हेतु 50–60 दुकानों के निर्माण की अनुमति तो प्रदान की जा सकती है, परन्तु स्थल पर व्यवसायिक केन्द्र बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

परिवहन विभाग द्वारा इस प्रकरण को शासन के संज्ञान में लाते हुए यह अनुरोध किया गया कि प्रस्तावित व्यवसायिक निर्माण से ही बस अड्डे की योजना वायबल हो सकेगी। अतः उन्हें प्रस्तावित व्यवसायिक निर्माण की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकरण को मुख्य सचिव महोदय को संदर्भित किया गया। उनके द्वारा विचारोपरान्त योजना हेतु अनुमन्य 100 एफएआर में से 40 एफएआर परिवहन से सम्बन्धित उपयोग तथा 60 एफएआर व्यवसायिक/ कार्यालय उपयोग हेतु करने की अनुमति प्रदान की गई।

उक्त स्थल का भू–प्रयोग "बस टर्मिनल" निर्धारित है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को पुनः प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति हेतु गठित उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र को इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि प्रश्नगत स्थल के भू–प्रयोग परिवर्तन की औपचारिक कार्यवाही शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में पूर्ण कर ली जाए। तदनुसार प्रश्नगत स्थल के भू–प्रयोग को "बस टर्मिनल" से " बस टर्मिनल/व्यवसायिक" में परिवर्तन किए जाने हेतु औपचारिक प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के सम्बन्ध में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय : लखनऊ नगर की महायोजना २००१-२०२१ की संरचना हेतु एजेन्सी के चयन से सम्बन्धित प्रस्ताव।

लखनऊ नगर की महायोजना
२००१-२०२१ की संरचना
हेतु एजेन्सी के चयन
से सम्बन्धित प्रस्ताव
अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषयः <u>दण्ड व्याज माफ किये जाने से सम्बन्धित।</u>

श्री बाबू राम शुक्ला तथा श्री राम नरायण पाण्डेय को अलीगंज योजना के सेक्टर "बी" में क्रमशः भवन सं0 ई-1/36 व ई-1/32 वर्ष,1975 में आवंटित किये गये थे। प्रारम्भ में धनराशि की वसूली 12 वर्षो में छमाही किश्तों में किये जाने का निर्णय लिया गया था, उसके पश्चात इस प्रकार के भवनों के समस्त आवंटियों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनों के फलस्वरुप लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 20 वर्षो में, छमाही किश्तों में धनराशि लिये जाने का निर्णय लिया गया था।

2- चूँकि उपरोक्त आवंटियों द्वारा देय किश्तों की धनराशि निर्धारित तिथियों तक जमा नहीं की गई थी, अतः ल0वि0प्रा0 द्वारा धनराशि की वसूली हेतु आर0सी0 निर्गत कराई गई, जिसके विरुद्व उपरोक्त आवंटियों ने अपने वाद सिविल कोर्ट में दायर किये। श्री बाबू राम शुक्ला के पक्ष में न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.5.84 तथा श्री राम नरायण पाण्डेय के सम्बन्ध में न्यायालय का निर्णय 12.8.85 को हुआ। उपरोक्त दोनों ही आवंटियों के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को आबट्रिटर बनाया गया तथा निर्देश दिये गये कि तीन माह में पंचाट निर्णय ले लिया जाय। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त आवंटियों ने अपना संयुक्त प्रत्यावेदन माह अप्रैल,99 में दिया, जिसके साथ प्रथम प्रत्यावेदन वर्ष,1988 की प्रति संलग्न की गई है। प्रत्यावेदन में निम्न बिन्दुओं पर प्रार्थना की है:-

I: लगभग रु0 11,000/= का प्रस्तावित भवन 20 वर्षो में 7.5 प्रतिशत व्याज सहित लगभग रु0 28,000/= का हो गया है।

II: ई0डब्लू0एस0 के भवन लागत मूल्य पर आवंटियों को दिये जाने थे तथा कोई लाभ नहीं लिया जाना चाहिए था जबकि 5 प्रतिशत लाभ लिया गया है।

III: भुगतान की अवधि को 12 वर्षो से 20 वर्ष करने में काफी समय लगा।

IV: उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में बढ़े हुए दंड व्याज को माफ करके भवनों को फ्री-होल्ड कराया जाय।

3- उपरोक्त बिन्दुओं की समीक्षा की गई तथा स्थिति निम्नवत् पाई गईः-

I : रु0 11,000/= का भवन 20 वर्षो की छमाही किश्तों में 7.5 प्रतिशत व्याज सहित रु0 28,000/= का हो जाना स्वाभाविक है। जहाँ तक प्रार्थयों का कहना है कि लगभग रु0 32,000/= रु0 33,000/= जमा कर दिये गये है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि नियमित रुप से किश्तें जमा न करने के कारण दंड व्याज देय है जिसके कारण धनराशि बढ़ी है। अतः आवंटियों का उपरोक्त विन्दु मान्य नहीं है।

II : वर्ष, 1975 में आवंटन के समय जब इन भवनों का मूल्य निकाला गया

था, उस समय यह कार्य अभियन्त्रण खण्ड द्वारा किया जाता था और पुराने अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, अतः अब इस स्तर पर यह नहीं बताया जा सकता कि भवन की लागत में लाभांश सम्मलित है अथवा नहीं ।

III. जहाँ तक १२ वर्षो से २० वर्ष समय बढ़ाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पत्रावली से यह प्रतीत होता है कि वर्ष १९७८ में २० वर्ष समय करने का निर्णय लिया गया था ।

IV. निर्धारित देय तिथियो तक धनराशि जमा न करने के कारण (दि०३०.६.९९ भुगतान की तिथि मानते हुए) दंड ब्याज की गणना कराई गई, जो निम्नवत् आती है :

नाम	दंड ब्याज की धनराशि
श्री बाबू राम शुक्ल	रू० ३१,१३८.७३
श्री राम नरायण पाण्डेय	रू० ३२,८००.५०

३. उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० द्वारा उपरोक्त दोनो आवंटियो को दि०१६.६.९९ को सुनवाई हेतु बुलाया गया । सुनवाई के दौरान उपरोक्त दोनो आवंटियो द्वारा बताया गया कि वह शिक्षक हैं और उपरोक्त दंड ब्याज की धनराशि उनके द्वारा जमा किया जाना संभव नहीं है । अतः उन्होंने उपरोक्त पूरे दंड ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया है। तद्नुसार विषय प्राधिकरण के समक्ष निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है ।

विषयः <u>हरदोई रोड योजना में 220/132के0वी0 सब स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन से सम्बन्धित।</u>

हरदोई रोड योजना में 220/132के0 वी0 सब स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि की दर के अनुमोदन हेतु विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-7-98 में विषय सं0-15 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक में रखा गया विषय तथा लिया गया निर्णय संलग्न है (संलग्नक-1 व 2)।

2. उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार रु0:510.00प्र0व0मी0 की दर से 15 एकड़ भूमि के आवंटन का प्रस्ताव पत्र दिनांक 17-7-98 द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को भेजा गया था, जिसमें उपरोक्त दर से देय धनराशि रु0:340.548लाख की माँग की गई थी।

3. चूँकि माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा माह नवम्बर, 98 में उपरोक्त सब स्टेशन के निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाना था, अतः उस समय उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि 12.35 एकड़ (15 एकड़ के स्थान पर) भूमि के मुआवजे के लिये रु0:75,04,500.00 की धनराशि तत्काल ल0वि0प्रा0 को उपलब्ध करा दी जायें, जिससे प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को भूमि का कब्जा दिया जा सके। अतः उपरोक्त धनराशि का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् ही भूमि का कब्जा उपरोक्त परिषद के प्रतिनिधि को नवम्बर, 98 में दे दिया गया। उसके पश्चात् कार्यालय के पत्र दिनांक 28-11-98 द्वारा सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन को सूचित किया गया कि पूर्व में प्रस्तावित भूमि का स्थल भी परिवर्तित कर दिया गया है, और जो स्थान उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा उपयुक्त पाया गया, वह भूमि व्यवसायिक है। अतः प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक में अनुमोदित दर रु0:510.00प्र0व0मी0 की दोगुनी दर अर्थात् रु0:1020.00प्र0व0मी0 से देय धनराशि रु0:560.766लाख में से प्राप्त धनराशि को घटाकर शेष धनराशि रु0:485.721लाख की माँग की गयी थी तथा यह भी सुझाव दिया गया कि यदि शेष धनराशि का भुगतान उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद करने में असमर्थ है, तो इस धनराशि का समायोजन ल0वि0प्रा0 के लिये 33/11के0 वी0 सब स्टेशनों के निर्माण में होने वाले व्यय में किया जा सकता है। उसके पश्चात् पत्र व्यवहार चलता रहा। अंततः दिनांक 29-5-99 को सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन के स्तर पर बैठक हुई, जिसमें उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद तथा ल0वि0प्रा0 के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। इस बैठक में सचिव, ऊर्जा द्वारा बताया गया कि उन्होंने पहले ही अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 17-11-98 द्वारा सूचित किया था कि माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भूमि के अधिग्रहण के मूल्य के समतुल्य रु0:75,04,500.00 की धनराशि का भुगतान कर दिया जायें। तद्नुसार उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद द्वारा भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार अन्य कोई धनराशि देय नहीं है। शासन या माननीय मंत्री जी का इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं प्राप्त है। अतः विषय निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है।

------0------

विषय:- हरदोई रोड योजना में 220/132 के0वी0 सबस्टेशन के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन से सम्बन्धित ।

अधीक्षण अभियन्ता,विद्युत प्रेषण मण्डल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 12-6-98 द्वारा हरदोई रोड योजना में 220/132/33 के0वी0 उपकेन्द्र हेतु 15 एकड़ भूमि की मांग की । साथ ही उपरोक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को उपरोक्त उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाये।

2. इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि हरदोई रोड योजना में कृषकों से प्रतिकर के सम्बन्ध में जो समझौता किया गया है उसके अनुसार 1,25,000/- प्रति बीघा का भुगतान किया जाना है। अतः उपरोक्त दर से भूमि की लागत लगाते हुए दिनांक 30-9-98 (30-9-98भुगतान की तिथि मानते हुए) तक चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हुए भूमि की लागत निकाली गयी जो रूपया 278/- प्र0व0मी0 आती है। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को जो भूमि दी जायेगी उसमें ड्रेन सीवर तथा एस0डब्लू0 ड्रेन की सुविधा भी उपरोक्त विभाग द्वारा प्राप्त की जायेगी। अतः उपरोक्त दोनों मदों का बाह्य विकास व्यय निकाला गया है जो रूपया 232/- प्र0व0मी0 आती है। इस प्रकार दर रूपया 510/- प्र0व0मी0 आती है जबकि आवासीय भूमि की दर इस समय 1500/- प्र0व0मी0 से कम नहीं आ रही है। उपरोक्त दर से 15 एकड़ भूमि का प्रीमियम रूपया 309.585 लाख आता है। 10% लीज रेण्ट रूपया 30.958 लाख एवं रूपया 500/- अन्य व्यय देय होगा। इस प्रकार कुल देय धनराशि रूपया 340.548 लाख आती है।

3. उपरोक्त दर से 15 एकड़ भूमि के आवंटन का प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता विद्युत प्रेषण मण्डल उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद को इस कार्यालय के पत्र संख्या: 1937/प्र0अ0/बी0एस0/98 दिनांक 17-7-98 द्वारा भेज जा चुका है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद काफी समय से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करता आ रहा है परन्तु भूमि की लागत (प्रतिकर ब्याज सहित) तथा उन बाह्य विकास सुविधाओं की लागत जो उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद द्वारा प्राप्त की जायेगी को तो लिया ही जाना चाहिए। तदनुसार ही न्यूनतम दर उपरोक्तानुसार 510/- प्र0व0मी0 निकाली गयी है। कृपया अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया।

(अ) महायोजना मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर की रहेगी।

(ब) जो भूखण्ड अब तक निस्तारित कर दिये गये हैं, उसके अतिरिक्त अन्य भूखण्डों का निस्तारण व्यावसायिक उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा।

(स) निस्तारित किये गये भूखण्डों पर निर्माण की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नाले के लिए उपलब्ध पहुंच मार्ग में कोई अवरोध न हो तथा नाले की चौड़ाई एवं जल निकासी में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

(य) उपरोक्तानुसार निस्तारित भूखण्डों का पुनर्नियोजन करने के उपरान्त प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाये।

विषय संख्या : 13 आवंटित भूखण्डों/भवनों को फ्री-होल्ड किये जाने से संबंधित।

निर्णय : प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या : 14 हरदोई रोड योजना में कूड़े से बिजली बनाने हेतु नगर निगम को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या : 15 हरदोई रोड योजना में 220/132 के0वी0 सब स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन से संबंधित।

निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या : 16 अलोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण से संबंधित

निर्णय : गोमती नगर योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सम्पत्तियों को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं हेतु अलोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में उक्त प्रस्ताव का प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या : 17 गोमती नगर योजना के विराज खण्ड में नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के भवन निर्माण हेतु टेकेन लीज रेन्ड लिए जाने से संबंधित।

निर्णय : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या : 18 स्कूल भूखण्डों के आवंटन से संबंधित।

निर्णय : स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में प्रबन्ध संस्थान से संबंधित प्रस्ताव को छोड़कर अन्य सभी शैक्षिक संस्थाओं को आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों से संबंधित

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनिस्तारित व्यवसायिक भवनो के सम्बन्ध में,

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नन्दा खेडा, कैलाश कुन्ज, विकास दीप, कंचन मार्केट, अलीगंज योजना के सेक्टर 'जी' में (प्रथम तल पर) व्यवसायिक भवन/दुकाने निर्मित कराई गई थी, परन्तु इन योजनाओं में अनेको प्रयास करने के पश्चात् भी संपत्ति का निस्तारण नहीं हो पाया है । नन्दा खेडा, कैलाश कुन्ज, विकास दीप तथा कंचन मार्केट के सम्बन्ध में विषय प्राधिकरण की बैठक दि०६.१२.९६ में विषय सं०५ के अर्न्तगत रिक्त, रिक्त संपत्तियो की दरे फ्रीज करने के सम्बन्ध में रखा गया था । प्राधिकरण की बैठक में रखा गया विषय तथा लिया गया निर्णय संलग्न है (संलग्नक-१) ।

२. प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात् उपरोक्त स्थानो की संपत्तियो के निस्तारण हेतु समाचार पत्रो में कई बार सूचनाये प्रकाशित कराई गई परन्तु फिर भी संपत्तियो का निस्तारण नहीं हो पाया । अतः ज्वाइन्टवेन्चर द्वारा इन संपत्तियो के निस्तारण के सम्बन्ध में विषय प्राधिकरण की बैठक दि०२७.११.९८ में विषय सं०६ के अर्न्तगत प्रस्तुत किया गया था । प्राधिकरण की बैठक में रखा गया विषय तथा निर्णय संलग्न है (संलग्नक-२) । इस बैठक में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात् आफर्स आमंत्रित किये गये परन्तु कोई भी आफर प्राप्त नहीं हुआ, फलस्वरूप इन संपत्तियो का निस्तारण नहीं हो पाया है । संक्षेप में इन संपत्तियो के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :

(i) नन्दा खेडा

इस योजना में विभिन्न प्रकार के २८ भवन, विभिन्न आकार की १३४ दुकाने एवं ८० काउन्टर्स हैं । इनका निर्माण वर्ष १९८६ में प्रारंभ किया गया था तथा वर्ष १९९० में निर्माण पूर्ण हुआ । उपरोक्त व्यवसायिक केन्द्र की फ्रीज्ड लागत रू०३४५.८० लाख है ।

(ii) कैलाश कुन्ज

उपरोक्त योजना में बेसमेण्ट, भू-तल तथा प्रथम तल पर दुकाने, काउन्टर्स तथा कियास्को का निर्माण किया गया है । इस योजना में निर्माण कार्य १९८७ में पूर्ण हुआ था । वर्ष १९८८-८९ में कार्यालय क्षेत्रफल लाटरी निदेशालय को पूर्ण भुगतान के आधार पर विक्रय कर दिया गया था तथा उनसे पूरी धनराशि प्राप्त हो गई थी परन्तु इस योजना में २९३दुकाने/कियास्क रिक्त हैं जिनका फ्रीज्ड मूल्य रू०१५०.४८ लाख है ।

क्रमशः...

(III) विकास दीप योजना

यह योजना विधान सभा मार्ग पर स्थित है । इसमें बेसमेण्ट, भू-तल तथा प्रथम तल पर दुकानो का निर्माण किया गया है तथा इसके ऊपर १२ मंजिल तक कार्यालय क्षेत्रफल का निर्माण किया गया था । दुकानो के अतिरिक्त समस्त कार्यालय क्षेत्रफल का निस्तारण पूर्ण भुगतान के आधार पर काफी समय पूर्व हो चुका है । इस योजना में वर्ष १९८६ में कार्य समाप्त हो गया था । इस योजना में बेसमेण्ट, भू-तल तथा प्रथम तल पर ६४ दुकाने रिक्त हैं, जिनका फ्रीज्ड मूल्य रू०११८.७५ लाख है ।

(II) कंचन मार्केट

यह व्यवसायिक केन्द्र चौक मे स्थिति है, इसमें ७६ दुकाने रिक्त हैं, जिनका फ्रीज्ड मूल्य रू०१५८.५७ लाख है ।

(I) अलीगंज योजना के सेक्टर 'जी' का व्यवसायिक केन्द्र

इस व्यवसायिक केन्द्र में भू-तल पर दुकाने, प्रथम तल पर कार्यालय क्षेत्रफल का निर्माण किया गया है। यह व्यवसायिक के-द्र ५ ब्लाक्स में विभाजित है इसमें तीन ब्लाक्स में प्रथम तल का क्षेत्रफल ८३२.२६व०मी० अनिस्तारित है और वर्तमान दर के अनुसार इसका मूल्य रू०९६.०० लाख (लगभग) है ।

३. शासनादेश सं०११४२/९-आ-१-१९९६-दि०११.३.९६ (संलग्नक-३) में व्यवसायिक संपत्तियो के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया अंकित है । चूंकि इन संपत्तियो का निस्तारण सतत् प्रयास करने के पश्चात् भी नहीं हो पा रहा है, अतः विषय प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है ।

(मा.ल.प्र.) तक 1986-12-96 की बैठक सं० 5 व निर्णय

विकास खंड सं०: 5

पृष्ठ : ४६

संलग्नक-1

विषय: अलोकप्रिय संपत्तियो के निस्तारण से सम्बन्धित,

आख्या: अलोकप्रिय संपत्तियो के निस्तारण के सम्बन्ध में दो शासनादेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें शासनादेश सं0440/9-आ-1/96 दि0फरवरी,96 (संलग्नक-1) में आवासीय संपत्तियो के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है । शासनादेश सं01142/9-आ-1-1996 दि011·3·96 (संलग्नक-2) में व्यवसायिक संपत्तियो के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया अंकित की गई है ।

2· ल0बे0प्रा0 का निम्नोलिखित तीन योजनाओं में गत कई वर्षो से कई बार पंजीकरण कराने के पश्चात् भी आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियो का निस्तारण नहीं हो पाया, इसका कारण यह भी हो सकता है कि मूल लागत पर प्रतिवर्ष 16 से 18प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, विलंबयोजन पर मानते हुए, लगाया जाता रहा है । प्रत्येक स्थान के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :

1· <u>गुलबा सेक्टर</u>

इस योजना में विभिन्न प्रकार के 28 भवन तथा विभिन्न आकार की 134दुकानो तथा 80 काउन्टर्स का निर्माण वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया था । उपरोक्त निर्माण कार्य वर्ष 1990 में समाप्त हुआ, उसके पश्चात् विकास कार्य प्रारंभ किया गया । निर्माण कार्य तथा विकास कार्यो पर जो व्यय हुआ, उसका विवरण अनुलग्नक-3 (पृ 45) में दिया हुआ है । उपरोक्त विवरण के अनुसार जो व्यय किया गया है, उसमें मूल लागत पर आधा अवधि का ब्याज लगाया गया है, जिससे और लागत अधिक न बढ़े ।

उपरोक्त योजना में प्रथमबार दि01·1·88 से 25·1·88 तक तथा द्वितीय बार दि05·2·90 से 5·3·90 तक दुकानो/भवनो का पंजीकरण खोला गया था । प्रथम बार भवनो व दुकानो हेतु 131 पंजीकरण तथा द्वितीय बार भवनो व दुकानो हेतु 5 पंजीकरण हुए थे । उसके पश्चात् नवम्बर93 में प्रथम कैश सेल, ल0बे0प्रा0 द्वारा लगाई गई थी, उसके पश्चात् कैश सेल वर्ष 1994,1995 में भी लगाई गई, परन्तु उपरोक्त संपत्तियो का निस्तारण नहीं हो पाया । उपरोक्त पंजीकरण के आधार पर दुकानो के सामने के भाग आवंटित किये गये थे, उनके आवंटियो ने या तो धनराशि जमा नहीं की, या जमा धनराशि वापस ले ली । केवल दो भवनो के आवंटन हुए हैं तथा एक भवन ल0बे0प्रा0 के कर्मचारी को आवंटन हेतु प्रस्तावित है। इस योजना में किसी भी सम्पत्ति ----------

क्रमशः·····2

का कोई अनुबन्ध/निबन्धन नहीं हुआ है । अतः संलग्नक-3 में दिये हुए व्यय के विवरण के आधार पर उपरोक्त योजना की लागत निकाली गई है, जो रु0 345·80 लाख आती है । संलग्नक-3 में रु05·00 लाख मरम्मत हेतु प्राविधान किया गया है । मरम्मत पर व्यय करने के पश्चात् बिल्डिंग पूर्ण हो जावेगा तथा उसमें अन्य कोई कार्य नहीं किया जाना है । यदि रु05·00 लाख का व्यय अनुरक्षण पर न भी किया जायें तो रु05·00 लाख घटाकर शेष लागत पर बिल्डिंग का निस्तारण यथावत् किया जा सकता है ।

2- कैलाश कुन्ज योजना

उपरोक्त योजना में बेसमेण्ट, भू-तल तथा प्रथम तल पर दुकाने, काउन्टर्स तथा कियास्क का निर्माण किया गया था, उसके पश्चात् तीन तलो पर कार्यालय क्षेत्रफल का निर्माण किया गया था । इस योजना में निर्माण कार्य वर्ष 1987 में पूर्ण हुआ था । वर्ष 1988-89 में कार्यालय क्षेत्रफल लाटरी निदेशालय को पूर्ण विक्रय के आधार पर विक्रय कर दिया गया था तथा उनसे पूरी धनराशि प्राप्त हो गई थी । दुकाने/कियास्क/काउन्टर्स के निस्तारण हेतु वर्ष 1987 से ही पंजीकरण प्रारंभ कर दिया गया था । इस योजना में 134 दुकाने, 147 कियास्क, 61 काउन्टर्स शो केस-26 हैं जिनमें से 16 दुकाने, 40 कियास्क, 18 काउन्टर्स, शो-केस का आवंटन हो चुका है और आवंटियो ने धनराशि जमा करके अनुबन्ध/निबन्धन करा लिये हैं । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 के अनुसार इस योजना में भी समय समय पर पंजीकरण खोले गये थे, वर्ष 1993 से कैश सेल में भी निस्तारण करने का प्रयास किया गया परन्तु निस्तारण नहीं हो पाया । इस योजना मे अंतिम विक्रय दि06·2·87 को हुआ था । अतः वर्ष 1987 के मूल्य पर अवशेष दुकानो, कियास्को तथा काउन्टर्स की लागत निकाली गई है, जिसका विवरण संलग्नक-4 में दिया हुआ है ।

3- विकासदीप योजना

यह योजना विधान सभा मार्ग पर स्थित है, इसमें बेसमेण्ट, भू-तल तथा प्रथम तल पर दुकानो का निर्माण किया गया था तथा उसके ऊपर बारह मंजिल तक कार्यालय क्षेत्रफल का निर्माण किया गया था । दुकानो के अतिरिक्त समस्त कार्यालय क्षेत्रफल का निस्तारण पूर्ण विक्रय के आधार पर काफी समय पूर्व हो चुका है । यह योजना वर्ष 1982 में प्रारंभ की गई थी तथा इस योजना में कार्य वर्ष 1986 में समाप्त हो गया था।

इस योजना में विभिन्न आकारों का प्रथम लेविल का 71, द्वितीय लेविल-45, तृतीय लेविल का 63 दुकानों का निर्माण किया गया है । उपरोक्त के विपरीत प्रथम लेविल का 27, द्वितीय लेविल का 12, तृतीय लेविल का 34 दुकाने रिक्त हैं । प्रथम लेविल पर 44, द्वितीय लेविल पर 33, तृतीय लेविल पर 29 दुकानों का निस्तारण हो चुका है, तथा अनुबन्ध/निबन्धन हो चुके हैं ।

उपरोक्त योजना में अंतिम बार आवंटन माह अगस्त,91 में हुआ था । यह दुकाने प्रथम लेविल (बेसमेण्ट) की थी जो 6·9406व0मी0 की थी और रू0128200·00 पर निस्तारित हुई थी, उसके पश्चात् 1992 में पंजीकरण खोला गया था एवं वर्ष 1993 से 1995 तक का समय समय पर जो कैश सेल लगाई गई, उसमें भी विकास दीप की दुकानों के निस्तारण हेतु प्रयास किया गया, परन्तु मूल्य अधिक होने के कारण निस्तारण नहीं हो पाया । अतः वर्ष 1991 में जो विक्रय दर प्राप्त हुई थी, उसी के आधार पर शेष दुकानों की लागत निकाली गई है जो प्रथम लेविल पर रू018471/- द्वितीय लेविल रू020,247·00 तथा तृतीय लेविल रू016837/-प्र0व0मी0 आती है, और जितनी दुकाने उपलब्ध हैं, उनकी कुल लागत रू0118·75 लाख आती है, इसका विवरण संलग्नक-5 में दिया हुआ है।

3· उपरोक्त तीनों ही स्थानों की संपत्तियों के विक्रय हेतु यह प्रस्ताव है कि निम्नवत् सोल्ड आफर्स, संलग्नकों में दर्शाये गये मूल्य पर, आमंत्रित कर लिये जायें:

क: नन्दा खेड़ा योजना में पूरी संपत्ति के सोल्ड आफर्स संलग्नक-3 में दर्शाई लागत पर आमंत्रित किये जायें ।

ख: विकासदीप तथा कैलाश कुन्ज में जो दुकाने रिक्त है, उनमें दो प्रकार से सोल्ड आफर्स आमंत्रित किये जा सकते हैं - एक तो कुल संपत्ति का, दूसरे लेविल/तल-वार ।

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि अलोकप्रिय संपत्तियों का निस्तारण प्रस्ताव के अनुसार फीज की गई दर पर रिर्जव कीमत निर्धारित करके केवल नीलामी द्वारा ही किया जायेगा ।

संलग्नक-2

ल० वि० प्रा० की बैठक दि० 27-11-96 का विषय सं० 6 का विवरण व निर्णय

विषय संख्या : 6 :

संलग्नकः २

पृष्ठ संख्या : ४९

विषयः अलोकप्रिय सम्पत्तियों के निस्तारण से सम्बन्धित (ज्वाइंट बेन्चर द्वारा)

लखनऊ विकास प्राधिकरण की निम्नलिखित तीन योजनाओं में गत कई वर्षों से [illegible] पंजीकरण कराने के पश्चात भी आवासीय/ व्यवसायिक सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं हो पाया, अतः गत विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6.12.96 में विषय संख्या-6 के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति की दरें फ्रीज़ करने के सम्बन्ध में रखा गया था। प्राधिकरण की बैठक में रखा गया विषय तथा लिया गया निर्णय संलग्न है (संलग्नक-1)

2. प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात उपरोक्त तीनों स्थानों की सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु समाचार-पत्रों में कई बार सूचनाऐं प्रकाशित कराई गई परन्तु फिर भी सम्पत्ति का निस्तारण नहीं हो पाया। ज्ञात हुआ है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार की सम्पत्तियों का निस्तारण ज्वाईंट बेंन्चर द्वारा किया गया है, इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्न है :-

(क) प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक में उपरोक्त तीनों सम्पत्तियों का जो मूल्य दिया गया था, उसी के अनुसार न्यूनतम आरक्षित मूल्य रखा जायेगा इसी न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर सीलड आफर्स आमंत्रित किये जायेंगे।

(ख) इस सम्पत्ति में आवश्यक संशोधन/ परिवर्तन/ परिवर्धन डेवलपर/ बिल्डर द्वारा मध्यगणना में प्रस्तावित प्राविधानों के अनुसार इस प्रकार किया जा सकता है। जिससे बाजार में सम्पत्ति ग्राहकों की रूचि के अनुरूप इसका विक्रय किया जा सके।

(ग) डेवलपर/ बिल्डर लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम से सम्पत्ति का विक्रय करेगा तथा सम्पत्ति का मूल्य उसी के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(घ) चूंकि बिल्डर/ डेवलपर को आवासीय/ व्यवसायिक सम्पत्तियों के विक्रय का प्रयाप्त अनुभव होता है अतः ऐसी सम्पत्ति को वह विक्रय कर सकेंगे।

3. उपरोक्त से सम्बन्धित शर्तें संलग्न है (संलग्नक-2)। चूंकि उपरोक्त पद्धति प्रथम बार लखनऊ विकास प्राधिकरण में अपनाई जा रही है।

अतः विषय प्राधिकरण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

संलग्नक : 1

विषय: अलोकप्रिय संपत्तियो के निस्तारण से सम्बन्धित,

आख्या: अलोकप्रिय संपत्तियो के निस्तारण के सम्बन्ध में दो शासनादेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें शासनादेश सं0440/9-आ-1/96 दि0फरवरी,96 (संलग्नक-1) में आवासीय संपत्तियो के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है । शासनादेश सं01142/9-आ-1-1996 दि011.3.96 (संलग्नक-2) में व्यवसायिक संपत्तियो के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया अंकित की गई है ।

2. ल0वि0प्रा0 की निम्नलिखित तीन योजनाओं में गत कई वर्षो से कई बार पंजीकरण कराने के पश्चात् भी आवासीय/व्यवसायिक संपत्तियो का निस्तारण नहीं हो पाया, इसका कारण यह भी हो सकता है कि मूल लागत पर प्रतिवर्ष 16 से 18प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, विनियोजन पर मानते हुए, लगाया जाता रहा है । प्रत्येक स्थान के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :

1. नन्दा रोडा

इस योजना में विभिन्न प्रकार के 28 भवन तथा विभिन्न आकार की 134दुकानो तथा 80 काउन्टर्स का निर्माण वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया था । उपरोक्त निर्माण कार्य वर्ष 1990 में समाप्त हुआ, उसके पश्चात् विकास कार्य प्रारंभ किया गया । निर्माण कार्य तथा विकास कार्यो पर जो व्यय हुआ, उसका विवरण ~~अनुलग्नक~~ संलग्नक-3(क) में दिया हुआ है । उपरोक्त विवरण के अनुसार जो व्यय किया गया है, उसमें मूल लागत पर आधी अवधि का ब्याज लगाया गया है, जिससे और लागत अधिक न बढे ।

उपरोक्त योजना में प्रथमबार दि01.1.88 से 25.1.88 तक तथा द्वितीय बार दि05.2.90 से 5.3.90 तक दुकानो/भवनो का पंजीकरण खोला गया था । प्रथम बार भवनो व दुकानो हेतु 131 पंजीकरण तथा द्वितीय बार भवनो व दुकानो हेतु 5 पंजीकरण हुए थे । उसके पश्चात् नवम्बर93 में प्रथम केश सेल, ल0वि0प्रा0 द्वारा लगाई गई थी, उसके पश्चात् केश सेल वर्ष 1994,1995 में भी लगाई गई, परन्तु उपरोक्त संपत्तियो का निस्तारण नहीं हो पाया । उपरोक्त पंजीकरण के आधार पर दुकानो के सम्बन्ध में जो आवंटन किये गये थे, उनके आवंटियो ने या तो धनराशि जमा नहीं की, या जमा धनराशि वापस ले ली । केवल दो भवनो के आवंटन हुए हैं तथा एक भवन ल0वि0प्रा0 के कर्मचारी को आवंटन हेतु प्रस्तावित है । इस योजना में, किसी भी सम्पत्ति ----------

क्रमशः.....2

का कोई अनुबन्ध/निबन्धन नहीं हुआ है । अतः संलग्नक-3 में दिये हुए व्यय के विवरण के आधार पर उपरोक्त योजना की लागत निकाली गई है, जो रू0 345·80 लाख आती है । संलग्नक-3 में रू05·00 लाख मरम्मत हेतु प्राविधान किया गया है । मरम्मत पर व्यय करने के पश्चात् बिल्डिंग पूर्ण हो जायेगी तथा उसमें अन्य कोई कार्य नहीं किया जाना है । यदि रू05·00 लाख का व्यय अनुरक्षण पर न भी किया जायें तो रू05·00 लाख घटाकर शेष लागत पर बिल्डिंग का निस्तारण यथावत् किया जा सकता है ।

2- कैलाश कुन्ज योजना

उपरोक्त योजना में बेसमेण्ट, भू-तल तथा प्रथम तल पर दुकाने, काउन्टर्स तथा कियास्क का निर्माण किया गया था, उसके पश्चात् तीन तलो पर कार्यालय क्षेत्रफल का निर्माण किया गया था । इस योजना में निर्माण कार्य वर्ष 1987 में पूर्ण हुआ था । वर्ष 1988-89 में कार्यालय क्षेत्रफल लाटरी निदेशालय को पूर्ण विक्रय के आधार पर विक्रय कर दिया गया था तथा उनसे पूरी धनराशि प्राप्त हो गई थी । दुकाने/कियास्क/काउन्टर्स के निस्तारण हेतु वर्ष 1987 से ही फ्रंजीकरण प्रारंभ कर दिया गया था । इस योजना में 134 दुकाने, 147 कियास्क, 61 काउन्टर्स हैं, जिनमें से 16 दुकाने, 40 कियास्क, 18 काउन्टर्स, शो-केस का आवंटन हो चुका है और आवंटियो ने धनराशि जमा करके अनुबन्ध/निबन्धन करा लिये हैं । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 के अनुसार इस योजना में भी समय समय पर फ्रंजीकरण खोले गये थे, वर्ष 1993 से केश सेल में भी निस्तारण करने का प्रयास किया गया परन्तु निस्तारण नहीं हो पाया । इस योजना मे अंतिम विक्रय दि06·2·87 को हुआ था । अतः वर्ष 1987 के मूल्य पर अवशेष दुकानो, कियास्को तथा काउन्टर्स की लागत निकाली गई है, जिसका विवरण संलग्नक-4 में दिया हुआ है ।

3- विकासदीप योजना

यह योजना विधान सभा मार्ग पर स्थित है, इसमें बेसमेण्ट, भू-तल तथा प्रथम तल पर दुकानो का निर्माण किया गया था तथा उसके ऊपर बारह मंजिल तक कार्यालय क्षेत्रफल का निर्माण किया गया था । दुकानो के अतिरिक्त समस्त कार्यालय क्षेत्रफल का निस्तारण पूर्ण विक्रय के आधार पर काफी समय पूर्व हो चुका है । यह योजना वर्ष 1982 में प्रारंभ की गई थी तथा इस योजना में कार्य वर्ष 1986 में समाप्त हो गया था।

क्रमशः..3

इस योजना में विभिन्न आकारों की प्रथम लेविल की 71, द्वितीय लेविल-45, तृतीय लेविल की 63 दुकानों का निर्माण किया गया है । उपरोक्त के विपरीत, प्रथम लेविल की 27, द्वितीय लेविल की 12, तृतीय लेविल की 34 दुकानें रिक्त हैं । प्रथम लेविल पर 44, द्वितीय लेविल पर 33, तृतीय लेविल पर 29 दुकानों का निस्तारण हो चुका है, तथा अनुबन्ध/निबन्धन हो चुके हैं ।

उपरोक्त योजना में अंतिम बार आवंटन माह अगस्त,91 में हुआ था । यह दुकानें प्रथम लेविल (बेसमेण्ट) की थी जो 6.9406व0मी0 की थी और रू0120200.00 पर निस्तारित हुई थी, उसके पश्चात् 1992 में फंजीकरण खोला गया था एवं वर्ष 1993 से 1995 तक का समय समय पर जो कैश सेल लगाई गई, उसमें भी विकास दीप की दुकानों के निस्तारण हेतु प्रयास किया गया, परन्तु मूल्य अधिक होने के कारण निस्तारण नहीं हो पाया । अतः वर्ष 1991 में जो विक्रय दर प्राप्त हुई थी, उसी के आधार पर शेष दुकानों की लागत निकाली गई है जो प्रथम लेविल पर रू018471/- द्वितीय लेविल रू020,247.00 तथा तृतीय लेविल रू016837/-प्र0व0मी0 आती है, और जितनी दुकानें उपलब्ध हैं, उनकी कुल लागत रू0118.75 लाख आती है, इसका विवरण संलग्नक-5 में दिया हुआ है।

3. उपरोक्त तीनों ही स्थानों की संपत्तियों के विक्रय हेतु यह प्रस्ताव है कि निम्नवत् सोल्ड आफर्स, संलग्नकों में दर्शाये गये मूल्य पर, आमंत्रित कर लिये जायें:

क: नन्दा खेडा योजना में पूरी संपत्ति के सोल्ड आफर्स संलग्नक-3 में दर्शाई लागत पर आमंत्रित किये जायें ।

ख: विकासदीप तथा कैलाश कुन्ज में जो दुकानें रिक्त है, उनमें दो प्रकार से सोल्ड आफर्स आमंत्रित किये जा सकते हैं - एक तो पूरी संपत्ति का, दूसरे लेविल/तल-वार ।

निर्णय

प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया कि अलोकप्रिय सम्पत्तियों का निस्तारण प्रस्ताव के अनुसार फ्रीज की गई दर पर रिजर्व कीमत (फ्रीज) किये जाने पर निर्धारित करके केवल नीलामी द्वारा ही किया जायेगा।

संलग्नक-3

प्रेषक:

श्री अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

पृष्ठ संख्या : ५३

सेवा में:

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,उ0प्र0

आवास अनुभाग-1

दिनांक:लखनऊ: मार्च // 1996

महोदय,

लम्बी अवधि से अनिस्तारित संपत्तियों के विषय में शासनादेश सं0-440/9-आ-1/96 दिनांक 5-2-96 के माध्यम से कतिपय निर्देश जारी किये गये हैं। इसी क्रम में व्यवसायिक संपत्तियों के सम्बन्ध में कुछ स्थानों से जिज्ञासायें की गयी हैं क्योंकि कहीं कहीं व्यवसायिक परिसम्पत्तियाँ भी वर्षों से इकट्ठी पड़ी है।

इस सम्बन्ध में निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है ।

(अ) व्यवसायिक सम्पत्तियों को नीलाम करते समय उनका न्यूनतम मूल्य निर्धारण आवासीय सम्पत्तियों हेतु घोषित नीति की भाँति किया जाय अर्थात् जब इनका निर्माण पूरा हुआ था उस वर्ग का मूल्य ही नीलामी में न्यूनतम मूल्य के रूप में घोषित किया जाय ।

(ब) कुछ विकास प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद् में व्यवसायिक सम्पत्ति का मूल्य प्रारम्भ से ही बहुत अधिक घोषित कर दिया गया है क्योंकि उसमें प्रबंध निर्माण एवं संलग्न भूमि की कीमत के अलावा आस पास के क्षेत्रों जैसे पार्क आदि की कीमत भी जोड़ दी गयी है । यह प्रक्रिया उचित नहीं है। जब निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा ही होना है तो व्यर्थ में अधिक कीमत घोषित करके वर्षों तक इन सम्पत्तियों को अनिस्तारित रखकर वित्तीय संसाधनों का दुरूपयोग का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस प्रकार के मामलों में संबंधित परिसम्पत्तियों की कीमत निर्धारण उन पर ही व्यय और संलग्न भूमि की कीमत को ध्यान में रखकर किया जाय ।

इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि परिसम्पत्तियों को सस्ते मूल्य में बेचा जायेगा । नीलामी में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश की जाय कि प्रतियोगिता में कीमत अच्छे से

अवश्य मिले, परन्तु व्यर्थ की बहुत अधिक कीमत घोषित करके नीलामी में भाग लेने वालों को हतोत्साहित करने का औचित्य नहीं है। अनिर्धारित सम्पत्तियों को रखना किसी भी संगठन के हित में नहीं है । आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस हेतु अगले कुछ महीने में ही प्रभावी कार्यवाही करेंगे ।

भवदीय,

(आलोक प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव आवास

विषय: एकमुश्त भुगतान की दशा में छूट दिये जाने से सम्बन्धित,

गोमती नगर योजना के द्वितीय चरण में विभिन्न प्रकार के भवनो तथा भूखण्डो का आवंटन स्व वित्त पोषित योजना / किराया क्रय पद्धति पर जनवरी, ९९ में किया गया था और उसके पश्चात् आवंटन पत्र माह मार्च, ९९ में निर्गत किये गये थे । उपरोक्त पद्धति के अर्न्तगत देय धनराशि ८ से १० त्रैमासिक किश्तो में ली जा रही है । उपरोक्त के अतिरिक्त जिन आवेदको को कानपुर रोड योजना तथा अन्य योजनाओं में माह मार्च, ९९ में भवन आवंटित किये गये थे, ऐसे व्यक्ति एकमुश्त धनराशि का भुगतान करके छूट प्राप्त करना चाहते हैं ।

२. चूंकि ल०वि०प्रा० की वर्तमान में वित्तीय स्थिति सुदृढ नहीं है, अतः एकमुश्त धनराशि का भुगतान करने से ल०वि०प्रा० के निर्माण /विकास कार्यो को गति मिलेगी । वैसे भी यदि प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाता है तो भी १५प्रतिशत वार्षिक ब्याज की बचत होगी क्योंकि प्रतिकर में १५प्रतिशत वार्षिक ब्याज कृषको को देना पडता है ।

३. इस सम्बन्ध में आगरा विकास प्राधिकरण आगरा से जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि उनके बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि 'आवंटन के ६०दिनो के अन्दर जो आवंटी शतप्रतिशत भुगतान कर देता है उसे ६प्रतिशत की छूट तथा ५०प्रतिशत भुगतान करने पर २प्रतिशत की छूट की सुविधा अनुमन्य है' । इसी के आधार पर उपाध्यक्ष ल०वि०प्रा० द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

I. पंजीकरण/आवंटन की धनराशि को छोडकर शेष धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से ३० दिनो के अन्दर जमा करने पर - ५प्रतिशत छूट (अवशेष धनराशि पर),

II. पंजीकरण/आवंटन धनराशि को छोडकर शेष धनराशि पर ५० प्रतिशत आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से ३०दिनो के अन्दर जमा करने पर - २प्रतिशत (अवशेष धनराशि पर),

४. अतः प्राधिकरण कृपया उपाध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय को, प्राधिकरण हित में, अनुमोदित करने की कृपा करें ।

———

विषयः स्कूल भूखण्डो के आवंटन से सम्बन्धित,

गोमती नगर योजना, कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना तथा सीतापुर रोड योजना/प्रियदर्शनी योजना में रिक्त स्कूल भूखण्डो के सम्बन्ध में पंजीकरण समाचार पत्रो के माध्यम से दि०७.४.९९ से दि०१.५.९९ तक खोला गया था । विभिन्न योजनाओं में कुल ६९ पंजीकरण प्राप्त हुए हैं । इनमें गोमती नगर योजना के लिये ४१, कानपुर रोड योजना के लिये १०, शारदा नगर योजना के लिये ०६ तथा सीतापुर रोड योजना/प्रियदर्शनी योजना के लिये १२ हैं ।

२. उपरोक्त योजनाओं में रिक्त स्कूल भूखण्डो की सूची संलग्न है (संलग्नक-१) ।

३. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गठित समिति की बैठक दि०२६.६.९९ को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई थी । समिति की बैठक में प्राप्त प्रार्थना-पत्रो पर विचार विमर्श किया गया । समिति की संस्तुति संलग्न है (संलग्नक-२) । समिति ने जिन स्कूल भूखण्डो के आवंटन के सम्बन्ध में संस्तुति की है, उनके सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण संलग्न है (संलग्नक-३) ।

४. शासनादेश सं०१७०४/९-आ-१-९६ दि०१९.४.९६ (संलग्नक-४) के अनुसार स्कूल भूखण्डो को आवंटन इस शासनादेश में दी हुई दरो के आधार पर किया जाना है । अतः प्राधिकरण (बोर्ड) कृपया समिति की संस्तुति पर विचार करके अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त स्कूल भू-खण्डों का विवरण :

सैक्टर/खण्ड का नाम	रिक्त भू-खण्ड संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल	उपयोग
		योजना का नाम: गोमती नगर योजना :	
1. विराज खण्ड	1	19,400.00 व0मी0	इण्टरमीडिएट
विराट खण्ड	3	4,788.00 व0मी0	प्राइमरी
		5,400.00 व0मी0	तदैव
		5,248.00 व0मी0	तदैव
विभव खण्ड	1	3,828.00 व0मी0	नर्सरी
विभा खण्ड	2	4,056.00 व0 मी0	प्राइमरी
		4,768.00 व0मी0	प्राइमरी
विक्रान्त खण्ड	1	5,418.00 व0मी0	
विनय खण्ड	4	1,500.00 व0मी0	
		1,500.00 व0मी0	
		1,500.00 व0मी0	नर्सरी
		1,500.00 व0मी0	
	2	4,000.00 व0 मी0	
		4,000.00 व0मी0	प्राइमरी
विकास खण्ड-1	1	1,400.00 व0मी0	नर्सरी
विकास खण्ड-2	1	2,505.00 व0मी0	नर्सरी
विकसित खण्ड	1	4,560.00 व0मी0	प्राइमरी
2. सीतापुर रोड योजना			
4/5	1	5,000.00 व0मी0	प्राइमरी
3. प्रियदर्शनी योजना			
(सी0रोड)सैक्टर-सी	1	3,087.50 व0मी0	नर्सरी
5. आम्रपाली नगर योजना			
रजनी खण्ड-1	1	4,112.383 व0मी0	प्राइमरी
रजनि खण्ड-1	1	8,293.76 व0मी0	प्राइमरी
रजनी खण्ड-8	1	3,927.656 व0मी0	प्राइमरी
रजनी खण्ड-6	1	6,305.27 व0मी0	प्राइमरी
5. कानपुर रोड योजना			
सैक्टर-जी	1	2,800.71 व0मी0	नर्सरी
सैक्टर-एच	1	1,690.00 व0मी0	नर्सरी
सैक्टर-ई	1	2,499.750व0मी.	नर्सरी

संलग्नक : 2

विभिन्न योजनाओं में रिक्त स्कूल भूखण्डो के आवंटन के सम्बन्ध में प्राधिकरण (बोर्ड) द्वारा गठित समिति की बैठक दि०२६.६.९९ को हुई बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित

१.	श्री विनोद शंकर चौबे, उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा०	अध्यक्ष - समिति
२.	श्री मणि प्रसाद मिश्र, अपर जिला अधिकारी(ट्रांस गोमती)	सदस्य,
३.	श्री के० बी० सक्सेना, लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता,	सदस्य,
४.	श्री के० के० गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक,	सदस्य,
५.	श्री अमरेश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक-२	सदस्य,
६.	श्रीमती स्नेह लता सोनकर, उप बेसिक शिक्षाधिकारी,	सदस्य,

समिति को अवगत कराया गया कि गोमती नगर योजना, कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना तथा सीतापुर रोड योजना/प्रियदर्शनी योजना में रिक्त स्कूल भूखण्डो के सम्बन्ध में पंजीकरण समाचार पत्रो के माध्यम से दि०७.४.९९ से दि०१.५.९९ तक खोला गया था । विभिन्न योजनाओं में कुल ६९ पंजीकरण प्राप्त हुए हैं । इनमें गोमती नगर योजना के लिये ४१, कानपुर रोड योजना के लिये १०, शारदा नगर योजना के लिये ०६ तथा सीतापुर रोड योजना/प्रियदर्शनी योजना के लिये १२ हैं । विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्न स्कूल भूखण्ड आवंटित किये जाने की संस्तुति की जाती है :

क्रमांक	विद्यालय का नाम	सेक्टर	क्षेत्रफल(लगभग) वर्ग मी०
क: गोमती नगर योजना.			
१.	पूरन चन्द्र विद्या निकेतन	विराज	१९४००
२.	प्रकाश बाल विद्या निकेतन	विनम्र	१५००
३.	टी०डी० गर्ल्स हायर सेकेन्डरी	विनम्र	४०००
४.	सुमित्रा मान्टेसरी शिशु विद्यालय	विनम्र	१५००
५-	लखनऊ पब्लिक कालेज	विनम्र	४०००
६-	अग्रवाल शिक्षा संस्थान	विराट	५४००
७-	लखनऊ माडल पब्लिक स्कूल	विनम्र	१५००
८.	गौरव पब्लिक स्कूल	विनम्र	४०००
९.	पी०आर० चिल्ड्रेन एकादमी	विकास खंड-४	१४००
१०.	के०एन०एस०एकादमी	विराट	४७८८
११.	न्यू वे सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल	विराट	५२४८
१२-	बी०एन० मेमोरियल पब्लिक स्कूल	विभव	३८२८

क्रमशः-२

१३-	एस०के०डीएकादमी हायर सेकेन्ड्री स्कूल	विक्रान्त	५४१८
१४-	महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान	विनय	१५००
१५.	लखनऊ पब्लिक एजूकेशन सोन्टर	विकास खंड-२	२५०५

ख: कानपुर रोड योजना

१.	एम०जी० कान्वेन्ट स्कूल	जी	२८००.७१
२.	आदर्श पब्लिक स्कूल	एच	१६९०
३-	श्री राम शिक्षा समिति (श्रीराम पब्लिक स्कूल)	जे	२४९९.७५

ग: शारदा नगर योजना

१.	विवेकानन्द पब्लिक स्कूल	सी-१	८२८३.७६

२. सीतापुर रोड योजना / प्रियदर्शनी योजना में स्कूल भूखण्डों के आवंटन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र उपयुक्त नहीं पाया गया ।

३. समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि शेष प्रार्थना-पत्रों की जमा पंजीकरण धनराशि, प्राधिकरण (बोर्ड) के अनुमोदन के पश्चात् वापस कर दी जायें ।

(के०बी०सक्सेना)
लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता/
प्रभारी अधिकारी (संपत्ति)

(स्नेह लता सोनकर)
उप बेसिक शिक्षा अधिकारी

(के०के०गुप्ता)
जिला विद्यालय निरीक्षक,

(अमरेश सिंह)
जिला विद्यालय निरीक्षक-२

(मणि प्रसाद मिश्र)
अपर जिलाधिकारी (ट्रांसगोमती)

(विनोद शंकर चौबे)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण

विद्यालयों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण

क- गोमती नगर योजना

1. पूरन चन्द्र विद्या निकेतन,

इस स्कूल द्वारा कक्षा-7 के ऊपर की कक्षाओं की शिक्षा दी जा रही है । यह स्कूल सोसाइटी एक्ट, शासन एवं सी०बी०एस०ई० बोर्ड से मान्यता प्राप्त है । शैक्षिक स्तर परि उच्चप्रतीत होता है ।

2. प्रकाश बाल विद्या मन्दिर,

इस स्कूल द्वारा, विशाल खण्ड-। में प्राइवेट बिल्डिंग में कक्षा-8 तक की शिक्षा प्रदान की जा रही है । सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा शासन से भी मान्यता प्राप्त है । इस स्कूल के प्रबन्धक श्री राम प्रकाश मौर्य है ।

3. टी०डी०गर्ल्स हायर सेकेण्ड्री स्कूल,

यह स्कूल लडकियों के लिये कक्षा-10 तक शिक्षा, गोमती नगर योजना के नवाब पुरवा गाँव में दे रहा है । यह स्कूल सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं शासन से मान्यता प्राप्त है । लडकियों की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध है । सोसाइटी का पंजीकरण सांस्कृतिक विकास एवं समाज कल्याण संस्थान के नाम से किया गया है ।

4. सुमित्रा मान्टेसरी शिशु विद्यालय,

यह स्कूल कक्षा-10 तक शिक्षा दे रहा है । यह स्कूल सोसाइटी एक्ट से पंजीकृत है ।

5. लखनऊ पब्लिक कालेज,

यह स्कूल राजाजीपुरम् लखनऊ में कक्षा-12 तक शिक्षा दे रहा है । इस वर्ष इण्टर की परीक्षा में लगभग-4 बच्चे मैरिट में आये हैं । शिक्षा का स्तर काफी उच्च है । यह स्कूल आई०सी० एस०सी० से मान्यता प्राप्त है, साथ ही शासन से भी मान्यता

क्रमशः.....2

मान्यता प्राप्त है । इस स्कूल के प्रबन्धक/संस्थापक श्री एस0पी0सिंह हैं ।

6. अग्रवाल शिक्षा संस्थान(महाराजा अग्रेसन सेवा संस्थान),

इस स्कूल द्वारा मोती नगर लखनऊ में इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा दी जा रही है । सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है । इस स्कूल द्वारा शिक्षा अच्छी स्तर की दी जा रही है । इस संस्था के अध्यक्ष श्री तीरथ राम अग्रवाल हैं ।

7. लखनऊ माडल पब्लिक स्कूल,

यह स्कूल हाई स्कूल तक की शिक्षा दे रहा है । सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण कराया गया है । शासन से मान्यता प्राप्त है । इस स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती राकेश कुमारी हैं । बेसिक शिक्षाधिकारी स्तर से भी मान्यता प्राप्त है ।

8. गौरव पब्लिक स्कूल,

यह स्कूल हाई स्तर की शिक्षा दे रहा ह । सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है । बेसिक शिक्षाधिकारी से अस्थायी मान्यता प्राप्त है । यह स्कूल सोसल इकोनामिकल डेवलमेंट इनस्ट्रीट्यूट, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत भी शिक्षा दे रहें हैं । इस स्कूल के प्रबन्धक श्री जे0सी0बाल हैं ।

9. पी0आर0चिल्ड्रेन एकादमी,

यह स्कूल द्वारा कक्षा-8 तक की शिक्षा दी जा रही है । सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पाती राम एजूकेशनल सोसाइटी के नाम से पंजीकृत है । प्राइमरी स्तर की अस्थायी नवीनतम मान्यता प्राप्त है । इस स्कूल के प्रबन्धक डा0मीता सिंह हैं।

10. के0एन0एस0एकादमी(एकेदमी),

यह स्कूल प्राइमरी स्तर की शिक्षा दे रहा है । बेसिक शिक्षा अधिकारी से अस्थायी मान्यता प्राप्त है । सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है । इस स्कूल के प्रबन्धक श्री विजय कृष्ण है ।

क्रमशः.....3

11. न्यू वे सीनियर सेकेण्डरी स्कूल,

इस स्कूल द्वारा अलीगंज योजना के सेक्टर"के" में स्थित स्कूल में कक्षा-12 तक की शिक्षा दी जा रही है । सोसाइटी से पंजीकरण उपलब्ध कराया गया है जिसमें उनके द्वारा नवीनीकरण कराने की कार्यवाही लम्बित होने की सूचना दी गई है । सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त है ।

12. बी0एन0मेमोरियल पब्लिक स्कूल,

इस स्कूल का नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । जिससे उक्त स्कूल का न तो सोसाइटी से पंजीकरण है और न ही विद्यालय को मान्यता प्राप्त है । इस स्कूल के प्रबन्धक श्री रामा शंकर यादव हैं ।

13. एस0के0डी0एकेदमी हायर सेकेण्डरी स्कूल,

यह स्कूल कक्षा-10 तक शिक्षा दे रहा है । यह स्कूल सोसाइटी एक्ट से पंजीकृत है तथा शासन से मान्यता भी प्राप्त ह । इस स्कूल के प्रबन्धक श्री एस0के0डी0 सिंह हैं ।

14. महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान,

इस स्कूल का यह नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस स्कूल का सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण है । शासन से मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि नया प्रस्ताव है ।

15. लखनऊ पब्लिक एजूकेशन सेंटर,

यह स्कूल का नया प्रस्ताव है । पूर्वान्चल एजूकेशनल एवं हेल्थ केयर सोसाइटी के नाम सोसायटी से पंजीकृत है । नया प्रस्ताव होने के कारण मान्यता शासन से नही प्राप्त है । इस संस्था के अध्यक्ष श्री एस0एन0चौधरी है ।

क्रमशः.... 4

ख- कानपुर रोड योजना,

1. एम०जी०कान्वेंट स्कूल,

इस स्कूल द्वारा कक्षा-5 तक शिक्षा दी जा रही है । सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है । शासन से प्राइमरी स्तर की मान्यता प्राप्त है । इस की प्रबन्धिका श्री साधना शुक्ला हैं । स्कूल का शैक्षिक स्तर उच्च लग रहा है ।

2. आदर्श पब्लिक स्कूल,

यह स्कूल नर्सरी से कक्षा-5 तक शिक्षा दे रहा है । अपना स्वयं का भवन न होने के कारण मान्यता प्राप्त नहीं है । सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न है । इस स्कूल के प्रबन्धक श्री ब्रह्मा यादव है ।

3. श्री राम पब्लिक स्कूल,

इस स्कूल का यह नया प्रस्ताव है । श्रीराम शिक्षा समिति के नाम से सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है ।

ख- शारदा नगर योजना

विवेकानन्द पब्लिक स्कूल,

यह स्कूल हाई स्कूल तक की शिक्षा दे रहा है । इस स्कूल को शासन स्तर से मान्यता विभिन्न स्तरों की प्रदान की गयी है । इस स्कूल के सचिव श्री के०बी० सिंह, हैं ।

सं० 104/9-आ-1-96 दि०

संलग्नक-4

प्रेषक,

श्री अखण्ड प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

पृष्ठ संख्या : ६४

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

(2) आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 19 अप्रैल-1996

विषय : विकास प्राधिकरण एवं उ0 प्र0 आवास एवं विकास-परिषद की योजनाओं में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओ, खेलकूद मैदान एवं हालिडे रिसोर्ट, टूरिस्ट रिसोर्ट के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1206/9-आ-1-1996, दिनाँक 18.3.1996, संख्या-1206(11)/9-आ-1-1996, दिनाँक 18.3.1996, संख्या-1337/9-आ-1-1996, दिनाँक 18.3.1996 तथा संख्या-1430/9-आ-1-1996, दिनाँक 27.3.1996 के द्वारा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणो द्वारा विकसित कालोनियों में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओ, खेलकूद के मैदान एवं हालिडे रिसोर्ट आदि के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारि की गयी है। उक्त शासनादेशो में की गयी व्यवस्थाओं को एकीकृत कर कतिपय नवीन व्यवस्था सहित आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणो की योजनाओं में निम्नलिखित रियायती दरो पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का

...../2/

शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है :-

क्रमांक	प्रयोजन	भूमि का क्षेत्र	दर
1	2	3	4
1-	नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल हेतु	एक एकड़	सेक्टर दर का 40%
2-	जूनियर हाई स्कूल व हाई-स्कूल ।	"	"
		मान्यता देने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि ।	
3-	इण्टर कालेज	पाँच एकड़	" "
4-	डिग्री कालेज/पोस्ट ग्रेजुएट/ मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट/ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ।	पाँच एकड़ अथवा मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि।	" 50%
5-	इंजीनियरिंग कालेज	मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि (वर्तमान में 7 हेक्टेयर)	" 50%
6-	मेडिकल कालेज	मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि (वर्तमान में 25 हेक्टेयर)	" "
7-	खेलकूद के लिये छोटे आकार के मैदान हेतु भूमि जिस पर कोई निर्माण नहीं होना है तथा गोल्फ कोर्स, घुड़सवारी मैदान आदि के लिए ऐसे खेलकूद के बड़े मैदान, जल क्रीड़ा, पानी की अन्य परियोजनाएं जिनमें निर्मित क्षेत्र 2 प्रतिशत से अधिक न हो।		सेक्टर दर का 2 प्रतिशत वार्षिक लाइसेन्स शुल्क के आधार पर ।
8-	खेलकूद के लिए छोड़ी गई भूमि पर खेलकूद सुविधा के लिए किसी भवन निर्माण की भूमि के लिए।		सेक्टर दर का 50%

...../3/

1	2	3	4
9-	शहर की घनी बस्ती के बाहर हालिडे रिसार्ट, टूरिस्ट रिसार्ट हेतु ।	पाँच एकड़	सेक्टर दर का 50,

§ क्रमांक 9 पर अंकित प्रयोजन के लिए पाँच एकड़ भूमि सीमा से अधिक भूमि की माँग किये जाने पर भूमि आबंटन के सम्बन्ध में निर्णय प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा ।

2- उपरोक्त के अतिरिक्त जूनियर हाई स्कूल के लिए 2.5 एकड तथा खेल के मैदान
इण्टरमीडिएट, डिग्रीकालेज व पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के खेल के मैदान के लिये 5.00 एकड़ भूमि अलग से उक्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्मुख अंकित दरों पर उपलब्ध कराई जायेगी ।

3- उक्त में विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं की भूमि के मूल्य के अदायगी की शर्तें निम्नवत् होगी :-

1. कुल मूल्य का 25 प्रतिशत आबंटन के समय ।
2. अवशेष 75% धनराशि पाँच सालाना किश्तों में 2। प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर। नियमित समय में भुगतान करने पर ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।

4- हालिडे रिसार्ट, टूरिस्ट रिसार्ट होटल के लिए भूमि के मूल्य की अदायगी की शर्तें संबंधित अभिकरण द्वारा अपने स्तर से निर्धारित की जायेगी।

5- अतः कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

§ अखण्ड प्रताप सिंह §
प्रमुख सचिव ।

संख्या- /§।§/9-आ-1-96, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

§1§ आयुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
§2§ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
§3§ आवास अनुभाग 2/3

आज्ञा से,

§ आशा नन्दन §
आयुक्त सचिव।

विषय : गोमती नगर योजना विपुल खण्ड-2 स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सँख्या सी0पी0-1 पर लगे ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध मे ।

गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड-2 मे व्यवसायिक भूखण्ड सँख्या सी0पी0-1 मै0 जीवन इण्टरप्राईजेज को नीलामी के माध्यम से जनवरी 97 मे आवँटित किया गया था तथा मै0 जीवन इण्टरप्राईजेज द्वारा समय से रुपया 13,09,550·00 किस्तो का भुगतान किया गया । इसी बीच ग्रामवासियो द्वार भूमि पर अवरोध उत्पन्न करने तथा माननीय उच्च न्यायालय मे वाद दायर करने के कारण बिल्डर द्वारा निर्माण कार्य नही कराया जा सका । वाद बिल्डर के पक्ष मे निर्णीत हुआ और अब बिल्डर द्वारा भूखण्ड पर निर्माण कराया जा चुका है ।

2· बिल्डर्स द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि न्यायालय मे वाद दायर होने और ग्राम वासियो द्वार अवरोध उत्पन्न करने के कारण इस अवधि मे देय किश्तो मे लगा ब्याज उनसे न लिया जाय ।

3· स्थल पर काम रोकने दिनाँक 14·3·97 से न्यायालय के निर्णय दिनाँक 17·9·97 के बीच जो किस्त दिनाँक 30·10·98 तक देय थी उस पर 1·8·97 से 17·9·97 तक ब्याज की धनराशि रु0 1,06,673·38 आती है ।

अतः उक्त वर्णित परिस्थितियो मे उपरोक्त ब्याज रु0 1,06,673·38 न लेने हेतु विषय अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

विषय : गोमती नगर योजना के विराम स्थित भूखण्ड सँख्या सी0पी0-1 का आवँटन मे0 रोमित बिल्डर्स के पक्ष मे बहाल किये जाने के समझोते के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध मे ।

गोमती नगर योजना के विराम खण्ड स्थित व्यवसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 1440 की नीलामी समाचार पत्रो मे विज्ञापन देकर दिनॉक 27·1·94 को की गयी जिसमे अधिकतम बोली रुपया 3100/- प्रति वर्ग मी0 की मे0 रोमित बिल्डर्स की प्राप्त हुई और भूखण्ड मे0 रोमित बिल्डर्स के पक्ष मे आवँटित किया गया । जिस समय नीलामी की स्वीकृति ली गयी तो उसमे विराम खण्ड-5 लिखा हुआ था जिसे काट के बाद मे एक कर दिया गया और आगे की शेष कार्यवाही भूखण्ड सँख्या सी0पी0-1 विराम खण्ड-1 के सम्बन्ध मे की जाती रही और बिल्डर्स के पक्ष मे विभाग द्वारा दिनॉक 9·1·95 को अनुबन्ध किया गया, परन्तु विभाग को जब यह जानकारी मे आया कि इस मामले मे विराम खण्ड-5 के स्थान पर विराम खण्ड-1 किया गया है तो दिनॉक 3·11·95 को उपाध्यक्ष द्वारा मे0 रोमित बिल्डर्स के पक्ष मे किया गया आवँटन निरस्त कर दिया गया जिसके विपरीत बिल्डर्स ने माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका दायर कर दी । यह रिट याचिका निरस्तीकरण के आदेश को समाप्त करने की थी । यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि आवँटन निरस्त करने के पूर्व लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कारण बताओ नोटिस नही दिया गया है । उपरोक्त व्यवसाय भूखण्ड को उपभोग मे लाये जाने हेतु विषय प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 11·4·96 को प्रस्तुत किया गया जिस पर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी । चूँकि माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका लम्बित थी । अतः कोई कार्यवाही उपरोक्त भूखण्ड पर नही की गयी । पूरे मामले की जॉच करके अपनी सँस्तुति देने हेतु उपाध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य सचिव, अपर सचिव, मुख्य नगर नियोजक, कास्ट एकाउन्टेन्ट एवम् इकोनामिक प्लानर थे इस समिति ने निम्न सँस्तुति दी है :-

1- यद्यपि प्रश्नगत भूखण्ड हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 11·4·96 मे व्यवसायिक से आवासीय मे परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है परन्तु सी0टी0पी0 द्वारा शासन को भूभाग को परिवर्तन हेतु विषय नही भेजा गया । अतः भू-उपयोग परिवर्तित नही हुआ ।

....

2. विराम खण्ड-1 के ही भूखण्ड को नीलाम किये जाने की अभिलेखो से पुष्टि होती है और मे0 रोमित बिल्डर्स द्वारा की गयी हेरा-फेरी किये जाने की पुष्टि नही होती है ।

3- मे0 रोमित बिल्डर्स ने अपने पत्र दिनॉक 4.12.98 द्वारा यह सहमति दी है कि उक्त फर्म प्रश्नगत भूखण्ड मे इस प्रतिबन्ध के साथ निर्माण कार्य करेगी कि पार्क की ओर फेस करते हुए कोई दुकान नही खोलेगा तथा प्रथम तल के फ्रण्ट मे रोड साइट को फेस करते हुए दुकान बनेगी । द्वितीय तल पर दुकाने एवम् कार्यालय बनेगा । अतः समिति का अभिमत है कि उक्त फर्म 24 मीटर सड़क की ओर ही दुकानो का रुख रखे तथा पार्क की ओर पूरी ऊँचाई मे किसी भी दुकान/कार्यालय का रुख न रखा जाय ।

4- मे0 रोमित बिल्डर्स ने अपने प्रत्यावेदन मे उल्लेख किया है कि उनके द्वारा जमा 25 प्रतिशत धनराशि पर ब्याज दिया जाय क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक पक्षीय आवॅटन निरस्त किया गया । समिति का अभिमत है कि ठोस कारणो के आधार पर आवॅटन निरस्त नही किया गया है और न ही कारण बताओ नोटिस दिया गया जो आवॅटन निरस्त करने से पूर्व अनिवार्य था अतः समिति का अभिमत है कि उनकी जमा धनराशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दे दिया जाय और अनुबन्ध के अनुसार देय किश्तो पर विलय की दशा मानते हुए अनुबन्ध के आधार पर ब्याज ले लिया जाय । इसके आधार पर देय ब्याज रु0 9,18,314.75 और लिया जाने वाला ब्याज रु0 21,84,850.33 आता है । इस प्रकार उपरोक्त फर्म द्वारा देय धनराशि (मूलधन + ब्याज) रु0 53,91,025.83 आता है जबकि उक्त फर्म की जमा धनराशि ब्याज सहित रु0 19,86,373.25 आती है । इस प्रकार अन्तर धनराशि रु0 34,04,652.58 उक्त फर्म द्वारा देय है । इस धनराशि को आठ समान त्रैमासिक किश्ते ली जाय । एक त्रैमासिक किस्त अभी ले ली जाय

और फिर सात त्रैमासिक किस्ते ली जाय । पुनरीक्षित अनुबन्ध निष्पादित किया और प्रथम त्रैमासिक किस्त अनुबन्ध निष्पादन की तिथि से तीन-तीन माह की तिथि से पूर्व देय होगी । इसी प्रकार शेष छः त्रैमासिक किस्ते तीन-तीन माह के अन्तराल से देय होगी । वितथ की दशा मे 21 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा जो वार्षिक कम्पाउण्ड किया जाय ।

5- उपरोक्त फर्म को माननीय उच्च न्यायालय से अपना वाद वापस लेना होगा और पुनरीक्षित अनुबन्ध निष्पादित करना होगा । पुनरीक्षित अनुबन्ध के निष्पादन के पश्चात भूखण्ड का कब्जा दे दिया जाय ।

उपरोक्त सँस्तुति प्राधिकरण हित मे प्रतीत होती है । अतः प्राधिकरण अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करे ।

विषय: गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में मे० इंडियन होटल्स कं० लि० (ताज ग्रुप) को मनोरंजनात्मक पार्क हेतु लाइसेन्स के आधार पर आवंटित २५ एकड भूमि से सम्बन्धित,

गोमती नगर योजनाके विपिन खण्ड में उपरोक्त कं० को ५ एकड भूमि होटल के निर्माण हेतु आवंटित की गई थी तथा उससे संलग्न २५ एकड भूमि मनोरंजनात्मक पार्क हेतु लाइसेन्स के आधार पर दी गई थी । उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में अनुबन्ध दि०१६.२.९४ को निष्पादित किया गया था । इस अनुबन्ध की मुख्य शर्ते निम्नवत् हैं :

I. उपरोक्त भूमि का उपयोग मनोरंजनात्मक पार्क तथा प्लान्टेशन के लिये किया जायेगा ।

II. मनोरंजनात्मक पार्क जनसमुदाय के लिये खुला रखा जायेगा जिसमें प्रवेश तथा निकास द्वार अलग अलग बनाये जायेगें ।

III. लाईसेन्सी, जनसमुदाय के लिये पार्क में फ्री प्रवेश रखेगा परन्तु ल०वि०प्रा० प्रवेश शुल्क निर्धारित कर सकता है जिसकी आय ल०वि०प्रा० को प्राप्त होगी ।

IV. लाईसेन्सी उपरोक्त पार्क का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं करेगा ।

V. लाईसेन्सी केवल अस्थाई शेल्टर ल०वि०प्रा० की पूर्वानुमति से निर्मित कर सकता है परन्तु कोई पक्का निर्माण नहीं करेगा ।

२. उपरोक्त भूमि २५ वर्ष के लाइसेन्स पर रू०९५,४६३.००प्रति वर्ष लाइसेन्स फीस पर दी गई थी । इस फीस का अनुमोदन शासन द्वारा किया गया था । उपरोक्त शर्तो के अनुसार अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रवेश शुल्क अप्रैल, ९७ में निर्धारित किया गया था । रू०५.०० बडो के लिये तथा रू०२.०० बच्चो के लिये, टहलने वालो के लिये रू०३०.०० प्रति माह (केवल प्रातः के लिये) रू०५०.००प्रति माह (प्रातः व सायं के लिये) रखा गया था । तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दि०१५.४.९९ को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा जनसमुदाय के हित को देखते हुए प्रवेश शुल्क न लगाने हेतु सम्बन्धित अधि०अभि० को निर्देश दे दिये गये हैं । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ल०वि०प्रा० द्वारा उपरोक्त पार्क स्थल के रखरखाव पर कोई व्यय नहीं किया जाता है, बल्कि उपरोक्त का रखरखाव उक्त कं० द्वारा किया जाता है । अतः प्राधिकरण कृपया यह निर्णय लेने का कष्ट करें कि प्रवेश शुल्क लगाया जायें अथवा जनता के लिये उपरोक्त पार्क में प्रवेश निशुल्क रखा जायें ।

विषय: मनीषा मंदिर को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवंटित भूमि में लीज रेन्ट को विलम्ब से जमा करने पर देय दंड ब्याज माफ किये जाने से सम्बन्धित,

मनीषा मंदिर एक सामाजिक संस्था है जो बेसहारा बालिकाओं को शिक्षा और आवास की व्यवस्था करती है । इस संस्था का उद्धेश्य निराश्रित बालिकाओं को संरक्षण देकर उनका पालन, पोषण, चरित्र निमाण एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाना है । अतः इस संस्था को गोमती नगर योजना में आवासीय दर की आधी दर पर भूमि आवंटित करने हेतु निर्णय प्राधिकरण (बोर्ड) की बैठक दि०१५.१२.९० में अनुपूरक विषय सं०एक के अर्न्तगत लिया गया था । लिये गये निर्णय के अनुसार २५प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से ३० दिनो के अन्दर तथा शेष धनराशि ३ वार्षिक किश्तो में १६प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देय थी परन्तु उपरोक्त संस्था ने अवशेष धनराशि को ८ वर्षो में ब्याज रहित लिये जाने का अनुरोध किया । अतः विषय प्राधिकरण (बोर्ड) की बैठक दि०२०.११.९३ में विषय सं०२३ के अर्न्तगत प्रस्तुत किया गया । विचारोपरान्त प्रधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि अवशेष धनराशि ८ वार्षिक किश्तो में ब्याज सहित ली जायें ।

२. देय प्रीमियम पर एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट देय है तथा अनुबन्ध में यह प्रविधान है कि लीज रेन्ट की धनराशि प्रति वर्ष अप्रैल में जमा करनी होगी । यदि अप्रैल में लीज रेन्ट जमा नही किया जाता है तो १६प्रतिशत वार्षिक की दर से दंड ब्याज देय होगा ।

३. उपरोक्त संस्था द्वारा सभी किश्तो की धनराशि जमा की जा चुकी है परन्तु लीज रेन्ट की धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा न करने के कारण देय दंड ब्याज की धनराशि रू०६६,९०२/- (दि०३१.७.९९ भुगतान की तिथि मानते हुए) आती है, जिसको माफ किये जाने पर प्राधिकरण कृपया विचार करना चाहे ।

विषयः- वेतन समिति 1998 की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार भवन किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता की संशोधित दरें लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

शासनादेश संख्या जी-1-373/10-99-205/99 दिनांक 11 जून,1999 तथा शासनादेश संख्या जी-1-375/10-99-205/99 दिनांक 10 जून,1999 के द्वारा स्थानीय निकाय/ विकास प्राधिकरणों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता की संशोधित दरें स्वीकृत की गयी हैं।शासनादेश की प्रति संलग्न है(संलग्नक-1)

प्राधिकरण के बजट में अधिष्ठान के व्यय मद में यह भुगतान किया जायेगा। संभावित वार्षिक व्यय 58,67,580/= है जो प्राधिकरण अपने श्रोतों से वहन करेगा। शासनादेश की स्वीकृति दरों को लागू कर दिया गया है ।

सूचनार्थ प्रस्तुत ।

सेवा,

[illegible]
सीमित,
30[illegible]

के लिये,

[illegible] इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.,
उत्तरप्रदेश।

लिस्ट [illegible]-1 लखनऊ: दिनांक: 11 जून, 1999

विषय:- वेतन संशोधित 1998 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के निर्णय के अनुसार भारत सिरमण्ड गल्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतसेवा संख्या-जी-1-900/दस-263/80, दिनांक: 24 जुलाई, 1992 के अनुसार नगरों/नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न वेतन सीमाओं में विभिन्न दरों पर मकान-किराया/गल्ता अनुमन्य किया गया था तथा भारतसेवा संख्या जी-1-60/दस-95-219/87, दिनांक: 13 जनवरी, 1995 एवं संख्या जी-1-91/दस-95-219/87, दिनांक: 1 जून, 1995 द्वारा भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जिन्हें सदस्य में सरकारी आवास नहीं मिल पाता है अथवा वे अपने निजी आवास में निवास करते हैं, को प्रतिपूर्ति आधारीय गल्ता अनुमन्य किया गया था।

2. वेतन संशोधित 1998 द्वारा इस सम्बन्ध में कोई संस्तुतियाँ नहीं भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्णयानुसार निम्नांकित सुविधाओं में उपलब्धता विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित नगरों/क्षेत्रों में कार्यरत [illegible] केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, जो अखिल भारत सेवा-अधिकारी दिनांक: 1 जनवरी, 1996 से लागू नवीन वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं, को विभिन्न वेतन सीमाओं में इनके समकक्ष उपलब्धता दरों पर मकान किराया/गल्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राष्ट्रपति सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

---/-

मकान किराया भत्ता की धनराशि से सम्बन्धित तालिका

क्र.सं.	मूलवेतन सीमा रु०	श्रेणी-ए, बी-1 तथा बी-2 के नगरों में	श्रेणी-सी के नगरों में	अवर्गीकृत नगरीय श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	2550-3049	380	190	125
2.	3050-3799	455	230	150
3.	3800-4549	570	285	190
4.	4550-5299	680	340	225
5.	5300-6049	795	395	265
6.	6050-6799	905	455	300
7.	6800-7549	1020	510	340
8.	7550-8299	1130	565	375
9.	8300-9049	1245	620	415
10.	9050-9799	1355	680	450
11.	9800-10799	1470	735	490
12.	10800-11799	1620	810	540
13.	11800-12799	1770	885	590
14.	12800-13799	1920	960	640
15.	13800-14799	2070	1035	690
16.	14800-15799	2220	1110	740
17.	15800-16799	2370	1185	790
18.	16800-17799	2520	1260	840
19.	17800-18799	2670	1335	890
20.	18800-19799	2820	1410	940
21.	19800-21299	2970	1485	990
22.	21300-22799	3195	1595	1065
23.	22800-24299	3420	1710	1140
24.	24300-25799	3645	1820	1215
25.	25800 तथा अधिक	3870	1935	1290

-3/-

ए, बी-1, बी-2, "सी" तथा अवर्गीकृत श्रेणी में आने वाले नगरों/क्षेत्रों
[illegible] तालिका

श्रेणी	नगर/क्षेत्र
ए, बी-1, बी-2	लखनऊ शहरी क्षेत्र, कानपुर शहरी क्षेत्र, मेरठ शहरी क्षेत्र, बरेली शहरी क्षेत्र, इलाहाबाद शहरी क्षेत्र, वाराणसी शहरी क्षेत्र, आगरा शहरी क्षेत्र, गोरखपुर शहरी क्षेत्र
सी	देहरादून शहरी क्षेत्र, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी-कम-काठगोदाम, नजीबाबाद, नगीना, चाँदपुर, बिजनौर शहरी क्षेत्र, चन्दौसी, सम्भल, नोवडा, अमरोहा, रामपुर, देवबन्द, सहारनपुर, रुड़की शहरी क्षेत्र, हरिद्वार शहरी क्षेत्र, शामली, कैराना, मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र, बड़ौत, मवाना, पिल्खुआ, हापुड़, मोदीनगर शहरी क्षेत्र, खुर्जा, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, हाथरस, मथुरा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद शहरी क्षेत्र, कासगंज, एटा, मैनपुरी, साहसवान, बदायूं, पीलीभीत, उन्नाव, शाहजहाँपुर शहरी क्षेत्र, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, शाहाबाद, गंगाघाट जिला उन्नाव, रायबरेली, कन्नौज, उरई, फर्रुखाबाद-कम-फतेहगढ़ शहरी क्षेत्र, औरैया, इटावा, झाँसी शहरी क्षेत्र, ललितपुर, महोबा, बाँदा, फतेहपुर, बेला-प्रतापगढ़, बहराईच, बलरामपुर, गोंडा, नवाबगंज, डाँडा, फैजाबाद शहरी क्षेत्र, सुल्तानपुर, बस्ती, देवरिया, मऊनाथभंजन, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, मदोही, मुगलसराय शहरी क्षेत्र, मिर्जापुर-कम-विन्ध्याचल, मुरादाबाद शहरी क्षेत्र, गाजियाबाद शहरी क्षेत्र, अलीगढ़
अवर्गीकृत	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य नगर [illegible]

3—वेतन का निर्धारण उस वेतन से है जैसा कि दिल्ली [illegible]
भाग 2-4 के मूल नियम 22(1)(a)(1) में परिभाषित है। [illegible]
जिन्होंने दिनांक 1-1-96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती
वेतनमान में ही बने रहने के लिये विकल्प दिया हो, के लिए भी वेतन का निर्धारण
मूल वेतन के अतिरिक्त दिनांक 1-1-96 को भारसाधक वेतन [illegible]
227/दस-(ii) वि स/98, दिनांक 21-5-96 के अनुसार देय [illegible]
भारसाधक संख्या वे0आ0-1-2043/दस-95-39 [illegible], दिनांक 14-10-96
तथा भारसाधक संख्या वे0आ0-1-624/दस-39 वि स/[illegible] दिनांक
16-8-95 के अनुसार देय अन्तरिम सहायता क्रमशः रु. [illegible] तथा
10 प्रतिशत की दर से [illegible] पर
10 प्रतिशत की दर से अन्तरिम सहायता की राशि [illegible]

4— ✓ सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त सहायक [illegible]
लिए नियुक्त संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों [illegible]
नियुक्त प्राधिकरणों सहित तथा तदनुसार अकुशी/दिनों के [illegible]
के सम्बन्ध में भारत सरकार/हिताय की उपरोक्त दरें लागू नहीं होंगी।
उनके सम्बन्ध में उपरोक्त दरें मार्गदर्शी हैं। सम्बन्धित संस्थायें अपनी वित्तीय
स्थिति एवं भुगतान क्षमता को देखते हुए निर्णय लेंगे कि वह [illegible]
को संशोधित दरों के अधीन रखते हुए [illegible]
संशोधित दरें किस तिथि से लागू की जायें।

5— भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ साथ अन्य
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, तथा भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय
वन सेवा के अधिकारियों जिन्हें लखनऊ में सरकारी आवास नहीं दिया गया
है अथवा आप किसी कालोनी में रहते हैं, को भारसाधक संख्या जी-1-607/
दस-95-219-87, दिनांक 13 जनवरी, 1995 एवं भारसाधक संख्या जी-1-
91/दस-95-219-87, दिनांक 1 जून, 1995 के अनुसार [illegible]
भत्ता के अतिरिक्त अकुशल भत्ते की [illegible] [illegible]
तीन भत्ता स्वीकृत किया गया था। [illegible]

शासन के निर्णयानुसार राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले सभी वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें मकान किराया भत्ता वर्तमान में दिया जा रहा है तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को यह भत्ता समान रूप से दिया जाये। अतः अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मकान किराया भत्ता की धनराशि से सम्बन्धित तालिका के अनुसार ही मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा।

6. ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को उतने वेतन पर देय हो।

7. संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते हैं अथवा अपने निजी आवास में निवास करते हैं।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को ग्रामीण आवास भत्ता के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

9. उपरोक्त शासनादेश संख्या जी-1-60/दस-95-219/87, दिनांक 13 जनवरी, 1995 एवं जी-1-91/दस-95-219/87, दिनांक 1 जून, 1995, दिनांक 1 जून, 1999 से निष्प्रभावी समझे जायें। शासनादेश संख्या जी-1-900/दस-263/88, दिनांक 24 जुलाई, 1992 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

10. यह आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होगा।

भवदीय,

(सु० हलीम खाँ)
सचिव, वित्त विभाग

संख्या जी-1-373/दत्त-99-205/99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-1, 2, 3, इलाहाबाद/लखनऊ

2-सचिवालय के समस्त अनुभाग

3-वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग-1

4-वित्त(पद भार दण्ड निर्धारण)अनुभाग

5-राज्यपाल सचिवालय

6-विधान सभा/परिषद सचिवालय

7-निदेशक वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

विशेष प्रभार
संयुक्त सचिव

संख्या जी-1-375/दस-99-203/99

प्रेषक,

श्री मु0 हलीम खाँ,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 10 जून, 1999

विषय:- नगर प्रतिकर भत्ता की संशोधित दरें ।

महोदय,

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 1998 के सातवें प्रतिवेदन तथा इस पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या जी-1-1166/दस-262/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 एवं शासनादेश संख्या जी-1-977/दस-262/88, दिनांक 16 अगस्त, 1993 को संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, आगरा तथा इलाहाबाद नगरों में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू नये वेतनमानों में निम्नांकित तालिका में उल्लिखित मूल वेतन के अनुसार उनके सम्मुख इंगित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

मूल वेतन	नगर प्रतिकर भत्ता की दरें (रु0)		
	कानपुर	लखनऊ तथा वाराणसी	बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, आगरा, तथा इलाहाबाद
	2	3	4
3,000 से कम	55	40	25
3,000 से 5499	80	60	40
5,500 से 7,999	120	90	60
8,000 तथा अधिक	150	120	100

4- अनुचित नगरों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य नगर में पुलिस [illegible] दिया जा रहा हो वह दिनांक 1 जून, 1999 से नहीं आहरित किया जायेगा तथा पुनरीक्षित करने/निर्णय/स्पष्टीकरण / आदेश निर्गत करने का सारा दायित्व होगा ।

5- मूल वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि वित्तीय व्यवस्थित खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 9(21)(a)(i) में परिभाषित है ।

6- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी राज्य कर्मचारियों के समान उपरोक्त संशोधित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य होगा ।

7- ऐसे राज्य कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमानों में ही बने रहने के लिये विकल्प दिया हो, के लिये "वेतन" का तात्पर्य मूल वेतन के अतिरिक्त दिनांक 01 जनवरी, 1996 को शासनादेश संख्या वे0आ0-1-29/दस-96-एम0/96, दिनांक 21 मई, 1996 के अनुसार अंतरिम राहत/आई0 शासनादेश संख्या वे0आ0-1-2043/दस-93-39 एम0/93, दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 तथा शासनादेश संख्या वे0आ0-1-624/दस-39 एम0/93, दि0वी0, दिनांक 16 अगस्त, 1995 के अनुसार देय अन्तरिम सहायता क्रमशः 100 रू0 प्रतिमाह की दर से प्रथम विकल्प तथा वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम 100 रू0 प्रतिमाह की द्वितीय विकल्प की दर से प्रतिकर भत्ता देय होगा ।

8- ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं, नगर प्रतिकर भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा, जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को उसी वेतन पर देय है ।

9- राजकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों तथा कतिपय अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में आदेश नगर प्रतिकर भत्ता की दरें स्वतः लागू नहीं होंगी । यह दरें उनके लिये मार्गदर्शी हैं । स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम अपनी संशोधित दरों के अधीन रहते हुए अब केवल इतना ध्यान दीजिये कि नगर प्रतिकर भत्ता की

संशोधित दरों को किस तिथि से लागू किया जाये ।

8- उपरोक्त शासनादेश संख्या जी-1-1166/दस-262/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 एवं शासनादेश संख्या जी-1-977/दस-262/88, दिनांक 16 अगस्त, 1993 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें ।

9- यह आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होगें ।

भवदीय,

(मु0 हलीम सी)
सचिव।

संख्या जी-1-375(1)/दस-99-203/99, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार-1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ ।

(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(4) वित्त (पद माप दण्ड निर्धारण) अनुभाग ।

(5) सचिव, श्री राज्यपाल ।

(6) विधान सभा/परिषद सचिवालय ।

(7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

विषय संख्याः २०

पृष्ठ संख्याः ८३

विषयः **श्री राजकुमार खन्ना, चौकीदार तथा उनके परिवार की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।**

श्री राजकुमार खन्ना, चौकीदार के पद पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत है। दिनांक 29.4.98 को अपने प्रार्थना–पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया है कि अपने पिता तथा अपने पुत्र की बीमारी के लम्बे अवधि में लगभग चिकित्सीय व्यय रु0 22,520/= मात्र हुआ। इनके अलावा दिनांक 16.11.98 को प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि अपने पिता, पत्नी एवं स्वयं पर चिकित्सीय व्यय रु0 12,426.85 पै0 मात्र के भी बिल बाउचर प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त सभी परिजनों का इलाज स्थानीय मेडिकल कालेज लखनऊ में हो रहा है। जिसका सभी प्रमाण–पत्र तथा पर्चे पत्रावली के दाई ओर संलग्न है।

उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 4.5.98 द्वारा श्री खन्ना को चिकित्सीय व्यय रु0 22,520/= में से स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रु0 10,000/= मात्र चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, उक्त धनराशि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृति न होने के कारण अभी असमायोजित है। पूर्व पृष्ठ संख्या 48 पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार रु0 14,300/= मात्र की प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के भुगतान की स्वीकृति दिनांक 22.3.99 को प्रदान कर दी गयी थी।

श्री राजकुमार खन्ना, चौकीदार के परिवार पर धनराशि रु0 22,520/= + 12,426.85 पै0 कुल योग रु0 34,946.85 पै0 (रु0 चौतीस हजार नौ सौ छियालिस पै0 पच्चासी मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम प्राधिकरण बोर्ड में विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषयः विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विवादित भूमि/निर्माणों के समायोजन के सम्बन्ध में।

(1) भूमि खसरा सं0 140 ग्राम पुरनिया रकबा 1.18.0.0 भूमि का अर्जन प्राधिकरण द्वारा टिम्बर नगर योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986 में किया जा चुका है। श्री लालता प्रसाद वैश्य द्वारा वर्ष 1973 में नगर महापालिका से भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कराया गया है। स्थल पर एक पुख्ता कोठी, वाटर रिजवार्यर, ट्यूबवेल सहित एक कमरा, देव स्थान, सर्वेन्ट क्वार्टर तथा फाटक से कोठी तक खड़ण्जा रोड बनी हुई तथा चारों ओर बाऊण्ड्रीवाल भी बनी हुई है। उक्त भूमि के अर्जन के विरुद्ध श्री लालता प्रसाद वैश्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त कर रखा गया है। इस सम्बन्ध में अनुमोदन हेतु विस्तृत प्रस्ताव संलग्नक–1

(2) अर्जित भूमि में से श्रीमती चन्द्रावती 15.4×16.10 वर्गमी0 भूमि पर पुराने निर्मित मकान के समायोजन के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव संलग्नक–2

(3) भूमि खसरा संख्याः 1610 ग्राम उजरियाँव कुल रकबा 0.19.0.0 बीघा में से 0.15.0.0 बीघा का ही अर्जन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। अनार्जित भूमि 0.4.0.0 बीघा के समायोजन के सम्बन्ध में प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त कर रखा गया है। समायोजन से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्ताव संलग्नक–3

(4) भूमि खसरा संख्या 585 स्थित ग्राम बरगवाँ रकबा 1.9.0.0 का अर्जन प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है। स्थल पर भूमि पर निर्माण है जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा समायोजन की सहमति दी गयी है। समायोजन हेतु विस्तृत प्रस्ताव संलग्नक–4

(5) भूमि खसरा संख्या 601 स्थित ग्राम भदरुख रकबा 0.8.0.0 बीघा में से प्राधिकरण द्वारा 0.1.10.0 का अर्जन किया गया है, शेष 0.7.0.0 का अर्जन नहीं किया गया है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा समायोजन की प्रार्थना की गयी है। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव संलग्नक–5

(6) रिवर व्यू सहकारी आवास समिति की भूमि का अर्जन हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है। समिति के पक्ष में समायोजित की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित किया जाना है। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव संलग्नक–6

अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष संलग्नक के अनुसार अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

————0————

संलग्नक - 1

पृष्ठ सं0: ८५

विषय: भूमि खसरा सं0–140 ग्राम पुरनिया रकबा 1–18–0–0 के समायोजन के सम्बन्ध में।

आख्या:

उपरोक्त विषयक भूमि खसरा सं0–140 ग्राम पुरनिया रकबा 1–18–0–0 बीघा भूमि का बअर्जन टिम्बर नगर योजनान्तर्गत किया गया है। उक्त भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–4 व 6 की विज्ञप्तियॉ क्रमशः दिनॉक 24.2.86 व 25.2.86 को प्रकाशित की गयीं तथा दिनॉक 18.12.86 को भूमि का कब्जा भी प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार इस भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/प्राधिकरण में निहित हो चुका है। प्रश्नगत भूमि का संलग्न ले–आऊट प्लान पर दर्शाया गया है जिसके अनुसार अभी तक स्थल पर नियोजन नहीं हुआ है।

पूर्व में इस भूमि के प्रतिकर पाने हेतु श्री लालता प्रसाद वैश्य उत्तराधिकारी थे, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के उपरान्त अब उनके स्थान पर श्री अविनाश चन्द्र वैश्य, शरद चन्द्र वैश्य पुत्रगण स्व0 श्री लालता प्रसाद वैश्य तथा सुगित वैश्य पुत्र श्री सतीश चन्द्र वैश्य का नाम अमल दरामद हो गया है, अतः अब इन चारों के नाम संयुक्त रूप से समायोजन की कार्यवाही की जानी होगी।

श्री लालता प्रसाद वैश्य द्वारा अपनी भूमि का अर्जन किये जाने के विरोध में मा0 उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। यह याचिका अभी भी विचाराधीन है। श्री लालता प्रसाद वैश्य द्वारा वर्ष 1973 में नगर महापालिका से भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कराया गया है। अर्जन अनुभाग की आख्या के अनुसार मौके पर एक पुख्ता कोठी, वाटर रिजवार्यर,टयूववेल सहित एक कमरा, देव स्थान, सर्वेन्ट क्वार्टर तथा फाटक से कोठी तक खण्डंजा रोड बनी हुई है। भूमि पर चारों ओर बाऊण्ड्रीवाल भी बनी हुई है एवं बहुत से पेड़ भी लगे हैं।

श्री अविनाश चन्द्र वैश्य द्वारा उक्त भूमि पर बने हुए निर्माण को समायोजित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। भूमि खसरा सं0–140 का कुल रकबा 4807.38वर्गमी0 है। सीतापुर रोड के मध्य से कोठी की बाऊण्ड्रीवाल की दूरी 28.346मी0 है। सीतापुर रोड की चौड़ाई के अन्तर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 1406वर्गमी0 है। इस भूमि पर मार्ग निर्माण हेतु भूमि का मूल्य लोक निर्माण विभाग/विकास प्राधिकरण द्वारा दिया जायेगा अथवा मुआवजा/एफ0ए0आर0 पक्ष को देकर भूमि मार्ग विस्तार हेतु प्राप्त की जायेगी। सीतापुर रोड के अन्तर्गत आने वाली भूमि को कम करने पर अवशेष भूमि 3400वर्गमी0 भूमि रह जाती है। इस प्रकार श्री अविनाश चन्द्र वैश्य व अन्य की कुल भूमि के बदले 60% ही भूमि समायोजन की जानी है, जो चारों के नाम संयुक्त रूप से

समायोजित करने की प्रार्थना श्री अविनाश चन्द्र वैश्य व अन्य के द्वारा की गयी है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि भूमि खसरा सं0–140 के पीछे व बगल की भूमि का समायेाजन शासन/प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है, जिससे श्री वैश्य की भूमि, योजना भूमि से अलग हो जाती है। साथ ही निर्माण एवं परटैनिंग लैण्ड का समायोजन टिम्बर नगर योजनान्तर्गत श्रीमती प्रतिभा देवी की भ ूमि का भी किया गया है। इनकी भूमि का भी विवाद मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है जिससे प्राधिकरण को भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हो पाया है एवं इनकी भूमि के समीप की भूमि का समायोजन हो चुका है। इस प्रकार से यदि श्री वैश्य की भ ूमि का समायेाजन करने हेतु इनसे समझौता करके कार्यवाही की जाती है तो जहाँ एक ओर मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद समाप्त हो जायेगा वहीं दूसरी ओर प्राधिकरण को इनके भूमि की 40% भूमि विकास कार्य हेतु प्राप्त होगी तथा प्राधिकरण को श्री वैश्य द्वारा किये जाने वाले विकास/निर्माण कार्यो हेतु विकास शुल्क प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार श्री वैश्य व अन्य के निर्माण व परटैनिंग लैण्ड के समायोजन पर निम्न शर्तो के साथ विचार किया जा सकता है:–

(1) श्री वैश्य द्वारा समायोजित भूमि का विकास शुल्क देय होगा।

(2) श्री वैश्य को सीतापुर रोड के अन्तर्गत आने वाली भूमि को छोड़ना होगा जिसका प्रतिकर भुगतान प्राधिकरण द्वारा पक्ष को किया जायेगा तथा अवशेष भूमि जो लगभग 70% है, का 60% भाग का समायोजन चारों के पक्ष में किया जायेगा।

(3) श्री वैश्य द्वारा 70% भूमि का प्रतिकर नहीं लिया जायेगा और न ही श्री वैश्य से प्राधिकरण द्वारा भूमि का मूल्य लिया जायेगा।

(4) श्री वैश्य व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय से वापस लेनी होगी।

(5) श्री वैश्य द्वारा प्राधिकरण से नियमानुसार निर्माण हेतु ले–आऊट प्लान/ मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

(6) श्री वैश्य द्वारा यदि भूमि बेची जाती है तो भूमि की रजिस्ट्री /लीज डीड प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जायेगी।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

–000–

संलग्नक-2

पृष्ठ सं0: ८७

विषय: **श्रीमती चन्द्रावती की भूमि पर स्थित निर्माण के समायोजन के सम्बन्ध में।**

सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत ग्राम पहाड़पुर की निवासिनी किसान श्रीमती चन्द्रावती की कुल भूमि लगभग 12 बीघा का अर्जन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। अर्जित भूमि में से श्रीमती चन्द्रावती का 15.4 × 16.10वर्ग मी0 भूमि पर पुराना मकान निर्मित है। चूंकि यह एक गरीब किसान है और इनके पास कोई अन्य भूमि अथवा भवन नहीं है, अतः मात्र 247.94वर्गमी0 भूमि व निर्माण निम्न शर्तो पर समायोजन करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है:-

(1) श्रीमती चन्द्रावती द्वारा उक्त भूमि व निर्माण का प्रतिकर प्राप्त नहीं किया जायेगा।

(2) श्रीमती चन्द्रावती द्वारा विकास शुल्क देय होगा।

(3) यदि इनके द्वारा इस भूमि का विक्रय किया जाता है तो भूमि की रजिस्ट्री/लीज डीड प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

-000-

संलग्नक-'3

पृष्ठ संख्याः ८८

विषयः भूमि खसरा सं0–1610 ग्राम उजरियाँव के सामायोजन के सम्बन्ध में।

भूमि खसरा सं0–1610 जिसका कुल रकबा 0–19–0–0 बीघा है जो ग्राम उजरियाँव आवासीय योजना भाग–1 में किया गया है, परन्तु सम्पूर्ण रकबे का अर्जन न होकर 0–15–0–0 बीघा भूमि का ही अर्जन हुआ है तथा 0–4–0–0 बीघा भूमि का अर्जन अवशेष है जिसके कारण भू–स्वामी श्रीमती महादेई द्वारा अपनी 0–4–0–0 अनार्जित भूमि के सामायोजन हेतु प्रार्थना की गयी है। उक्त भूमि खसरा सं0–1610 पर प्राधिकरण द्वारा ले–आउट में सड़क एवं भूखण्डों की प्रस्तावना की गयी है, जिसमें विशाल खण्ड–2 में भूखण्ड सं0–2/385 व 2/386 प्रभावित हैं तथा मा0उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है तथा श्रीमती महादेई द्वारा उक्त भूखण्डों पर कब्जा कर लिया गया है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त खसरे की अवशेष भूमि खसरा सं0–0–4–0–0 बीघा का अर्जन गोमती नगर योजना भाग–4 के अन्तर्गत प्रस्तावित है, परन्तु अभी तक अर्जन हेतु विज्ञप्तियाँ जारी नहीं की गयी हैं। चूँकि उक्त भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है जिसके कारण भूखण्ड सं0–2/385 व 2/386 का कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए भू–स्वामी से समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त कर ली जाये।

उपरोक्तानुसार यदि श्रीमती महादेई से उनकी अनार्जित भूमि 0–4–0–0 के सम्बन्ध में समझौता किया जाता है तो निम्न शर्तों के साथ किया जा सकता है, जिससे प्राधिकरणहित सुरक्षित रहे:–

(1) श्रीमती महादेई द्वारा दायर वाद समाप्त करना होगा।

(2) श्रीमती महादेई को उनकी कुल भूमि की 60% ही भूमि उपलब्ध एवं सामायोजित की जायेगी।

(3) श्रीमती महादेई द्वारा कोई प्रतिकर एवं भूमि का मूल्य नहीं प्राप्त किया जायेगा।

(4) श्रीमती महादेई द्वारा 60% सामायोजित भूमि का विकास शुल्क(वाह्य एवं आन्तरिक) देय होगा।

उपरोक्त विषय प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सलग्नक-4

विषय: ग्राम बरगंवा परगना बिजनौर, लखनऊ स्थित भूखण्ड संख्या- 585 में निर्मित भवन का समायोजन हेतु।

कानपुर रोड योजना भाग-1 के अर्न्तगत भूमि खसरा संख्या 585 स्थित ग्राम बरगवा परगना व जिला लखनऊ क्षेत्रफल बीघा 1-9- 0-0 का अर्जन भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 व धारा 6/17 की विज्ञप्ति का प्रकाशन क्रमश दिनांक 23-8-76 व 20-11-76 को शासकीय गजट में प्रकाशित किया जा चुका है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 23-3-86 को लखनऊ विकास प्राधिकरण को भमि का कब्जा हस्तांतरित किया जा चुका है। भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 9-1-86 को घोषित किया जा चुका है।

2- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित अभिनिर्णय के अनुसार खसरा सं0 585 स्थित बरगवा रकबा 1-9-0-0 डा0 मुन्नी लाल पुत्र रामेश्वर दास के नाम 1370फ से भूमिधरी अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खतौनी 1396 फसली से 1401 फसली तक में अंकित विवरण के अनुसार उक्त भूमि स्व0 श्री मुन्नीलाल के वारिस श्री प्रद्युमन व कृष्ण टण्डन व राम टण्डन के नाम दर्ज करा दी गई है।

3- विभागीय अगीन की आख्या के अनुसार स्थल पर किया गया निर्माण अर्जन से पूर्व का बताया गया है।

4- प्रश्नगत भूमि पर स्थित निर्माण के संबंध में अभियंत्रण खण्ड द्वारा सर्वे प्लान उपलब्ध कराया गया है। भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 1-9-0-0 है। जबकि भवन का निर्माण 357-78 वर्ग मी0 व टीन शेड का निर्माण 143-30 वर्ग मी0 है। खुली भूमि लगभग 3100 वर्ग0मी0 है।

5- प्रश्नगत भूमि पर नियोजन विभाग द्वारा कोई नियोजन नहीं किया गया है तथा भूमि का उपयोग आवासीय बताया गया है।

6- अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमि के प्रतिकर से संबंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं है परन्तु कैश बुक व वाउचर के आधार पर इस भूखण्ड का प्रतिकर भुगतान होना नहीं पाया गया है।

7- शासनादेश 968/9-आ-3-98-127एल0ए0/94 दिनांक 01 जून,1998 में समायोजित किये जाने वाले भाग को संलग्न नक्शे पर ए0बी0सी0डी0 व ई0 पर दिखा गया है। जिसमें निर्मित भवन के क्षेत्रफल 357-78 वर्ग मी0 के अतिरिक्त खुली भूमि भी समाहित

क्रमश:----

के शेष भूमि प्राधिकरण को प्राप्त होगी जिसे निश्चित कर दिया गया है।

उपरोक्त स्थिति में निम्न शर्तों पर प्रश्नगत भूखण्ड को समायोजन करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है:-

(अ) भू-स्वामी को प्राधिकरण की नीति के अनुसार समायोजित की गई भूमि का विकास शुल्क देना होगा।

(ख) समायोजन के प्रश्न अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों एवं भूमि का कोई भी प्रतिकर प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया जायेगा।

(स) भू-स्वामी द्वारा प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी निर्माण/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।

(द) महायोजना के भू-उपयोग के अनुसार समायोजित भूमि का भू-उपयोग आवासीय होगा।

संख्या- 360/9-आ-3- 98-127 एल. ए./9

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव ।
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ निकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 01 जून, 1998

विषय: ग्राम बरगवां परगना बिजनौर, लखनऊ स्थित भूखण्ड संख्या - 585 में निर्मित भवन का समायोजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-आर- 8831/सचिव/नि0प्र0TO दिनांक 02.4.98 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाटा-संख्या- 585 में 457.78 वर्ग मी0 पर भवन निर्माण अर्जन की कार्यवाही के पूर्व का है तथा प्रस्तावित स्थल की अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ऐसी स्थिति में अब अर्जन मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है । किन्तु अर्जित भूमि के एक भाग पर आवासीय भवन अर्जन से पूर्व का निर्मित है, इस भाग को सामान्य शर्तों पर समायोजित किया जाना उचित प्रतीत होता है । शेष भूमि पर प्राधिकरण अपनी योजना बना सकता है । समायोजित किये जाने वाले भाग को लाल रंग पर ए,बी,सी,डी तथा ई पर दिखाया गया है । अतः कृपया प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में विचारोपरान्त कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव ।

Attested
(राम अवतार)
निजी सचिव,
सचिव, आवास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(16)

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

कानपुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत (खसरा सं० 5

ग्राम बरगवाँ पर श्री कृष्ण वन्डन द्वारा लघु

उद्योग एवं भवन निर्माण का सर्वे

(खसरा सं० 565 का सीमांकन/पुष्टि अर्जन विभाग द्वारा की जानी है)

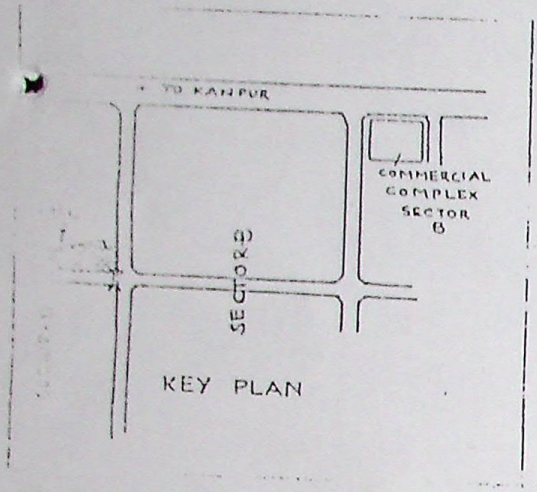

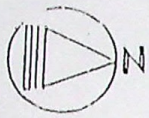

ALL DIMENSIONS IN METER

SCALE : 1:400

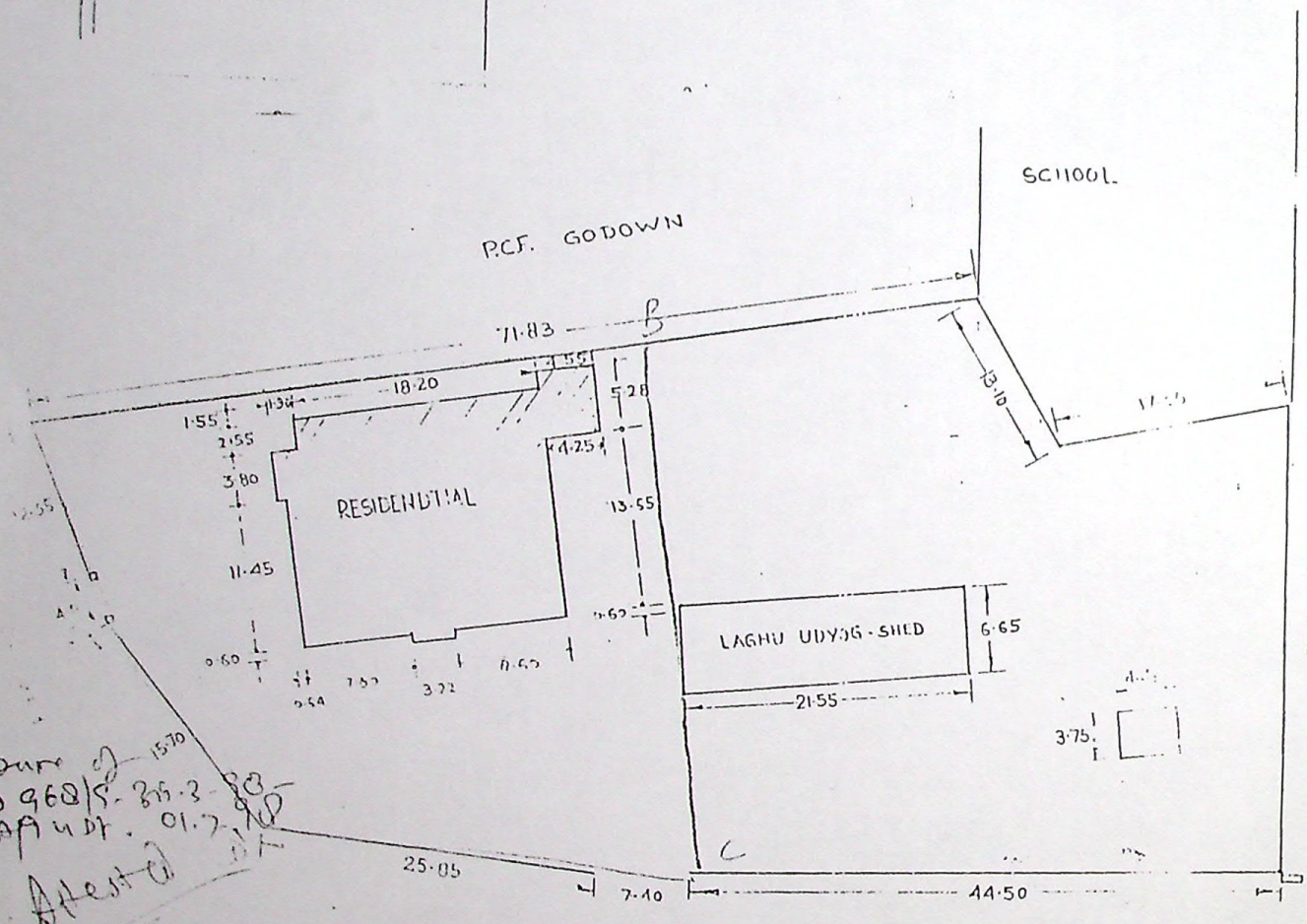

Enclosure of
Lt No 968/S-35-3-88
127 LAPA Dt. 01.7.98
Attested
10.6.98

(राम शंकर)
निजी सचिव,
सचिव, आवास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

Jr. Engr. 24/5/97

24-5-97
Asst. Engr

Exec. Engr

संलग्नक-5

पृष्ठ सं0: ९३

विषय: भूमि खसरा सं0-601स्थित ग्राम भदरूख रकबा 0-7-0-0 के समायोजन के सम्बन्ध में

आख्या:

खसरा सं0-601 स्थित ग्राम भदरूख प्राधिकरण द्वारा विकसित किये जा रहे रश्मि खण्ड(शारदा नगर योजना) में स्थित है। खसरा सं0-601 के कुछ भाग पर 9.00मी0 चौड़ी सड़क तथा शेष भाग पर पार्क प्रस्तातिव है। प्राधिकरण द्वारा खसरा सं0-601 स्थित ग्राम भदरूख की सम्पूर्ण भूमि 0-8-10-0 का नियोजन कियाजा चुका है।खसरा सं0-601 स्थित ग्राम भदरूख के केवल 0-1-10-0 भूमि का ही अर्जन कानपुर रोड योजना भाग-4 के अन्तर्गत किया गया है, शेष 0-7-0-0 भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के विषय में समिति एवं श्री शशी भूषण के मध्य वार्ता के पश्चात निम्न विकल्प प्रस्तुत किया गया है:-

(1) श्री शशी भूषण की खसरा सं0-601 स्थित ग्राम भदरूख रकबा 0-7-0-0 अर्थात 9528.75 वर्ग फुट भूमि जिसका अर्जन नहीं किया गया है, के बदले 60% विकसित भूमि अर्थात 5717.25 वर्ग फुट भूमि शारदा नगर योजना में भूखण्ड के रूप में श्री शशीभूषण को दे दिया जाय।

(2) श्री शशी भूषण को देय 60% विकसित भूमि में से भूमि का मूल्य प्राधिकरण द्वारा नहीं लिया जायेगा तथा श्री शशी भूषण द्वारा 60% विकसित भूमि पर देय विकास शुल्क दिया जायेगा।

(3) श्री शशी भूषण द्वारा योजना स्थित 0-7-0-0 भूमि का हस्तान्तरण सेल डीड के माध्यम से प्राधिकरण के पक्ष में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में देय स्टैम्प ड्यूटी श्री शशी भूषण द्वारा वहन किया जायेगा।

(4) योजना स्थित खसरा सं0-601 ग्राम भदरूख रकबा 0-7-0-0 भूमि का कोई भी प्रतिकर श्री शशी भूषण द्वारा नहीं लिया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नक-6

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में रिवर व्यू सहकारी आवास समिति की अर्जित भूमि के बदले समिति को 60% विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या:

उपरोक्त विषयक विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनॉक 30.8.1997 में अनुपूरक विषय सं0-3 पर रखा गया था, जिसकी प्रति संलग्न है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को निर्णय हेतु शासन को संदर्भित कर दिया जाये, तदुपरान्त शासन द्वारा अपने पत्र सं0- एम0ओ0-16/9-आ-3-98-8एल ए0/96 दिनॉक 12.6.98 के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था, पत्र संलग्नक-2

यहॉ यह अवगत कराना है कि समिति की भूमि हरदोई रोड योजनान्तर्गत ग्राम छन्दोहिया की भूमि खसरा सं0-211 से 218, 224 व 228 से 232 कुल क्षेत्रफल 11.478एकड़ है जिसका भू-उपयोग महायोजना 2001 में व्यापारिक है। चूँकि समिति को आवासीय भू उपयोग की भूमि ही उपलब्ध कराया जाना है, अतः प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनॉक 30.8.97 व शासनादेश दिनॉक 12.6.98 के अनुपालन में समिति की भूमि का समायोजन करने से पूर्व समिति की भूमि का भू-उपयोग व्यापारिक से आवासीय में परिवर्तित किया जाना आवश्यक होगा।

इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0 से राय प्राप्त की गयी है, जिसके अनुसार समिति की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव निम्न बिन्दुओं के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-

(1) शासन द्वारा निर्गत शासनादेशानुसार उक्त समिति की भूमि का 60% मात्र समायोजित किया जाना है।

(2) रिवर व्यू सहकारी आवास समिति की भूमि जिसका भू-उपयोग व्यापारिक है, को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने की स्वीकृति।

(3) हरदोई रोड योजनान्तर्गत समिति की भूमि के समकक्ष आवासीय भूमि को व्यापारिक भूमि में परिवर्तित करने की स्वीकृति।

-000-

संलग्नक :-

अनु०

318

विषय संख्या: 3

पृष्ठ सं ९५

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में रिवर व्यू सहकारी आवास समिति की अर्जित भूमि के बदले समिति को 60% विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

आख्या:

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड(कामधेनु नगर) आवासीय योजना के अन्तर्गत 1355एकड़ भूमि अर्जित की गयी थी। इस हेतु धारा:4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति क्रमश:12.5.81 व 3.7.83 को प्रकाशित की गयी थी तथा भूमि का कब्जा तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को वर्ष 1985 में हस्तान्तरित किया गया था एवं दिनॉक 22.9.86 को अभिनिर्णय घोषित किया गया।

योजना के लिए अर्जित भूमि के अन्तर्गत ग्राम छन्दोहिया की भूमि खसरा सं0:211से 218,224 व 228 से 232 जिसका क्षेत्रफल कुल रकबा 11.784एकड़ जो रिवरव्यू सहकारी आवास समिति के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। उक्त भूमि समिति द्वारा नीलामी में वर्ष 1973 में क्रय की गयी थी।इससे स्पष्ट है कि कि धारा 4/17 की विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पूर्व यह भूमि इनके नाम अंकित थी।

रिवरव्यू सहकारी आवास समिति ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन सं0:2(एल0ए0)/1997 दायर की थी जिसकेसम्बन्ध ने मा0उच्च न्यायालय,लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अपने आदेश दिनॉक 10.1.97 द्वारा भूखण्डों को अर्जन से मुक्त करने व इनके द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार करने हेतु निर्देशित किया गया है। रिवरव्यू सहकारी आवास समिति ने अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से अनुरोध किया है कि इनकी भूमि को समायोजित कर लिया जाय इस हेतु ये विकास व्यय देने को सहमत हैं।

अवगत कराना है कि कानपुर रोड आवासीय योजना के अन्तर्गत आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण समिति को निम्न शर्तों के साथ भूमि समायोजित करने के सम्बन्ध में शासन के आवास विभाग द्वारा शासनादेश सं0:एम0ओ0:238/9.आ.3.92/20एल0ए0/92 दिनॉक 26.11.92 निर्गत किया गया था:

1. अर्जित भूमि का 60प्रतिशत विकसित क्षेत्र के रूप में समिति को उपलब्ध कराया जाय।

2. भूमि के सम्बन्ध में समिति न तो कोई प्रतिकर ले और न ही उससे भूमि का मूल्य लिया जाय, परन्तु विकास कार्य हेतु विकास शुल्क उपलब्ध करायी गयी भूमि के लिए लिया जाय।

3. उपलब्ध करायी गयी भूमि में भूखण्डों का साइज एवं आवन्टन समिति द्वारा ही किया जाय, परन्तु इसमें निबन्धन सहकारी आवास समितियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित रखा जाय जिससे शासन के तत्सम्बन्धी निर्देशों को पालन सुनिश्चित रहे।

उक्त शासनादेश के क्रम में अन्य समितियों के मामलें में एक विस्तृत टिप्पणी प्राधिकरण के विचारार्थ प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 20.1.93 में अनुपूरक विषय संख्या:2 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी थी,जिसकी फोटोप्रति संलग्न है। इस बैठक में प्राधिकरण द्वारा निम्न

317

निर्णय लिया गया:-

पृष्ठ : ९६

"प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि विकास शुल्क का भुगतान शासन के निर्देशों के अनुसार ही लिया जाय""

शासन के उक्त आदेश तथा प्राधिकरण द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में अब तक निम्न आवासीय समितियों को विकास व्यय लेकर 60% विकसित भूमि उपलब्ध कराई गयी है:-

क्र0सं0	समिति	60% विकसित भूमि जो उपलब्ध कराई गयी (एकड़ में)	योजना जहाँ पर भूमि स्थिति	समिति की स्थिति भूमि
1.	मानसरोवर सहकारी आवास समिति	4.761	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
2.	स्वर्गाश्रम सहकारी आवास समिति	5.623	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
3.	प्रोग्रेसिव सहकारी आवास समिति	15.120	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
4.	फ्रेण्ड्स सहकारी आवास समिति	13.045	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
5.	अमरावती सहकारी गृह निर्माण आवास समिति	3.74	गोमती नगर योजना	टिकैतराय आवासीय योजना
6.	लखनऊ विकास सहकारी आवास समिति	2.70	सीतापुर रोड यो0 (टिम्बर नगर)	सीतापुर रो0यो0 (टिम्बर नगर)
7.	मधुवन नगर भिलावाँ सहकारी आवास समिति	2.088	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
8.	फिरोजगाँधी सहकारी आवास समिति	–	अलीगंज यो0	अलगंज योजना
9.	आम्रपल्ली सहकारी गृह निर्माण समिति	5.209	रायबरेली रो0यो	कानपुर रो0यो0 भाग-4

उक्त समितियों से नियमानुसार विकास व्यय जमा कराया जा रहा है।

यह अवगत कराना है कि हरदोई रोड योजना में प्रतिकर की धनराशि कम होने के कारण किसानों का बराबर अवरोध रहा है एवं प्राधिकरण अभी तक इस योजना में कोई विकास कार्य नहीं कर पाया है। इसी सम्बन्ध में दिनांक 20.5.97 को माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री जी द्वारा किसानों को अतिरिक्त धनराशि भुगतान करने की घोषणा की गयी थी एवं दिनांक 9.6.97 आवास विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत किया गया, परन्तु फिर भी धनराशि का भुगतान करके कब्जा प्राप्त करने एवं पूरी योजना का विकास करने में कुछ समय लगेगा।

[illegible] मिश्रा

[illegible]

रिवरब्यू सहकारी आवास समिति का प्रकरण भी उन अन्य समितियों की भाँति ही है, जिन्हें पूर्व 60% विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये गये है। अतः रिवरब्यू सहकारी आवास समिति को भी 60% विकसित भूखण्ड उक्त प्रतिबन्धों के साथ उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

यह भी उल्लेख करना है कि रिवरब्यू सहकारी आवास समिति के अतिरिक्त कुछ अन्य आवासीय समितियों जो इसी प्रकार विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध बराबर कर रही है। अतः रिवरब्यू सहकारी आवास समिति के प्रकरणके साथ-साथ अन्य मामलों में भी गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दु प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं:

1) रिवरब्यू सहकारी आवास समिति को हरदोई रोड योजना में 60% विकसित भूखण्ड उक्त शर्तों के अधीन उपलब्ध कराने की स्वीकृति।

2) अन्य आवास समितियों के प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने की स्वीकृति।

(एस0 बी0 मिश्र)
अधीक्षण अभियन्ता

315 - संलग्नक -

पृष्ठ : ९८

प्रेषक,

एच0 सी0 सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 12 जून, 1998

विषय: रिवर व्यू सहकारी आवास समिति लि0 की ग्राम छन्दोखिया, लखनऊ स्थित भूमि के अर्जन मुक्ति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 1665/ए0सी0/एस0ई0/97, दिनांक 16.1.98 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक दिनांक 30.8.97 में लिए गये निर्णय तथा इसी मामले में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दि0 10.1.97 के अनुपालन के क्रम में प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया है ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचारोपरान्त आवश्यक निम्नवत शासनादेश संख्या- 1470/9-आ-3-98-20 एम.ए./92, दिनांक 2 जून, 1998 जारी कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है । कृपया उक्त शासनादेश के अनुसार रिवर व्यू सहकारी आवास समिति की भूमि के समायोजना की कार्यवाही तत्काल सम्पादित कर दो सप्ताह के अन्दर शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें। यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि इस प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.1.97 के अनुपालन में समिति का प्रकरण शीघ्र निस्तारित हो जाये ताकि अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो ।

भवदीय,

एच0सी0 सिंह
अनुसचिव ।

...2

संख्या- ‖1‖/9-आ-3-98तददिनांक ।

उपरोक्त की प्रति श्री शबाबुद्दीन सचिव, रिवर व्यू सहकारी आवास समिति लिमिटेड, नूरजहाँ मंजिल हाफिज मसीता लेन, सोबतियाबाग, राजाबाजार, लखनऊ को उनके प्रत्यावेदन दिनांक 1.2.97 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

‖श्य०भी०सिंह‖
अनुसचिव।

संख्या- 1470 /9-आ-3-98- 20एल0ए0/92

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

(2) आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,

अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 2 जून, 1998

विषय:- निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-1634/37-2-29आ0 आ0/79, दिनांक 9-4-1980 तथा शासनादेश संख्या-8461/37-2-84-29आ0स0/79, दिनांक 25-4-1984 द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि यदि सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा भूमि धारा-4/17, भू-अर्जन अधिनियम 1894 की विज्ञप्ति जारी होने के पूर्व क्रय कर ली गई हो अथवा समितियों ने अपने सदस्यों को भूमि की रजिस्ट्री कर दी हो तो यथासम्भव उनकी भूमि का अधिग्रहण न किया जाये और यदि अधिग्रहण किया जा चुका हो तो उनकी भूमि अर्जन से मुक्त कर दी जाये । उक्त शासनादेशों के आधार पर समय-समय पर विभिन्न सहकारी आवास समितियों द्वारा उनकी भूमि अधिग्रहण से मुक्त किये जाने की याचना की जाती रही है ।

सहकारी आवास समितियों की भूमि यथासम्भव अर्जित न किये जाने के निर्देश यथावत विद्यमान है परन्तु फिर भी उनकी भूमि विकास प्राधिकरण अथवा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपनी योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के समय सम्मिलित कर ली जाती है और बाद में यह समितियां समायोजन/भू-भुक्ति के लिए "केस-टू-केस के" आधार पर प्रयास करती है । अतः शासन

.....2

द्वारा एक स्वतंत्र दृष्टि से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कतिपय प्रकरणों में की गई व्यवस्था को सामान्य नीति के रूप में अंगीकृत कर लिया जाय।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सहकारी आवास समितियां निम्न पात्रता व शर्तें पूर्ण करती हों उनकी भूमि का समायोजन प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में कर दिया जाये।

(1) सहकारी आवास समिति ने भूमि अर्जन की धारा-4 की विज्ञप्ति से पूर्व भूमि क्रय कर ली हो अथवा सदस्यों को भूमि की रजिस्ट्री कर दी हो। यदि कुछ भूमि विज्ञप्ति से पूर्व क्रय की हो और कुछ भूमि विज्ञप्ति की तिथि के बाद में क्रय की हो तो प्रस्तावित सुविधा केवल पूर्व में क्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में ही प्राप्त होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्रय करने का तात्पर्य बैनामे से है न कि "एग्रीमेन्ट टू सेल" से है।

(2) समिति की भूमि एक ही स्थान पर हो। यदि समिति की भूमि एक ही स्थान पर अथवा लगभग एक ही स्थान पर न हो तो समायोजन करते समय भूमि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर ली जाये।

(3) अर्जित भूमि का 60 प्रतिशत विकसित क्षेत्र के रूप में समिति को उपलब्ध कराया जाये।

(4) भूमि के सम्बन्ध में समिति न तो प्रतिकर तथा अन्य सम्बन्धित धनराशि ले और न ही उसके भूमि का मूल्य लिया जाये परन्तु विकास कार्य हेतु विकास शुल्क उपलब्ध करायी गई विकसित भूमि के लिए लिया जाये।

(5) समिति को उपलब्ध करायी गई भूमि में भूखण्ड का आकार एवं आवंटन सहकारी समिति द्वारा ही किया जाये परन्तु इसमें निबन्धक, सहकारी आवास समितियों के प्रतिनिधि को सम्मिलित रखा जाये जिससे शासन के तत्संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित रहे।

3- कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव।

....3...

265

संख्या-1470 (ख)/9-आ-3-98 तद्दिनांक

- -

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ ।

(4) उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु ।

(5) आवास विभाग के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(एच०पी०सिंह)

अनु सचिव।

विषयः श्री प्रवीण चन्द्र को कानपुर रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्याःए–1/52 सेक्टर–एल के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्तावः श्री प्रवीण चन्द्र को कानपुर रोड योजना के सेक्टर– "एल" में भूखण्ड संख्याःए–1/52 आवंटित हुआ था। आवंटी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उन्हें कानपुर रोड योजना में भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराये जाने में अनेकों कठिनाईयाँ है, जिसकी वजह से उन्हें कानपुर रोड योजना पर आवंटित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में 200 वर्गमी0 का एक भूखण्ड परिवर्तित कर दिया जावे। उक्त प्रकरण एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित है,जिस का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित है। इसलिये प्रकरण को लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक दिनांक 08–03–99 में प्रस्तुत किया गया था, परन्तु समयाभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका था।

तत्पश्चात आवंटी द्वारा पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कार्य की आवश्यकता को देखते हुए श्री प्रवीण चन्द्र को कानपुर रोड योजना के सेक्टर– "एल" में आवंटित भूखण्ड संख्याःए–1/52 के स्थान पर गोमती नगर योजना, फेज–2 में भूखण्ड संख्याः सी–2/468, विभव खण्ड प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांकः 16–02–99 द्वारा परिवर्तित/समायोजित कर दिया गया है। अतः कृपया प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

————————0————————

विषयःश्रीमती सरोज सिंह को गोमती नगर योजना के ग्राम– हुसेड़िया की अर्जित भूमि के बदले समायोजित भूखण्ड संख्याः1/201(बी) विनीत खण्ड के उपलब्ध न होने पर भूखण्ड संख्याः1/208(बी) समायोजित किया जाना।

श्रीमती सरोज सिंह को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत उनकी अर्जित भूमि के बदले प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 22–06–96 द्वारा समायोजित करके भूखण्ड संख्याः 1/201 (बी) विनीत खण्ड दिया गया था। श्रीमती सरोज सिंह ने प्रार्थना–पत्र दिया है कि उनकी भूमि जो समायोजित की गयी है, वह भूखण्ड संख्याः 1/208 (बी) विनीत खण्ड पर पड़ती है जिस पर कि उनका निर्माण भी है (जैसा कि प्राधिकरण बोर्ड बैठक 22–06–98 के प्रस्ताव में उल्लिखित है)। विनीत खण्ड के वर्तमान ले–आउट प्लान के अनुसार श्रीमती सिंह को दिया गया भूखण्ड उपलब्ध ही नही है तथा भूखण्ड संख्याः 1/208 (बी) विनीत खण्ड किसी को वर्तमान में आवंटित भी नही है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में श्रीगती सरोज सिंह को दिये गये भूखण्ड संख्याः 1/201 (बी) विनीत खण्ड के उपलब्ध न होने के कारण इसके स्थान पर भूखण्ड संख्याः 1/208 (बी) विनीत खण्ड समायोजित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या: २४ पृष्ठ संख्या: १०५

विषय: **श्री अतुल चन्द्रा को शारदा नगर योजना में आवंटित एच0आई0जी0 भवन संख्या 3/34 रुचि खण्ड–1 को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किया जाना।**

श्री अतुल चन्द्रा को शारदा नगर योजना में दिनांक 7.1.94 को भवन संख्या 3/34 रुचि खण्ड–1 लाटरी द्वारा आवंटित हुआ था। इस भवन का अनुमानित मूल्य रु0 5,25,000/= है। श्री चन्द्रा ने इस भवन के प्रति लगभग रु0 4,00,000/= जमा भी कर दिये है। स्थल पर भवन का निर्माण पूर्ण न होने के कारण गोमती नगर योजना में परिवर्तन चाहा है। अत: कृपया श्री चन्द्रा को आवंटित भवन संख्या 3/34 रुचि खण्ड–1 को नियमानुसार गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने का प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्याः २५ पृष्ठ संख्याः १०६

विषयः विकास प्राधिकरण (अपराधो का शमन) संशोधित उपविधि, 1998 (स्वैच्छिक शमन उपविधि) में आवश्यक परिष्कार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में शासन से प्राप्त "अपराधों का शमन" उपविधि अंगीकृत की जा चुकी है। दिनांक 30 जून, 1999 को शासन द्वारा अपने आदेश संख्याः 3015/9-आ-1-1999-120विविध दिन्नांक 30 जून, 99 द्वारा "अपराधों का शमन" संशोधन उपविधि, 1998 (स्वैच्छिक शमन उपविधि) में आवश्यक परिष्कार प्रेषित किये गये है जिसकी छाया-प्रति संलग्न-1 के रुप में संलग्न की जा रही है।

कृपया इन परिष्कारों को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें। ताकि बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त इन परिष्कारों को शासन के अनुमोदन एवं अधिसूचना जारी करने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जा सके।

3015/
संख्या /9-आ-1-1999-120विविध/99

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 30 जून, 1999

विषयः विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) संशोधन उपविधि, 1998 (स्वैच्छिक शमन उपविधि) में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4167/9-आ-1-99 दिनांक 29.12.98 द्वारा जारी स्वैच्छिक शमन उपविधि के सम्बन्ध में कतिपय प्राधिकरणों से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि वर्ष 1974 के पूर्व के निर्माणों के लिए भी वर्ष 1974 से 1983 के मध्य हुए अवैध निर्माणों हेतु निर्धारित शमन शुल्क की दर पर शमन अनुमन्य किया जाए तथा योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र जमा करने की अवधि एक माह और बढ़ाई जाए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वैच्छिक शमन उपविधि में पूर्व में निर्दिष्ट परिष्कारों के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित परिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया है:—

(क) **वर्ष 1974 के पूर्व के निर्माण** : यदि निर्माणकर्ता स्वेच्छा से शमन कराना चाहते हैं तो उन्हें भी वर्ष 1974 से 1983 के मध्य हुए निर्माणों हेतु निर्धारित शमन शुल्क की दर पर शमन अनुमन्य किया जा सकता है परन्तु इस हेतु किसी प्रकार भी बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही कोई नोटिस इस हेतु दिया जाएगा।

(ख) **योजना की समय सीमा** : वर्तमान में समय सीमा दो महीने है तथा एक और महीने का समय रू० 1000/- (समायोजन योग्य धनराशि) के आवेदन अथवा समायोजित पर अनुमन्य है। एक और महीने का समय विलम्ब शुल्क, जो वापस नहीं किया जाएगा, के भुगतान पर अनुमन्य किया जा सकता है। विलम्ब शुल्क निम्न प्रकार देय होगा:—

(1)300 वर्ग मीटर तक एकल आवासीय भवन : रू० 1000/-
(2)300 वर्ग मीटर से बड़े एकल आवासीय भवन : रू० 1500/-

(3)कामर्शियल काम्पलेक्स व ग्रुप हाऊसिंग : रू० 7500/-

(4)अन्य : रू० 3000/-

3. अतएव यह अनुरोध है कि स्वैच्छिक शमन उपविधि में उपरोक्त परिष्कारों का समावेश करते हुए संशोधित उपविधि विकास प्राधिकरण से अंगीकृत कराकर शासन को अनुमोदन एवं अधिसूचना जारी करने हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या 3015 (1)//9-आ-1-1999 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
2. आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(रामवृक्ष प्रसाद)
संयुक्त सचिव ।

विषयः– श्री नूर मोहम्मद भूखण्ड संख्या–बी–4/209 विशाल खण्ड–4 को इनके सम्मुख "डेड एण्ड" सड़क की भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में पुनर्विचार

श्री नूर मोहम्मद आई.ए.एस. को विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमतीनगर योजना के विशाल खण्ड–4 में भूखण्ड संख्या–बी–4/209 आवंटित है । इनके द्वारा दिनांक 29.4.97 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि इनके भूखण्ड के सम्मुख स्थित सड़क का भाग किसी अन्य के उपयोग में नहीं आता है इसलिए उक्त भूमि को इन्हें आवंटित कर दिया जाय इस सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दिनांक 29.7.98 को प्रस्तुत किया गया था जिसे बोर्ड द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। परन्तु श्री नूर मोहम्मद आई.ए.एस. द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.98 के माध्यम से पुनः अनुरोध किया गया कि उक्त भूमि इन्हें आवंटित कर दिया जाय।

प्राधिकरण की बैठक 8 मार्च 99 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर यह निर्णय लिया गया कि सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस निर्णय के क्रम में सचिव द्वारा दिनांक 19.4.99 को स्थल निरीक्षण किया गया जिसकी प्रति संलग्नक–1 पर अवलोकनार्थ संलग्न है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि कि प्रधानाचार्य दारूल उलूम वारसिया ने प्रश्नगत अतिरिक्त भूमि को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में अपने आपत्ति प्रस्तुत की है जिसकी छायाप्रति संलग्नक–2 के रूप में प्रस्तुत की जा रही है।

अतः उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में श्री नूर मोहम्मद को इनके भूखण्ड के सम्मुख "डेड एण्ड" सड़क के भाग को नियमानुसार निर्धारित दर पर खुले स्थान के रूप में आवंटित किये जाने तथा तद्नुसार तलपट मानचित्र परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण कृपया विचार करने का काष्ट करें।

संलग्नकः १

पृष्ठ संख्या : ११०

स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

मैने गोमती नगर स्थित भवन/भूखण्ड सं0-4/209, विशाल खण्ड-4 के सम्मुख 9 मीटर चौडी रोड का स्थलीय निरीक्षण किया । उक्त रोड पश्चिम की तरफ भूखण्ड सं0-4/202 के सामने से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर भूखण्ड संख्या-4/209 के अंत में समाप्त हो जाती है और वहीं से भूखण्ड सं0-4/94 अपने पिछले हिस्से से रोड को बन्द कर देता है, इस भूखण्ड का निकास अन्य रोड से है । अर्थात् रोड की दक्षिणी पटरी पर भूखण्ड/भवन सं0-4/202 से 4/209 स्थित है, रोड की उत्तरी पटरी पर मदरसा की चहरदीवारी है तथा रोड का पूर्वी अन्त भूखण्ड सं0-4/94 के द्वारा बन्द है ।

अब भूखण्ड सं0-4/209 के सामने की रोड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो इस भूखण्ड के सामने 9 मीटर चौडी रोड है, जिसकी उत्तरी पटरी मदरसे की चहरदीवारी से बन्द है तथा रोड का पूर्वी छोर भूखण्ड सं0-4/94 से बन्द है, ऐसी स्थिति में भूखण्ड सं0-4/209 के सामने के रोड का हिस्सा इस भूखण्ड/भवन के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए निष्प्रयोज्य है । अतः भूखण्ड/भवन सं0-4/209 के स्वामी के पक्ष में आवंटित करने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती ।

(यू० सी० तिवारी)
सचिव
ल० वि० प्रा०

दारुल ऊलूम वारसिया
ऊजरियांव बिशाल खण्ड-४,
गोमतीनगर, लखनऊ-१६
फोन : ३९२६०९

DARUL ULOOM WARSIA
UJRIYAON VISHAL KHAND-4
GOMTINAGAR, LUCKNOW-16
Phone : 392609

Ref. No.

Date...17-6-99....

सेवा में,

संयुक्त सचिव (ए),
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,
लखनऊ ।

महोदय,

निवेदन है कि आपके पत्र संख्या 917175 (ए)/99 दिनांक 9.6.99 के सम्बन्ध में कहना यह है कि भू-खण्ड संख्या बी-4/209, विशाल खण्ड के सम्मुख "डेड इण्ड" सड़क की भूमि आवंटित करने में मुझे आपत्ति है । क्योंकि श्री नूर मुहम्मद के घर के आगे तक एल0डी0ए0 द्वारा सड़क का प्राविधान किया गया है किन्तु श्री नूर मुहम्मद साहब ने सड़क की काफी भूमि को अपने कब्जे में करके सड़क को अवरुद्ध कर दिया है जिस पर मुझे आपत्ति है । मेरी सम्पूर्ण भूमि के सामने तक सड़क की भूमि मुक्त होनी चाहिए ।

अतः आपसे निवेदन है कि श्री नूर मुहम्मद साहब को सड़क पर से कब्जा हटाने का आदेश प्रदान करें ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(अब्दुल हसन कादरी)
दारुल उलूम वारसिया,
बिशाल खण्ड-4, गोमती नगर, लखनऊ ।

DARUL ULOOM WARSIA
Vishal Khand Gomti Nagar
LUCKNOW-226006 (U.P.)

विषय : गोमती नगर स्थित विश्वास खण्ड में सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि का प्राविधान किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वास भवन एवं कल्याण समिति, विश्वास खण्ड, गोमती नगर द्वारा दिनांक २२.४.९९ को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें इनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उक्त खण्ड में सामुदायिक समारोहों हेतु सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत कोई भी भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। इनके द्वारा इस सम्बन्ध में यह अनुरोध किया गया है कि उक्त खण्ड में सामुदायिक सुविधाओं हेतु एक भूखण्ड उपलब्ध कराया जाए।

विश्वास खण्ड में वर्तमान मे सामुदायिक सुविधाओं हेतु कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है। विश्वास खण्ड के मूल मानचित्र के खण्ड-२ में १८ मीटर तथा ९ मीटर मार्ग के मध्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु एक भूखण्ड प्रस्तावित किया गया था परन्तु मौके पर कब्रिस्तान होने के कारण उक्त मानचित्र को संशोधित करना पड़ा फलस्वरूप सामुदायिक सुविधाओं हेतु स्थल उपलब्ध न हो सका। विश्वास भवन एवं कल्याण समिति द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि सामुदायिक सुविधाओं हेतु भवन संख्या २/८५ से २/८८ के सामने स्थित पार्क को उन्हें निःशुल्क आवंटित कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं:-

१. चूंकि मूल विन्यास मानचित्र में विश्वास खण्ड-२ में अंकित सामुदायिक सुविधाओं के भूखण्ड को पुनरीक्षित मानचित्र में विद्यमान कब्रिस्तान होने के कारण उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अतः कब्रिस्तान हेतु छोड़ी गई भूमि को पार्क/खुले स्थल में समायोजित करते हुए प्रश्नगत पार्क के भू-प्रयोग को सामुदायिक सुविधाओं में परिवर्तित करने हेतु नियमानुसार शासनादेश संख्या 4900/9-आ-3-1996 एल0डी0/96 दिनांक 26 दिसम्बर 1996 के अनुसार जन सामान्य से आपत्तियाँ इत्यादि आमंत्रित करने के उपरान्त ही पार्क के भूखण्ड को सामुदायिक सुविधाओं हेतु प्रतिधानित किया जाना सम्भव होगा। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत स्थल का भू-प्रयोग महायोजना अनुसार आवासीय है तथा प्रश्नगत कार्यवाही केवल तलपट मानचित्र में परिवर्तन किए जाने हेतु की जानी है।

२. जहाँ तक सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रश्न है यह भूखण्ड शासनादेश संख्या ४३४६/९-आ-१-९६-१९०डीए/९५ दिनांक १८ सितम्बर, १९९६ के अनुसार आवासीय दर के ५० प्रतिशत दर पर ही आवंटित किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ७ जूलाई, १९९९ में

विचारणीय विषयों की अनुपूरक कार्य-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
१.	गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड की सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवा के भू-प्रयोग को आवासीय भू-प्रयोग में परिवर्तित करने हेतु।	०१
२.	कानपुर रोड सेक्टर "आई" स्थित भूखण्ड संख्या ए-१०९२/आई को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत परिवर्तन के सम्बन्ध में।	०४
३.	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	०५

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

अनुपूरक
विषय सं0.. /

पृष्ठ सं0: /

गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड की सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवा के भूप्रयोग को आवासीय भूप्रयोग में परिवर्तित करने हेतु।

लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना के अंतर्गत विराज खण्ड से संबंधित भू-प्रयोग आवासीय आर-2 निर्धारित था तथा इसकाक्षेत्रफल198.24एकड़ था।शासन द्वारा इस भूमि का भूप्रयोग शासनादेश सं01319-आ-3-94-6महा./93दि02.2.94द्वारा 29.18एकड़ भूमि व्यावसायिक उपयोग हेतु तथा 169.24एकड़ भूमि का भूप्रयोग सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवाओं हेतु परिवर्तित किया गया।इस प्रकार से "इस" खण्ड में वर्तमान में29.18एकड़ भूमि का एक पाकेट व्यावसायिक प्रयोग हेतु तथा 79.44एकड़ एवं 89.80एकड़ भूमि की दो पाकेट्स सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवाओं हेतु उपलब्ध है।सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवाओं हेतु उपलब्ध उक्त भूमि में से अब तक मात्र 5.00एकड भूमि नेशनल होम्योपैथिक कालेज को तथा लगभग0.5एकड़ भूमि रामकृष्ण प्रबंधन संस्थान को विक्रय की जा सकी है।शेष लगभग164.00एकड़ भूमि अनिस्तारित है। उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवाओं के उपयोग हेतु भूमि की मांग कम है।

गोमती नगर योजना के अंतर्गत विभूति खण्ड जो व्यावसायिक खण्ड है, में सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थानों के कार्यालयों हेतु भूमि उपलब्ध करायी जाती है।अनेक संस्थानों द्वारा कार्यालय परिसर के समीप ही आवासीय परिसर ———— हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जाता है।जैसाकि विदित है गोमती नगर योजना में प्रमुखतःव्यक्तिगत आवासीय भूखण्डों का विकास किया गया है तथा तद्नुसार ही भूखण्डों का आवंटन विभिन्न व्यक्तियों को किया गया है। इस योजना में सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थानों के आवासीय परिसर हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है जबकि विभिन्न संस्थानों जैसे- सीमा उत्पाद शुल्क,एन.टी.पी.सी.आदि संस्थानों द्वारा 1.5एकड़ या उससे अधिक बड़े भूखण्ड की मांग इस आशय से की जा रही है कि वे अपने अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवास की व्यवस्था कार्यालय परिसर के निकट ही कर सकें।

उपरोक्त के संबंध में प्रस्ताव है कि पूर्वोत्तर रेलवे लाइन से संलग्न फैजाबाद मार्ग की ओर विराज खण्ड की जो 89.80एकड़ भूमि सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं

क्रमशः...2

सेवाओं हेतु आरक्षित है उस भूमि की 50प्रतिशतभूमि आवासीय आर–2 प्रयोग में यदि परिवर्तित कर दिया जाता है तो सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थाओं को आवासीय परिसर विकसित करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा तथा विकास प्राधिकरण की अनिस्तारित भूमि का निस्तारण भी हो सकेगा।आख्या प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

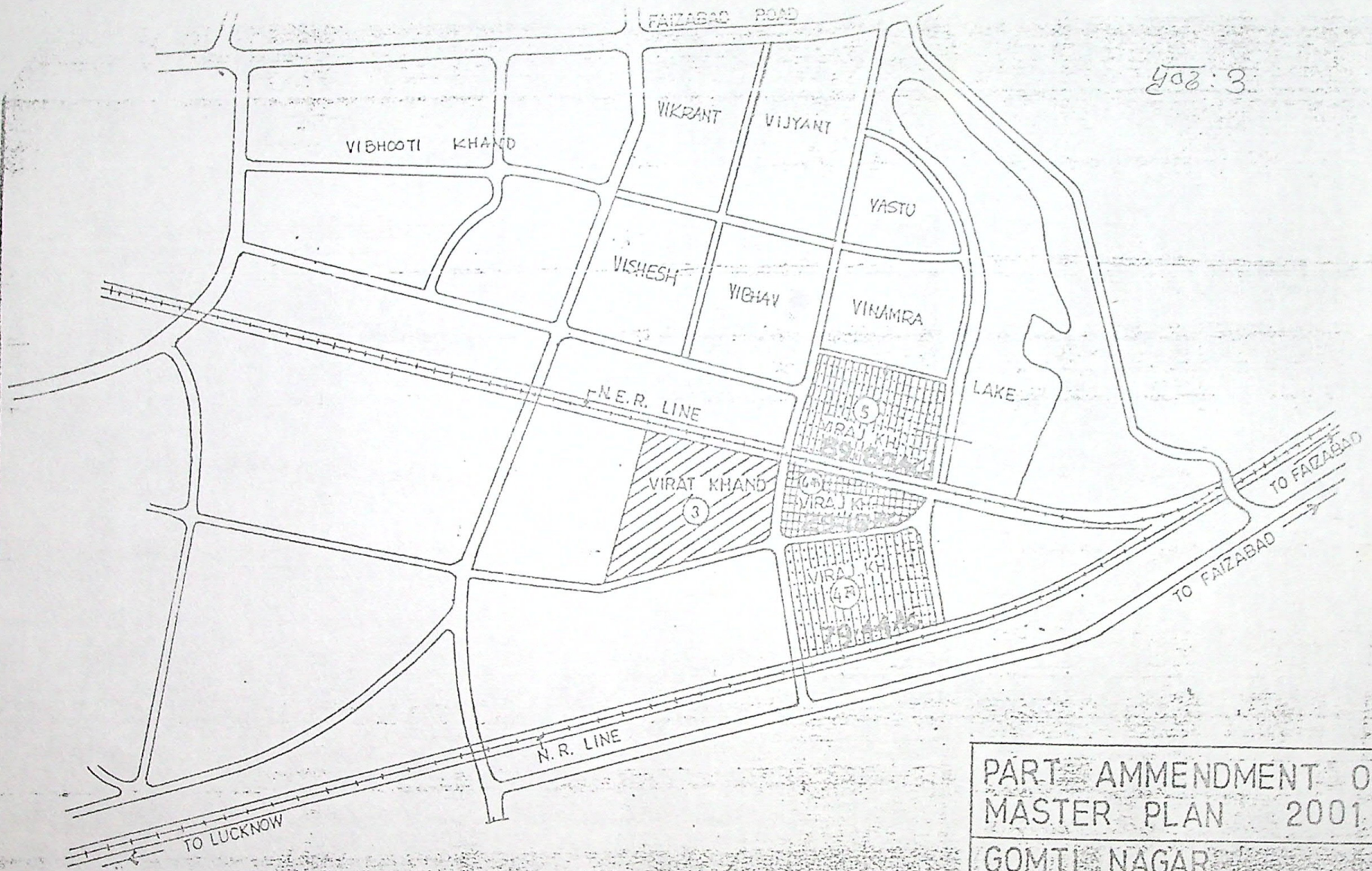

पृष्ठ : 3

PART AMMENDMENT OF MASTER PLAN 2001

GOMTI NAGAR

आवासीय R2

सामाजिक सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा

उपनगरीय वाणिज्य

NOTES:

THIS PART HAS BEEN PREPARED IN ACCO WITH THE GO 139 आ3 94 6 अव 93 DATED FOR CHANGE OF LANDUSE IN GOMTI NAG LUCKNOW.

अनु० वि० सं०: 2

पृष्ठ संख्या: 4

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ आख्या

विषय: कानपुर रोड योजना के सेक्टर –"आई" स्थित भूखण्ड संख्या: ए/1092/आई को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत परिवर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव:

मेजर संजय सिंह को कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर –"आई" में भूखण्ड संख्या: एच. आई. जी. ए–1092 कैश सेल पद्धति पर दिनांक 16–11–96 को आवंटित हुआ था। मेजर संजय सिंह द्वारा रुपया:2.00लाख जमा किया जा चुका है, परन्तु उक्त भूखण्ड विवादित होने के कारण वर्तमान में रजिस्ट्री की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि इन्हें कानपुर रोड योजना से गोमती नगर योजना में भूखण्ड आवंटित कर दिया जाय।

वर्तमान समय में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कारगिल क्षेत्र में दिन/रात्रि युद्ध जारी है। भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। प्राधिकरण भारतीय सैनिकों का सम्मान करता हूँ। क्योंकि मेजर संजय सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है और मेजर संजय सिंह वर्तमान में कारगिल क्षेत्र में तैनात भी हैं।

अत: उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मेजर संजय सिंह को आवंटित कानपुर रोड योजना स्थित सेक्टर–"आई" भूखण्ड संख्या:ए–1092 से गोमती नगर योजना के विराज खण्ड में भूखण्ड संख्या:सी–3/96 में परिवर्तन हेतु विचार करने का कष्ट करें। यह प्रस्ताव अपवाद स्वरूप है क्योंकि इस समय कारगिल व द्रास युद्ध में सेना ने भारी कुर्बानी दी है। भविष्य के लिये यह कोई उदाहरण नहीं होगा।

अनुपूरक

विषय संख्या:- 3 पृष्ठ संख्या:- 5

विषय:- अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी नागरिक यदि किसी भी क्षेत्र में (खेल/कला) में सर्वोत्तम राष्ट्रीय स्तर तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करता है तो उसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहन स्वरुप एक आवासीय भूखण्ड, आवासीय भूमि की दर की 50 प्रतिशत दर पर दिये जाने हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-3-87 में विषय संख्या-6 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया था। उपरोक्त बैठक में रखा गया विषय तथा लिये गये निर्णय की प्रति संलग्न है (संलग्नक-1 व 2) ।

2- उपरोक्त सुविधा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-12-90 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई । प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक में रखा गया विषय तथा लिया गया निर्णय संलग्न है (संलग्नक- 3 व 4)

3- श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय द्वारा वर्ष 1999 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया गया है । इससे पूर्व सेन्ट्रल जोन की टीम का नेतृत्व भी श्री पाण्डेय द्वारा किया जा चुका है । श्री पाण्डेय लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित लखनऊ विकास प्राधिकरण स्पोर्टस स्टेडियम में खेलों के संचालन के लिए गठित की गई समिति के सदस्य भी हैं। श्री पाण्डेय के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रत्यावेदन आवासीय भूखण्ड आवंटित करने हेतु दिये जाते रहे हैं ।

अत: प्राधिकरण कृपया इस सम्बन्ध में विचार कर निर्णय लेने का कष्ट करें ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28 मार्च, 1987

~~पृष्ठ संख्या: 5~~

विषय संख्या: 6

विषय: अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिल्पकियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधे दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी नागरिक यदि किसी भी क्षेत्र (खेल/कला) में सर्वोत्तम राष्ट्रीय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है तो उसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप एक आवासीय भूखण्ड आधी दर पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है । पूर्व में विकास प्राधिकरण द्वारा श्री विश्वनाथ गोटी (बैडमिन्टन) तथा श्री गोपाल शर्मा (क्रिकेट) को आधी दर पर आवासीय भूखण्ड देने का निर्णय लिया गया था ।

इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रार्थनापत्र प्राप्त होते रहते हैं जिनके निस्तारण के लिये एक नीति निर्धारित करना आवश्यक प्रतीत होता है । अतः निम्नांकित प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है :-

चयन समिति:

ऐसे प्रार्थनापत्रों पर निर्णय लेने हेतु एक चयन समिति का गठन किया जाय जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण तथा प्राधिकरण के दो गैर सरकारी सदस्य, सदस्य होंगे ।

उक्त चयन समिति द्वारा प्रार्थनापत्रों पर निर्णय लेने हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं: जैसा से ही व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे:-

(1) जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेल एवं कला में एक की लिम्पिक स्थापित किया हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की हो ।

(2) खेल जगत में इनसाप्लोरेशन (अन्वेषण/खोज) एवं साहित्यिक कार्य भी सम्मिलित होंगे ।

(3) कलम का तात्पर्य संगीत, नृत्य एवं चित्रकला, शिल्प कला एवं वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से होगा ।

(4) इस योजना में आवंटित भूखण्डों का मूल्य पाँच वर्षों में देय होगा ।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं होगी जिसके पास पहले से ही लखनऊ में कोई भवन/भूखण्ड हो अथवा किसी अन्य नगर में उसे ऐसी ही किसी प्रोत्साहन योजना के अधीन भूखण्ड आदि रियायती दर पर पूर्व में आवंटित किया जा चुका हो ।

(6) चयन समिति इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्रों पर विचार करने के साथ-साथ स्वयं अपने स्तर से भी तत्परता कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगी ।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव विचलन प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

संलग्नक-2

पृष्ठ: 7

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
28 मार्च, 1987 का कार्यवृत्त

उपस्थित:

1-	श्री बृजेश कुमार	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
2-	श्री अखण्ड प्रताप सिंह	सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग, लखनऊ ।
3-	श्री नरेश दयाल	ज़िलाधिकारी, लखनऊ ।
4-	श्री गोविन्दन नायर	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
5-	श्री कुंवर फतेह बहादुर	संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर विकास विभाग ।
6-	श्री जे0 पी0 भार्गव	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश के स्थान पर ।
7-	श्री डी0 पी0 सिंघल	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम ।
8-	डा0 वी0एन0खान्ना	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
9-	श्री राम नगीना सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
10-	श्रीमती उमा त्रिपाठी	सदस्या, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

x=x=x=x=x=x=x=x

अन्य उपस्थित:

श्री शैलेश कृष्ण	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

x=x=x=x=x=x=x=x

विषय संख्या: 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 1987 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 1987 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया ।

विषय संख्या: 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर, 1986 की अनुपालन आख्या ।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-12-1986 की अनुपालन आख्या के क्रम संख्या: 4, विषय संख्या: 8 जो श्री जीवेन्द्र-नाथ कौल के सम्बन्ध में है, में यह निर्णय लिया गया कि इस मामले पर अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लेंगे । इसके अतिरिक्त अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

क्रमशः—— 2

विषय संख्या: 3 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 1987 की अनुपालन आख्या ।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 1987 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया ।

विषय संख्या: 4 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल आय-व्यय क 1987-88 पर विचार ।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मूल बजट निम्न संशोधनों के साथ पारित किया जाता है :-

(1) भूमि अर्जन हेतु शासकीय ऋण की धनराशि रू0 1.50 करोड़ के बजाये 6.50 करोड़ कर दी जाये । तदनुसार भूमि अर्जन पर व्यय रू0 15.00 करोड़ से 20.00 करोड़ कर दिया जाये । इस आधार पर मूल बजट रू0 71,94,63,000/- आय-व्यय का पारित किया गया ।

विषय संख्या: 5 — श्री यदुनाथ सिंह की भूमि के बदले विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 6 — अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई ।

विषय संख्या: 7 — कानपुर रोड नगर प्रसार योजना (फेज-3), पार्ट-2 के अन्तर्गत हडको से भूमि अर्जन हेतु रू0 383.69 लाख का ऋण लेने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 8 — कानपुर रोड नगर प्रसार योजना (फेज-1), पार्ट-1 के अन्तर्गत हडको से अर्जन हेतु रू0 183.80 लाख का ऋण लेने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 9 — इन्दिरा आवासीय योजना (फेज-1) पार्ट-1 के अन्तर्गत हडको से भूमि अर्जन हेतु रू0 490.00 लाख का ऋण लेने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथा-प्रस्तावित स्वीकृत किया गया ।

क्रमशः ———3

संलग्नक-3

ल०वि०प्रा० की बैठक दि० 15-12-90 की विषय सं० 10

~~अनुलग्नक~~ पृष्ठ: 9

पृष्ठ संख्या: 80

विषय: अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियो/कलाकारो को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

आख्या: उपरोक्त विषय प्राधिकरण की बैठक दि028.3.87 में विषय सं06 के अर्न्तगत रखा गया था ।

2. उपरोक्त खिलाड़ियो/कलाकारो से प्राप्त प्रार्थना-पत्रो पर निर्णय लेने हेतु एक चयन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० तथा प्राधिकरण के दो गैर सरकारी सदस्य, सदस्य नामित किये गये थे ।

3. चूँकि वर्तमान में प्राधिकरण के कोई गैर सरकारी सदस्य नही है अत: अध्यक्ष महोदय के आदेश दि02.6.90 द्वारा निम्न समिति का गठन किया गया था :

I. उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० - अध्यक्ष

II. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ०प्र० - सदस्य

III. मुख्य अभि०, उ०प्र० जल निगम - सदस्य

4. प्राधिकरण ने अपनी बैठक दि028.3.87 में निम्न माप दण्ड निर्धारित किये थे :

I. जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेल एवं कला में कीर्तिमान स्थापित किया हो अथवा अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की हो ।

II. खेल जगत में इक्सप्लोरेशन (अन्वेषण/खोज) एवं साहित्यिक कार्य भी सम्मलित होगें ।

III. कला का तात्पर्य संगीत, नृत्य एवं चित्रकला, शिल्प एवं वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से होगा ।

II/. इस योजना में आवंटित भूखण्डो का मूल्य पाँच वर्षों में देय होगा ।

5. उपरोक्त निर्णय के पश्चात् उप समिति की बैठके दि01.9.87, दि014.6.88 तथा 8.6.90 को हुई जिनमें अभी तक कुल 24 ख्याति प्राप्त खिलाड़ियो /कलाकारो को प्राधिकरणकी आवासीय योजनाओं में रियायती दर पर भूखण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

क्रमश:....2

इसकी विवरण निम्नवत है :

उपसमिति की बैठक की तिथि	निर्णय के अनुसार भूखंडों की संख्या	वास्तव में आवंटित भूखंडों की संख्या
1.9.87	2	1
14.6.88	10	7
8.6.90	12	2
	24	10

इस प्रकार केवल 10 आवेदकों को उपरोक्त सुविधा दी गई है । शेष आवेदकों ने अभी तक औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की है, जिसके कारण उन्हें आधी दर पर भूखण्ड दिये जाने की सुविधायें प्रदान नहीं की सकी हैं ।

6. चूँकि अब प्राधिकरण की योजनाओं में भूमि कम है, अतः अब उपरोक्त सुविधा देने में कठिनाई प्रतीत होती है । साथही मूल्यवृद्धि के कारण अधिक मात्रा में प्रार्थना-पत्र भी आने के कारण उपरोक्त सुविधा दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

प्रस्ताव

प्राधिकरण कृपया उपरोक्त बैठक दि028.3.87 में लिये गये निर्णय को निरस्त करने पर विचार करने का कष्ट करें ।

--- ---

संलग्नक-4

पृ06:11

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 15 दिसम्बर, 1990 को आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की की अध्यक्षता में हुई, का

कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री रमेश चन्द्र,	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
2.	श्री दिनेश राय,	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ ।
3.	श्री आर० के० शर्मा,	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग ।
4.	श्री जे० पी०-भार्गव	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ० प्र० ।
5.	श्रीमती विभा पुरी	विशेष सचिव, उ० प्र० शासन, वित्त विभाग ।
6.	श्री एन० एस० माथुर	मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), उ० प्र०, जल निगम, लखनऊ ।
7.	श्री अरुण कुमार पचौरी	मुख्य वास्तुविद् नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद (आवास आयुक्त के स्थान पर)
8.	श्री एम०ए०एम० खान	विशेष आमन्त्री, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
9.	श्री एस० एम० जाफ़र	महाप्रबन्धक, जल संस्थान, लखनऊ ।

अन्य उपस्थिति :

के० के० उपाध्याय	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

विषय संख्या: 01 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 27.7.90 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 27.7.90 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

क्रमशः - - -

406:12

विषय संख्या: 08 अलीगंज योजना के अन्तर्गत रैदास मन्दिर रेलवे क्रासिंग के निकट अलीगंज सब्जी मण्डी योजना के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल पर सर्वे कराकर भवनों का विवरण आदि लेकर उपाध्यक्ष अपने स्तर पर निर्णय ले लें ।

विषय संख्या: 09 वर्ष 1985 में आई बाढ से गोमती नगर योजना के विश्वास खण्ड के भवनों की फर्श क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि औचित्य के आधार पर ठेकेदार को आवंटियों से वसूल की गई धनराशि का भुगतान किया जाय ।

विषय संख्या: 10 अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में आधी दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सुविधा समाप्त कर दी जाये परन्तु आवन्टन में सरीयता दी जाय । दिनांक: 31.3.91 तक ही पूर्व स्वीकृत प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाये ।

विषय संख्या: 11 विश्वास प्राधिकरण के अधिकारियों /कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरांत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या; 12 लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को पेन्शन भुगतान के सम्बन्ध में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा किये गये संशोधन को लागू करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव वापस लिया गया ।

विषय संख्या: 13 लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साइकिल भत्ते में वृद्धि के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों को औचित्य के आधार पर दिसम्बर, 1990 से साइकिल भत्ता रू0 65/= प्रतिमाह की दर से दिया जाय ।

विषय संख्या; 14 कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरानी लागत पर भवन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव पूर्व औचित्य सहित पुनः रखा जाय ।

विषय संख्या; 15 आवंटित ई8 डब्लू0 एस0 भवन के स्थान पर दूसरी योजना में एल0आई0जी0 भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरांत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

क्रमशः - - - -

अनुपूरक

विषय संख्या: 4 पृष्ठ संख्या:

विषय: भारत पाक युद्ध के दौरान कारगिल में शहीद स्वर्गीय कैप्टन मनोज पाण्डेय की माता के नाम आवंटित भवन के निबन्धन के सम्बन्ध में।

भारत पाक युद्ध के दौरान वीरता के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए स्वर्गीय कैप्टन मनोज पाण्डेय, निवासी– गोमती नगर योजना, लखनऊ की पूज्यनीय माता श्रीमती बृजमोहनी पाण्डेय के नाम गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में एक ई0डब्लू0एस0 भवन संख्या: 1/790(एफ) प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया था। इस भवन का अनुमानित मूल्य अनुबन्ध के अनुसार रु0 24,000/= अंकित है। जिसके विरुद्ध उपलब्ध रसीदों के अनुसार रु0 11,652/= जमा किये गये है। स्वर्गीय कैप्टन मनोज पाण्डेय के परिवार को सम्मानित किये जाने हेतु उन्हें आवंटित भवन के विरुद्ध जितनी धनराशि अभी तक उनके द्वारा जमा की गई है। उसके अतिरिक्त अवशेष धनराशि को माफ करते हुए स्वर्गीय कैप्टन मनोज पाण्डेय की माता के नाम उक्त भवन की रजिस्ट्री किये जाने का प्रस्ताव है। कृपया प्राधिकरण बोर्ड इस पर विचार कर प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

अनुलग्नक : 5

बोर्ड हेतु प्रस्ताव

विषय :- गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-5 में भवन संख्या-5/232 एम.आई.जी. के आरोपित दण्ड ब्याज का 50% माफ होने के उपरान्त अब शेष 50% को माफ करने के सम्बन्ध में।

751.

गोमती नगर योजना के एल.आई.जी. भवन संख्या-5/1042 आवंटी श्रीमती जोरेन सिंह को आवंटित किया गया था, जिसके विरुद्ध आवंटी द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी थी किन्तु भवन अपूर्ण था इस लिए इन्हें भवन संख्या-5/619 परिवर्तित किया गया। चूँकि यह भवन किसी अन्य को आवंटित था जिसके स्थान पर भवन संख्या-5/698 परिवर्तित किया गया, तत्पश्चात इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक-23.3.96 के क्रम में इनके द्वारा एम.आई.जी. भवन आवंटित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। विभाग द्वारा अनुरोध को स्वीकार करते हुए भवन संख्या-5/232 एम.आई.जी. दिनांक-6.4.96 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। जिसकी अवशेष धनराशि रुपया-2,78,000/- दिनांक-15.5.96 तक माँगी गयी थी। आवंटी द्वारा आवेदित धनराशि जमा करने में असमर्थता व्यक्त की गयी, जिसे किस्तों में भुगतान लिये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए 5 वर्षों में त्रिमासिक किस्तों में जमा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। पुनः आवंटी द्वारा 10 वर्षों में भुगतान लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी सुविधा भी आवंटी को प्रदान की गयी इसी मध्य आवंटी के द्वारा पूर्ण भुगतान करने हेतु एल.आई.सी. से ऋण लिये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया। विभाग से निर्धारित अनुबन्ध निष्पादित कराने एवं ऋण लेने के उपरान्त माँगी गयी धनराशि का भुगतान किया गया। चूँकि यह भुगतान विलम्ब से किया गया था अतः दण्ड ब्याज के रूप में रुपया-1,12,387=12 पैसे जमा करने हेतु सूचित किया गया था। जिसको माफ किये जाने हेतु आवंटी द्वारा अनुरोध किया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में इनके अनुरोध पर 50% ब्याज माफ होने के उपरान्त भी अवशेष 50% ब्याज को जमा करने में असमर्थता बतायी गयी। जिसे प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ७ जुलाई, १९९९ का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

१.	श्री अरुण कुमार मिश्र	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल।
२.	श्री विनोद शंकर चौबे	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
३.	श्री एन. रविशंकर	आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद।
४.	श्री सदाकान्त	जिलाधिकारी, लखनऊ।
५.	श्री दिवाकर त्रिपाठी,	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ।
६.	श्री मुरलीधर	संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग।
७.	श्री रामवृक्ष प्रसाद	संयुक्त सचिव, उ.प्र. शासन, आवास विभाग।
८.	श्री एम.पी. अनेजा	मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ.प्र.।
९.	श्री आर.पी. अरधना	मुख्य अभियन्ता, जलनिगम (मध्य), लखनऊ।
१०.	श्री आर. प्रसाद	प्रतिनिधि, महानिदेशक, पर्यटन
११.	श्री बृजलाल रावत	सदस्य/सभासद, नगर निगम।
१२.	श्री विजय शंकर तिजोरी	सदस्य/सभासद, नगर निगम।
१३.	श्री शिव कुमार	सदस्य/सभासद, नगर निगम।
१४.	श्रीमती उमाशंकरी लोधी	सदस्य/सभासद, नगर निगम।
१५.	डा. सियाराम	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
१६.	श्री राम अधार सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थितः

१७.	श्री विशाल राय	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

.....

विषय संख्याः १ — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : २ लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये:-

१. इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में कनवेन्शनल सेन्टर/होटल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तो का अनुमोदन शासन स्तर से होने के उपरान्त, शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाये।

२. हरदोई रोड योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि एक माह के अन्दर सर्वेक्षण एवं कन्टूरिंग की कार्यवाही पूर्ण कराकर अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराई जाये।

३. क्लब के निर्माण से सम्बन्धित प्रकरण पर यह जांच किये जाने के निर्देश दिये गये कि क्या किसी स्तर से किसी संस्था को १० एकड़ भूमि क्लब निर्माण हेतु आवन्टित की गई है अथवा किसी संस्था को १० एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये गया है। इस प्रकरण पर जांच कर तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

४. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ के अन्य बिन्दु के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

विषय संख्या : ३ प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गई प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया। प्रगति आख्या के अवलोकन के उपरान्त विकास से सम्बन्धित निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा हुई तथा निर्देश दिये गये:-

१. सीतापुर रोड, जानकीपुरम में स्थित नाले में सहारा स्टेट के पानी के बहाव का प्रकरण उठाया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक को निर्देश दिये गये कि वे वर्तमान नाले की क्षमता का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

२. एक सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर रोड पर एक भी नाले की सफाई नही हुई है। इसके उत्तर में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि नालों की सफाई वृहत स्तर पर जे.सी.बी. द्वारा कराई गई है और अभी सफाई का कार्य चल रहा है। छोटे-मोटे नालों की सफाई का कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण करा दिया जायेगा।

३. एक सदस्य व्दारा कानपुर रोड स्थित पार्क में भैंसों के तबेले को न हटाये जाने की शिकायत की गई। इसे शीघ्र ही हटवाये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही पार्कों में किये गये अन्य अतिक्रमणों को भी हटाये जाने के निर्देश दिये गये।

४. कानपुर रोड एवं गोमती नगर स्थित सभी नालों की समुचित सफाई कराये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता/अर्धीक्षण अभियन्ता श्री मेहरा को निर्देशित किया गया।

५. इस विषय पर भी विचार विमर्श हुआ कि पम्पिंग हेतु छोटे पम्प के स्थान पर बड़े पम्प जो अधिक क्षमता वाले हों उन्हे क्रय किया जाये।

६. नगर निगम व्दारा जो नालों की सफाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसे प्राधिकरण व्दारा भी अपनाये जाने के विषय में विचार विमर्श हुआ तथा यह निर्देश दिये गये कि मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम से विचार विमर्श कर देख लिया जाये कि यदि वह व्यवस्था अच्छी है तो उसे प्राधिकरण में भी क्रियान्वित किया जाये।

विषय संख्या : ४ जानकीपुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन १८ मी. चौड़ी सड़क में आ रही श्री अतीकुर्रहमान खान की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में परिचालित प्रस्ताव का औपचारिक अनुमोदन।

निर्णय : परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या : ५ शौर्यचक्र से सम्मानित ले. कर्नल एम.सी.शर्मा की पत्नी श्रीमती कल्याणी शर्मा तथा कारगिल युध्द में वीरगति को प्राप्त राइफल मैन सुर्नालजंग के पिता को निर्माण लागत पर बिना लाभ-हानि के वरीयता के आधार पर भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : शौर्यचक्र से सम्मानित ले. कर्नल एम.सी.शर्मा की पत्नी श्रीमती कल्याणी शर्मा तथा कारगिल युध्द में वीरगति को प्राप्त राइफलमैन सुर्नील जंग के पिता श्री नर नरायन जंग को वरीयता के आधार पर(आउट-राइट) भवन भूखण्ड आवन्टित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा भवन के बिक्रय मूल्य में २५ प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : ६ — श्रीमती अर्चना कालिया को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवन्टित भवन के मूल्य में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि युध्द में वीरगति को प्राप्त करने वाले अन्य प्रकरणों की भाँति श्रीमती कालिया को भी भवन के विक्रय मूल्य में २५ प्रतिशत की छूट प्रदान की जाये।

विषय संख्या : ७ — भूखण्ड संख्या : ४ ए, ४ बी तथा ४ सी, मीराबाई मार्ग के भू-प्रयोग को "आवासीय" से "बाजार स्ट्रीट, व्यवसायिक" में परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : ८ — सिन्डर्स डम्प आलमबाग में निर्माणाधीन अन्तर्जनपदीय बस टरमिनल तथा व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — शासन के निर्देशानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : ९ — लखनऊ नगर की महायोजना २००१-२०२१ की संरचना हेतु एजेन्सी के चयन से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय : — आवास आयुक्त श्री एन.रविशंकर तथा प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक द्वारा एजेन्सी चयन के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया तथा वर्तमान प्रगति के सम्बन्ध में समस्त उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया। प्राप्त हुए आफर्स में अत्यधिक वित्तीय भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव को आवास आयुक्त एवं उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. द्वारा सी.ई.एस., टाटा कन्सल्टेन्ट, राइट्स तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रस्तावों पर पुनर्विचार कर लिया जाये। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा महायोजना की संरचना हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आधुनिक तकनीकी विधाओं जैसे जी.आई.एस. एवं कम्प्युटर आदि तथा यदि विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी है तो उसका प्रस्ताव भी प्राप्त करके परीक्षण किया जाये।

विषय संख्या : १० — दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — श्री बाबूराम शुक्ल एवं श्री राम नरायण पाण्डे पर भवन की किस्तें विलम्ब से जमा करने के कारण लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के प्रकरण पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ५० प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ़ करने का जो अधिकार उपाध्यक्ष में निहित है, उसपर उपाध्यक्ष स्वयं निर्णय ले लें। बोर्ड द्वारा उपरोक्त ५० प्रतिशत के अतिरिक्त १० प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या :: ११ हरदोई रोड योजना में २२०/१३२ के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि रु० ५१०.०० प्रति वर्ग मी. ही भूमि का मूल्य लगाया जाये। इससे कम मूल्य नहीं लगाया जा सकता। धनराशि उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजा जाये। यदि माननीय मन्त्री जी अथवा शासन द्वारा छूट दिये जाने का कोई निर्णय लिया गया है तो शासन को पत्र भेज कर उसकी पुष्टि कराई जाये और यदि शासन द्वारा किसी प्रकार की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है तो शासन से उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु अनुरोध किया जाये।

विषय संख्या : १२ लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनिस्तारित व्यवसायिक भवनों के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कैलाशकुंज के ५८ आवन्टियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु उनसे सहमति प्राप्त कर शीघ्र कार्यवाही की जाये। व्यवसायिक भवनों के वर्तमान स्वरुप में कुछ परिवर्तन/परिवर्धन किये जाने के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई। यह भी अवगत कराया गया कि कुछ दुकानों के मुख्य द्वार सड़क की ओर खोले जाने से आकर्षण बढ़ सकता है। प्राधिकरण को अधिक आर्थिक क्षति न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : १३ एकमुश्त भुगतान की दशा में छूट दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि आवन्टन पत्र निर्गत होने की तिथि से ३० दिनों का समय जो प्रस्तावित किया गया है उसे ३० दिन के स्थान पर ४५ दिन रखा जाये।

विषय संख्या : १४ स्कूल भूखण्डों के आवन्टन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्कूल भूखण्डों हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक २६.६.९९ में की गई संस्तुतियां अनुमोदित की गई तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये-

१. विद्यालय की मान्यता हेतु न्युन्तम जितनी भूमि आवश्यक हो उतनी भूमि के आवन्टन हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

२. सीतापुर रोड एवं गोमती नगर में महाविद्यालय की स्थापना हेतु १०-१० एकड़ भूमि का नियोजन किया जाये। इसमें ५ एकड़ भूमि ग्रीनबेल्ट की तथा ५ एकड़ निर्माण हेतु सम्मिलित करके प्रस्ताव तैयार किया जाये।

विषय संख्या : १५ — गोमती नगर योजना विपुल खण्ड-२ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : सी.पी.-१ पर लगे ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विपुल खण्ड गोमती नगर की भूमि बहुत ही बहुमूल्य है, अतः ब्याज माफ़ किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : १६ — गोमती नगर योजना के विराम खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या : सी.पी.-१ का आवन्टन मे. रोमित बिल्डर्स के पक्ष में बहाल किये जाने के समझौते के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : — निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष स्वतः विषय का अध्ययन करके अपनी संस्तुति प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

विषय संख्या : १७ — गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में मे. इन्डियन होटल्स क.लि. (ताजग्रुप) को मनोरंजनात्मक पार्क हेतु लाइसेन्स के आधार पर आवन्टित २५ एकड़ भूमि से सम्बन्धित।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचरोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत पार्क में जन सामान्य के प्रवेश हेतु कोई शुल्क न लगाया जाये।

विषय संख्या : १८ — मनीषा मन्दिर को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवन्टित भूमि में लीज़रेन्ट को विलम्ब से जमा करने पर देय दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल निरीक्षण कर देखा जाये कि इस संस्था व्दारा क्या कार्य किये जा रहे हैं। यह भी निर्देश दिये गये कि इसके अतिरिक्त अन्य समाजसेवी संस्थाओं, जिन्हे रियायती दर पर प्राधिकरण व्दारा भूमि उपलब्ध कराई गई है, उनके सम्बन्ध में भी निरीक्षण कर देखा जाये कि वे पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य कर रही हैं अथवा नही।

विषय संख्या : १९ — वेतनसमिति १९९८ की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार भवन किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता की संशोधित दरें लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त शासन व्दारा निर्धारित दरों को लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : २० — श्री राजकुमार खन्ना, चौकीदार तथा उनके परिवार की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मुख्य लेखाधिकारी प्रकरण का परीक्षण कर लें। तदुपरान्त उपाध्यक्ष अपने स्तर से उचित निर्णय लें।

विषय संख्या : २१ — विभिन्न योजनाओं में विवादित भूमि/निर्माणों के समायोजन से सम्बन्धित।

निर्णय : — भूमि एवं निर्माणों के समायोजन से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये प्रकरणों पर विचार किये जाने से पूर्व भूमि के समायोजन से सम्बन्धित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सामान्य निर्णय लेते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जो भविष्य में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों का भलीभांति परीक्षण करेगी, जिसमें योजना पर पड़ने वाले प्रभाव तथा आर्थिक पहलू को भी दृष्टिगत रखा जायेगा। समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगेः-

१. मुख्य नगर नियोजक
२. मुख्य लेखाधिकारी
३. लागत एवं वित्तीय परामर्शी

प्रस्ताव के साथ संलग्नक के रूप में तथा ८ मार्च, ९९ की बैठक में स्थगित दो अन्य प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए कुल ८ प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-

१. भूमि खसरा संख्या १४० ग्राम पुरनिया रकबा १-१८-०-० के समायोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन के प्रकरणों हेतु गठित समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाये।

२. श्रीमती चन्द्रावती की भूमि पर स्थित निर्माण के समायोजन के सम्बन्ध में।

वर्तमान में भवन निर्मित है, इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित शर्तों पर मात्र २४७.९४ वर्गमीटर भूमि व निर्माण समायोजित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

३. भूमि खसरा संख्या : १६१० ग्राम उजरियांव के समायोजन के समायोजन के सम्बन्ध में।

श्रीमती महादेयी की अनर्जित भूमि रकबा ०-४-०-० का समझौता प्रस्तावित शर्तों पर केवल एक भूखण्ड १०.५ × २४ मी. (२५२ वर्ग मी.) अर्थात अनर्जित भूमि का आधा क्षेत्रफल दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

४. ग्राम बरगंवा परगना बिजनौर, लखनऊ स्थित भूखण्ड संख्या ५८५ में निर्मित भवन का समायोजन।

विचरोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव को भूमि अर्जन सम्बन्धी मामलों हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

५. भूमि खसरा संख्या ६०१ स्थित ग्राम भदरुख रकबा ०-७-०-० के समायोजन के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त प्रस्ताव को भूमि अर्जन के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

६. हरदोई रोड योजना में रिवर व्यू सहकारी आवास समिति की अर्जित भूमि के बदले समिति को ६० प्रतिशत विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन से सम्बन्धित मामलों हेतु गठित समिति प्रकरण का परीक्षण करे।

७. ग्राम सिकन्दरपुर इनायत अली भूमि खसरा संख्या २०४ रकबा ०-५-१२-० (७६२३ वर्गफिट) के समायोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में प्रस्तावित शर्तों के अधीन समझौता कर लिया जाये परन्तु पक्ष को मात्र एक भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल २८८ वर्गमीटर होगा, उपलब्ध कराया जायेगा।

८. मजदूर किसान सहकारी गृह निर्माण समिति लि. की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन के प्रकरणों के परीक्षण हेतु गठित समिति पहले प्रकरण का परीक्षण करे।

विषय संख्या : २२ श्री प्रवीणचन्द्र गुप्ता को कानपुर रोड योजना में आवन्टित भूखण्ड संख्या ए-१/५२, सेक्टर "एल" के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : २३ — श्री सरोजसिंह को अर्जित भूमि के बदले समायोजित भूखण्ड संख्याः १/२०१(बी) विनीत खण्ड के उपलब्ध न होने के कारण भूखण्ड संख्याः १/२०८(बी) समायोजित किया जाना।

निर्णय : — प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एक ही योजना में भूखण्ड परिवर्तित किये जाने का प्रकरण है, जो उपाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अतः उपाध्यक्ष अपने स्तर पर निर्णय ले लें।

विषय संख्या : २४ — श्री अतुल चन्द्र को शारदा नगर योजना में आवन्टित एच.आई.जी. भवन संख्याः ३/३४ रुचि खण्ड-१ को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किया जाना।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : २५ — विकास प्राधिकरण(अपराधों का शमन) संशोधित उपविधि १९९८ (स्वैच्छिक शमन उपविधि) में आवश्यक परिष्कार।

निर्णय : — शासनादेश संख्याः ३०१५/९-आ-१-१९९९-१२० विविध, दिनांक ३० जून, ९९ द्वारा प्रेषित परिष्कारों को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्याः २६ — श्री नूर मोहम्मद, भूखण्ड संख्याः बी-४/२०९ विशाल खण्ड को इनके सम्मुख "डेड एण्ड" सड़क की भूमि आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में पुनर्विचार।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : २७ — गोमती नगर स्थित विश्वास खण्ड में सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि का प्राविधान किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

अनु.विषय संख्याः १ — गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड की सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवा के भू-प्रयोग को संस्थानों हेतु आवासीय भू-प्रयोग में परिवर्तित करने हेतु।

निर्णय : — स्थल निरीक्षण कर प्रस्तुत प्रस्ताव को पुनरीक्षित करके प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अनु.विषय संख्याः २ — कानपुर रोड सेक्टर "आई" स्थित भूखण्ड संख्याः ए-१०९२/आई को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — वर्तमान में मेजर संजय सिंह कारगिल में नियुक्त है, इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि इसे भविष्य के लिये दृष्यन्त न बनाया जाये।

अनु.विषय संख्याः ३ — अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — बैठक में उपस्थित संयुक्त सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन व्दारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव वापस लिया गया।

अनु.विषय संख्याः ४ — भारत - पाक युध्द के दौरान कारगिल में शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय की माता के नाम आवन्टित भवन के निबन्धन के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय की पूज्यनीय माता जी श्रीमती बृजमोहनी पान्डेय के नाम गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में आवन्टित ई.डब्लू.एस. भवन संख्या : १/७९०(एफ) के विरुध्द उनके व्दारा जमा धनराशि को समायोजित कर अवशेष तथा अन्य देय धनराशि को माफ़ करते हुए भवन की रजिस्ट्री श्रीमती बृजमोहनी पान्डेय के नाम कर दी जाये। रजिस्ट्री का व्यय भी प्राधिकरण व्दारा वहन किया जाये।

अनु.विषय संख्याः ५ — श्रीमती जोरेन सिंह को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-५ में आवन्टित भवन संख्याः ५/२३२ एम.आई.जी. के विरुध्द आरोपित दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि आरोपित किये गये ब्याज की ५० प्रतिशत धनराशि उपाध्यक्ष व्दारा माफ़ की जा चुकी है। उसके अतिरिक्त २५ प्रतिशत ब्याज और माफ़ कर दिया जाये।

अन्य बिन्दु :

१. निर्णय लिया गया कि कुर्सी रोड पर जिन व्यक्तियों को गार्डेन लॉज़ पर भूमि आवन्टित की गई है, उनमें से अधिकतर ने गार्डेन लॉज़ का उल्लंघन कर पक्के निर्माण कर लिये हैं। कुछ व्यक्तियों व्दारा अनधिकृत रुप से अतिक्रमण भी कर लिया गया है। अतः सम्बन्धित संयुक्त सचिव एवं क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता स्थल निरीक्षण करके ऐसे निर्माणों की सूची बनायें तथा शीघ्र ही उल्लंघन करने वाले आवन्टियों की लीज़-डीड निरस्त कराकर इस प्रकार के पक्के निर्माणों तथा अनधिकृत अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही करें।

२. गोमती नगर थाने के पास स्थित चौराहे का नामकरण अमर शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय के नाम पर किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। इसी प्रकार गोमती नगर स्थित जिस पार्क में शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय के पार्थिव शरीर को जनता के अन्तिम दर्शन हेतु रखा गया, उसे अमर शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय के नाम से नामकरण किये जाने तथा पार्क में कैप्टन पान्डेय की प्रतिमा स्थापित किये जाने हेतु भी निर्णय लिया गया।

(विशाल राय)
सचिव

(विनोद शंकर चौबे)
उपाध्यक्ष

अ नु मो दि त

(अरुण कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।